ISSN 0973-3914

रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेस

Peer- Reviewed Research Journal

UGC Journal No. (Old) 40942
Impact Factor 5.125 (IIFS)
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©
ProQuest, U.S.A. Title Id: 715205

अंक 39 हिन्दी संस्करण वर्ष - 20 जुलाई-दिसम्बर 2023

Centre for Research Studies
REWA (M.P.)

2023

www.researchjournal.in

आई. एस. एस. एन. 0973-3914

रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेस

Peer-Reviewed Research Journal

UGC Journal No. (Old) 40942

Impact Factor 5.125 (IIFS)

Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest

U.S.A. Title Id : 715205

अंक-39	हिन्दी संस्करण	वर्ष-20	जुलाई- दिसंबर 2023

डॉ. अखिलेश शुक्ल

ऑनरेरी सम्पादक

प्राध्यापक, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड तथा पं. गोविन्द वल्लभ पंत एवार्ड से सम्मानित

akhileshtrscollege@gmail.com

डॉ. संध्या शुक्ल

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

drsandhyatrs@gmail.com

डॉ. गायत्री शुक्ल

अतिरिक्त निदेशक, सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा

shuklagayatri@gmail.com

डॉ. आर. एन. शर्मा

सेवानिवृत्त आचार्य, उच्च शिक्षा, रीवा

rnsharmanehru@gmail.com

सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा

की मुख्य शोध पत्रिका

म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत

पंजीयन क्रमांक 1802, सन् 1997

विषय विशेषज्ञ/परामर्श मण्डल

1. डॉ. अरविंद जोशी, सेवानिवृत आचार्य, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी
arvindvns@outlook.com
2. डॉ. रामशंकर, कुलपति, पं. शम्भूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय, शहडोल
rs_dubey@yahoo.com
3. डॉ. डी. एस. राजपूत, आचार्य, डॉक्टर हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर
drdiwakarrajeut@rediffmail.com
4. डॉ. बी. के. सिंह, आचार्य, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी
imdrbrajesh.kv@gmail.com
5. डॉ. अंजली श्रीवास्तव, सेवानिवृत आचार्य, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा
anjali_apsu@rediffmail.com
6. डॉ. बी. पी. बडोला, सेवानिवृत्त आचार्य, कांगड़ा हिमाचंल प्रदेश
bpbadola@gmail.com
7. डॉ. आभा सक्सेना, सह प्राध्यापक, अग्रसेन कन्या स्वशासी महाविद्यालय वाराणसी
drabhasaxena7@gmail.com
8. डॉ. प्रज्ञा मिश्रा, आचार्य, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट
pragyamishramgcgv@gmail.com
9. डॉ. आशीष सक्सेना, आचार्य, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।
ashish.ju@gmail.com
10. डॉ. ज्योति उपाध्याय, आचार्य, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश
drjyotiupadhyay11@gmail.com
11. डॉ. प्रमिला पुनिया, सह प्राध्यापक, इतिहास, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान
pramilapoonia@rediffmail.com
12. डॉ. मृदुल जोशी, आचार्य, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार
dr_mriduljoshi@yahoo.com
13. डॉ. शैलजा दुबे, प्राध्यापक, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल
shailjadubey70@yahho.in
14. डॉ. प्रमिला श्रीवास्तव, आचार्य, शासकीय कला महाविद्यालय कोटा राजस्थान
dr21pramila@gmail.com
15. डॉ. जयशंकर शाही, आचार्य, अलवर राजस्थान
jayshankarshahi@gmail.com
16. डॉ.एन.पी.त्रिपाठी ,सेवानिवृत्त आचार्य, रीवा मध्य प्रदेश
17. डॉ. राजेश भट्ट, एच.एन.बी. केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखंड
rajeshbhatt11@gmail.com
17. डॉ. नीलिमा सिंह सह प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, व्ही.एस.एस.डी. कॉलेज कानपुर, उत्तरप्रदेश
singhneelima148@gmail.com

Guide Lines

- **General:** English and Hindi Editions of Research Journal are published separately. Hence Research Papers can be sent in Hindi or English.
- **Manuscript of research paper:** It must be original and typed in double space on the one side of paper (A-4) and have a sufficient margin. Script should be checked before submission as there is no provision of sending proof. It must include Abstract, Keywords, Introduction, Methods, Analysis, Results and References. Hindi manuscripts must be in Devlys 010 or Kruti Dev 010 font, font size 14 and in double spacing. All the manuscripts should be in two copies and in Email also. Manuscripts should be in Microsoft word program. Authors are solely responsible for the factual accuracy of their contribution.
- **References :** References must be listed cited inside the paper and alphabetically in the order- Surname, Name, Year in bracket, Title, Name of book, Publisher, Place and Page number in the end of research paper as under- Shukla Akhilesh (2018) Criminology, Gayatri Publications, Rewa : Page 12.
- **Review System:** Every research paper will be reviewed by two members of peer review committee. The criteria used for acceptance of research papers are contemporary relevance, contribution to knowledge, clear and logical analysis, fairly good English or Hindi and sound methodology of research papers. The Editor reserves the right to reject any manuscript as unsuitable in topic, style or form without requesting external review.

लेखकों से निवेदन-

- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेज (ISSN-0973-3914) सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज की मुख्य शोध पत्रिका है, जो मानव संसाधन मंत्रालय तथा पंजीयक समाचार पत्र एवं पत्रिका, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत हैं।
- शोध पत्रिका उलरिच इन्टरनेशनल पीरियाडिकल्स डाइरेक्ट्री प्रोक्वेस्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका से इंडेक्स्ड और लिस्टेड हैं।
- शोध पत्रिका का अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करण अलग-अलग प्रकाशित होता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेस का प्रकाशन प्रतिवर्ष जून एवं दिसंबर में किया जाता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेस को इम्पैक्ट फैक्टर एवं आई.एस.एस.एन प्राप्त हैं। शोध पत्रिका Peer-Reviewed हैं।
- शोध पत्रिका के नवीनतम अंक में प्रकाशित शोध पत्रों को हमारी वेबसाइट www.researchjournal.in (Current Issue) में देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है।
- शोध पत्रिका का प्रिंट एडीशन सदस्यों को अलग से डाक द्वारा भेजा जाता है।
- शोध पत्र में शीर्षक, नाम, पद, पदस्थापना का विवरण, पत्र व्यवहार का पता तथा दूरभाष क्रमांक, मोबाइल नं., ई-मेल एड्रेस अवश्य दिया जाये।
- शोध पत्र के प्रारम्भ में कम से कम 50-100 शब्दों का सारांश दिया जाये।
- मुख्य शब्द सारांश के नीचे टाइप कराया जाये।

- शोध पत्र में शोध पद्धति तथा शोध में प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- शोध पत्र में निष्कर्ष और अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची दी जाये। संदर्भ ग्रंथों का विवरण पूरा दिया जाये। लेखक का नाम, वर्ष, पुस्तक का नाम, प्रकाशक का विवरण, प्रकाशक का स्थान और पृष्ठ संख्या आदि का विवरण दिया जाना चाहिए।
- शोध पत्र माईक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में टाइप किया हुआ होना चाहिए। (नोट- पेज मेकर की फाइल, पी.डी.एफ. फाइल, स्कैन मैटर आदि में कदापि शोध पत्र न भेजें) शोध पत्र हिन्दी लिपि में कृतिदेव या देवलिस फांट 010 (फॉन्ट साइज 14, स्पेस डबल, मार्जिन ए-4 साईज के कागज में चारो तरफ 1 इंच) में भेजा जाना चाहिए।
- शोध पत्र के साथ यह घोषणा अवश्य संलग्न करें कि शोध पत्र मौलिक है तथा इसे कहीं अन्यत्र प्रकाशनार्थ प्रेषित नहीं किया गया है।

सर्वप्रथम शोध पत्र ई-मेल द्वारा भेजें-

researchjournal97@gmail.com,
researchjournal.journal@gmail.com

शोध पत्र की स्वीकृति की सूचना सम्पादकीय कार्यालय द्वारा लेखक को ई-मेल एवं दूरभाष द्वारा प्रदान की जाती है।

© सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज

एक अंक रुपये 500.00

-सदस्यता शुल्क -		
अवधि	**व्यक्तिगत सदस्यता**	**संस्थागत सदस्यता**
वर्ष एक	2000-00	2500-00
वर्ष दो	2500-00	4000-00

सदस्यता शुल्क की राशि गायत्री पब्लिकेशन्स के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ब्रांच-रीवा सिटी (आईएफएस कोड 0004667 MICR Code 486002003) के खाता क्रमांक 30016445112 में जमा की जाय।

प्रकाशकः गायत्री पब्लिकेशन्स
रीवा- 486001 (म.प्र.)

मुद्रकः ग्लोरी ऑफसेट
नागपुर

संपादकीय कार्यालय

186/1, विन्ध्य विहार कॉलोनी
लिटिल बैम्बीनोज स्कूल कैम्पस
रीवा- 486001 (म.प्र.)
दूरभाष- 7974781746
E-mail- researchjournal97@gmail.com, researchjournal.journal@gmail.com
www.researchjournal.in

रिसर्च जरनल में प्रस्तुत किये गये विचार और तथ्य लेखकों के है, जिनके विषय में सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। रिसर्च जरनल के सम्पादन एवं प्रकाशन में पूर्ण सावधानी रखी गई है, किन्तु किसी त्रुटि के लिए सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं है। सम्पादन का कार्य अव्यावसायिक और ऑनरेरी है। सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र, रीवा जिला रीवा (म.प्र.) रहेगा।

सम्पादकीय

रिसर्च जर्नल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेज का 39 वॉ अंक जुलाई-दिसंबर 2023 आपके समक्ष प्रस्तुत है। आज विमर्श का विषय बदलती जीवन मूल्य और हमारी चुनौतियां है, मेरा मानना है जीवन मूल्य व्यक्ति के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं वैयक्तिक जीवन को प्रभावित करते हैं। मूल्यों के अभाव में व्यक्ति परिवार समुदाय समाज मूल्यों के अभाव में व्यक्ति जीवन अथवा मानव जीवन की उन्नति, प्रगति एवं विकास कल्पना मात्र ही है। अत: सभी प्रकार के मूल्य जीवन मूल्य हैं। जीवन मूल्य व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर, उसे उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। आधुनिक युग में सामाजिक मूल्य व आदर्श बदल रहे हैं। सामाजिक संबंधों का रूप बदल रहा है। पारिवारिक व व्यक्तिगत आवश्यकताओं के बढ़ने के फलस्वरूप अर्थोपार्जन हेतु कार्यभार स्त्री और पुरुष दोनों पर ही पड़ने लगा है, जिससे मानसिक असन्तोष व तनाव बढ़ता जा रहा है,जो संयुक्त परिवार प्रणाली के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। शहरी जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि व्यक्ति पारिवारिक जीवन से कोई लगाव अनुभव नहीं करता। जीवन में समरसता न होने से सामाजिक आदर्शों और मूल्यों में इतनी विविधता आ गई है कि उनके कारण पारिवारिक संगठन शिथिल हो रहे हैं। माँ, पिता और बच्चे के वैवाहिक तथा पारिवारिक आदर्शों में भी वैभिन्नय के दर्शन होते है। इस प्रकार के मत भेदों से अवांछनीय तनाव परिवारों में उत्पन्न होता है, जो उन्हें विघटित करता है। पाश्चात्य सम्पर्क और कुछ आधुनिक शिक्षा प्रणाली व समय की माँग के कारण नयी पीढ़ी भौतिकवादी व व्यक्तिवादी होती जा रही है। पाश्चात्य उदार जीवनदर्शन तथा उसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिवादी भावना संयुक्त परिवार के विघटन तथा आणविक परिवार के सैद्धान्तिक आधार के लिए उत्तरदायी है और यह भविष्य में व्याप्त होने वाली है। विवाह के आधार में भी परिवर्तन हुए हैं। नयी पीढ़ी विवाह को एक समझौता मानने लगी है। विवाह विच्छेद को आजकल बुरा नहीं समझा जाता। विवाह का आधार प्रेम या श्रद्धा की भावना न रहकर, भौतिकता की भावना हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अन्तर्जातीय विवाह भी पारिवारिक विघटन के प्रमुख कारणों में है। अधिकांश युवक युवतियाँ बिना सोचे-समझे गलत चुनाव करके, प्रेम विवाह रचा बैठते हैं और बाद में एक दूसरे की रुचियाँ, मानसिक स्तर भिन्न पाने पर, एक दूसरे से दूर भागते हैं। यह प्रवृत्ति भी संयुक्त परिवार प्रथा को समाप्त कर रही है। इसके अतिरिक्त नई पीढ़ी ही नहीं, पुरानी पीढ़ी भी पारिवारिक विघटन के लिए काफी सीमा तक जिम्मेदार है। माता-पिता भी परिवर्तित मानमूल्यों व सिद्धान्तों के साथ समझौता करने की तैयार नहीं होते। वे नई पीढ़ी से आशा करते हैं कि उनकी जीर्ण-शीर्ण मान्यताओं और रूढ़वादिता की वे सहर्ष स्वीकार कर जीवन में अपनाए। नियन्त्रण में रहे। लेकिन जब उनकी इच्छाओं के विरुद्ध पीढ़ी मनमाना आचरण करती है,तो वृद्धजन उनकी कटु आलोचना करते हैं, जो पारिवारिक वातावरण को दूषित करती है। जिससे पारिवारिक सदस्य एक दूसरे से दूर होते जाते हैं।

आज के भौतिकवादी युग में धर्म का भी महत्व घट रहा है। पहले तलाक को पाप

समझा जाता था लेकिन आजकल विवाह विच्छेद अधार्मिक पाप कृत्य नहीं समझा जाता जैसा कि 'वैस्टर मार्क' ने लिखा है, "पारिवारिक जीवन व्यक्ति के लिए आज उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा जितना कि कई वर्ष पूर्व था। यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही कम महत्वपूर्ण हो चुका है। अवैवाहिक जीवन की तुलना में वैवाहिक जीवन के लाभ कुछ अर्थों में कम हो गए है। संयुक्त पारिवारिक जीवन की पवित्रता, उच्चता में विश्वास समाप्त होता जा रहा है। इस प्रकार ये सब कारण पारिवारिक सुख और शान्ति तथा सुव्यवस्था को भंग कर रहे हैं। वर्तमान युग में इस पारिवारिक विघटन का सर्वाधिक उत्तरदायित्व औद्योगीकरण पर ही है, जिसके कारण अनेक प्रकार के पारिवारिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक तनाव विकसित हुए हैं तथा व्यक्तियों का भौतिकवादी दृष्टिकोण पनपा है।

मनुष्य की प्रतिष्ठा का मूल्यांकन उसके जीवन मूल्यों से किया जाता है वास्तविक सफलता के लिए आवश्यक है। हमारे जीवन मूल्य वैदिक काल से लेकर अब तक अगर हम विश्लेषण करें तो हम जिन महापुरुषों को याद करते हैं, उन्हें उनके जीवन मूल्यों और उन मूल्यों को जीवन में अनुसरण करने के कारण ही याद करते हैं। जीवन मूल्य व्यक्ति को सही मार्ग मैं ले जाते हैं और सकारात्मक सोच का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति मूल्य विहीन जीवन जीते हैं, उनका समाज में यथार्थ में कोई भी अस्तित्व नहीं होता। वह किसी का मार्गदर्शन नहीं कर सकते उनके जीवन में कोई गति और निरंतरता नहीं होती और सिद्धांतों के अभाव में ऐसे लोग अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को बर्बाद कर देते हैं। किसी भी परिवार समुदाय यह समाज का संचालन और विकास आदर्शों और सिद्धांतों के माध्यम से ही होता है। यदि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में इनका अभाव हो जाए तो हमारा पूरा का पूरा ताना-बाना विकृत होने लगता है, अनुशासन बिगड़ने लगता है, जीवन अनियमित हो जाता है और अन्य अनेक प्रकार की नकारात्मक चीजें हमें दिखाई देने लगती है। समाज हमेशा से उन लोगों का अनुसरण करता है, जिनके जीवन मूल्य हमेशा ऊंचे रहे हैं। सामाजिक मान-सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मूल्य आधारित जीवन जीना ही पड़ेगा। व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी और सार्थक तभी बन सकता है, जब वह विधि सम्मत मूल्यों से आधारित जीवन को अपनाएं। हां इस मार्ग में कुछ कठिनाइयां आती हैं परेशानियां आती हैं लेकिन त्याग और सत्य के माध्यम से हम इन मूल्यों को आत्मसात कर सफल और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं।

डॉ. अखिलेश शुक्ल
प्रधान सम्पादक

अनुक्रमणिका

01.	भारत में कामकाजी महिलाओं के अधिकार एवं उनकी चेतना (रीवा नगर के विशेष संदर्भ में) **अखिलेश शुक्ल**	09
02	संचार मीडिया के सिद्धान्त **संदीप कुमार तिवारी** **छवि कुमार**	22
03	शहडोल जिले में मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा का समाजशास्त्रीय अध्ययन **पाकीजा खातून**	29
04	जबलपुर-कटनी जिले में लैंगिक साक्षरता का प्रतिरूप **शिव कुमार दुबे** **नमिता गुप्ता**	34
05	घटते जंगलों का जनजातियों पर प्रभाव **गंगा देवी बैरागी**	51
06	वैश्विक ताप वृद्धि **प्रशांत कुमार गौरहा**	55
07	भारत में महिला सशक्तीकरण और राजनैतिक सहभागिता: एक संवैधानिक दृष्टिकोण **अंजली पण्डया**	62
08	मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक: भारत के संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन **हरदीप बागोतिया**	72
09	आधुनिक भारतीय समाज में संविधान की महता **सरिता** **प्रियदर्शिनी पुरोहित**	79
10	विकसित देश लक्ष्य 2047 की दिशा में महिला सशक्तिकरण की स्थिति **कुमुद श्रीवास्तव**	83
11	प्रो. भगवती प्रकाश काम्बोज की कला यात्रा **कुलदीप कुमार** **निशा गुप्ता**	89
12	भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रति सेवारत शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन **धीरज कुमार नामदेव**	94
13	प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 'डी' एवं 'ई' ग्रेड छात्रो की शैक्षिक उपलब्धि पर उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के प्रभाव का अध्ययन **रश्मि तिवारी**	103
14	ख्याल की फिकरा बंद शैली में रीवा घराने का महत्त्व **दीपिका तिवारी**	109

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 39, Hindi Edition, Year-20, July- Dec. 2023

भारत में कामकाजी महिलाओं के अधिकार एवं उनकी चेतना (रीवा नगर के विशेष संदर्भ में)

•अखिलेश शुक्ल

सारांश- भारतीय समाज, विकास क्रम के विभिन्न चरणों में बहुआयामी संस्कृति और बदलते हुये उत्पादन सम्बन्धों के साथ अन्तः क्रियारत रहा है। भारतीय समाज की मौलिक एवं परम्पराओं से प्रतिस्थापित संरचना में तीव्र परिवर्तन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ प्रारंभ हुआ है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मूल्य उपनिवेशवादी व्यवस्था से सामंजस्य बनाये रखने में परिवर्तित एवं परिशोधित होते रहे हैं। सामाजिक सुधार आन्दोलनों की प्राथमिकी ने भारतीय समाज में महिलाओं की परम्परागत जीवनशैली को परिमार्जित करने के लिये न केवल परम्परावादियों की मानसिक ग्रंथियों पर आघात किया, अपितु पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित नये मध्यमवर्गीय लोगों में भी सकारात्मक जागरूकता उत्पन्न किया था। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में 18वीं और 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आन्दोलनों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उपनिवेशकालीन भारतीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति एवं उनकी जीवनशैली में परिमार्जन के महत्वपूर्ण प्रयास किये गये थे। बाल-विवाह और सती प्रथा पर प्रतिबन्ध, विधवा विवाह का प्रचलन, विवाह के समय आयु आदि विषयों पर अधिनियम पारित किये गये थे एवं उन्हें प्रभावकारी ढंग से लागू किया गया था। परिणामतः महिलाओं की जीवन शैली में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ।

मुख्य शब्द- जीवन शैली, परिमार्जित, आकांक्षायें, कुरीतियाँ

भारतीय समाज एक जटिल समाज है। भारतीय समाज की इस जटिल संरचना में विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति एवं भाषा के पोषक तत्व विद्यमान हैं। हिन्दू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी आदि विभिन्न धर्मों के लोग इस देश में निवास करते हैं। प्रत्येक धर्म और सम्प्रदाय के मानने वालों के जीवन के तौर-तरीके, रहन-सहन, व्यवहार के ढंग आदि भी भिन्नताओं से परिपूर्ण हैं। इन धार्मिक-समूहों, जातीय स्तरों, आर्थिक श्रेणियों में रहने वाली महिलाओं की जीवन शैली भी अलग-अलग है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से विगत 76 वर्षों में महिलाओं की प्रस्थिति में परिवर्तन आया है, किन्तु अभी इस

• प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (मध्य प्रदेश)

दिशा में अनेक ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रोत्तर काल में महिलाओं में शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ा है और अब पढ़ी-लिखी महिलायें पुरूषों के समान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। आज मंत्रालयों, संचालनालयों, क्षेत्रीय, संभागीय, जिला स्तरीय, उपखण्डों और प्रत्येक प्रशासनिक क्षेत्रों में महिलायें कार्यरत हैं। इन कार्यरत महिलाओं का अधिकांश भाग उन परिवारों से संबंध रखता है जो अभी भी नारी को दोहरे दायित्वों के निर्वहन को उनका कर्तव्य मानता है। परिवार में पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह कार्यरत महिलाओं को ठीक उसी प्रकार करना पड़ता है जैसे कि घर के अन्दर रहने वाली महिलाओं को। इसी तरह जीवन के अनेक क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज समाज 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुका है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के रीवा नगर में शासकीय सेवा में कार्यरत महिलाओं की विधिक एवं सामाजिक जागरूकता का समाजवैज्ञानिक अध्ययन इस शोध पत्र में करने का प्रयास किया गया है।

देश में आधी आबादी महिलाओं की है। अतः देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। इसलिये यह स्वाभाविक है कि महिलाओं को देश के विकास में पुरूषों के समान भूमिका निभाने का अवसर मिलना चाहिये। भारत का वैदिक काल इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, इस काल में "यत्र नार्यस्तु पूज्यंत रमंते तत्र देवता" पर विश्वास किया जाता था। इस युग को नारी की स्थिति के सम्बन्ध में स्वर्ण युग कहा जाता है। प्राचीन काल और मध्य काल में समाज में नारी की स्थिति में परिवर्तन आया। मध्य काल में मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद स्त्रियों की पर्दा प्रथा को और प्रोत्साहन मिला। बाल्य काल में विवाह और बेमेल विवाह जैसी अनेक कुरीतियों का फैलाव हुआ। ब्रिटिश काल में अनेक आन्दोलन हुये और सरकार ने भी सती प्रथा और बाल विवाह को रोकने तथा विधवा विवाह और पति की सम्पत्ति पर अधिकार आदि से संबंधित सामाजिक विधान बनाये। किन्तु इस दिशा में ठोस कदम आजादी के पश्चात् ही उठाये गये। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से विगत 76 वर्षों में महिलाओं की प्रस्थिति में परिवर्तन आया है किन्तु अभी इस दिशा में अनेक ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रोत्तर काल में महिलाओं में शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ा है और अब पढ़ी-लिखी महिलायें पुरूषों के समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। आज मंत्रालयों, संचालनालयों, क्षेत्रीय, संभागीय, जिला स्तरीय, उपखण्डों और प्रत्येक प्रशासनिक क्षेत्रों में महिलायें कार्यरत हैं। इन कार्यरत महिलाओं का अधिकांश भाग उन परिवारों से संबंध रखता है, जो अभी भी नारी को दोहरे दायित्वों के निर्वहन को उनका कर्तव्य मानता है। परिवार में पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह कार्यरत महिलाओं को ठीक उसी प्रकार करना पड़ता है जैसे कि घर के अन्दर रहने वाली महिलाओं को। इसी तरह जीवन के अनेक क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

परम्परागत भारतीय समाज, उपनिवेशकालीन उत्पादन विधा, सामाजिक सुधार आन्दोलनों द्वारा प्रतिस्थापित परिवर्तन और संक्रमणकालीन सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका उल्लेखनीय रही है।[1] विकास के नवीन आयामों में संलग्नता और परिवर्तित सामाजिक मूल्यों से अन्तक्रिया करते हुये महिलाओं की परम्परागत जीवनशैली और प्रस्थिति में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। फलतः उनकी जीवनशैली के प्रतिस्थापित प्रभावमूलक चरों में भी परिवर्तन आया है। आधुनिकता के परिवेश में भारतीय समाज की संस्थागत इकाईयों के प्रकार्यात्मक महत्व में कमी आयी है। धर्म, जाति, जातिगत व्यवसाय, वैयक्तिक एवं सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक अन्तक्रियाएं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, श्रम की दशायें और जीवन-मूल्य के परम्परागत आधार बदल चुके हैं।[2] तात्पर्य यह है कि उपादन विधा में हुये परिवर्तन का प्रभाव सम्पूर्ण सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया पर पड़ रहा है।[3] सामाजिक-आर्थिक विकास के ऐतिहासिक घटना क्रमों के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि विकास के प्रत्येक स्तर पर पुरूषों के साथ-साथ महिलाओं की श्रम सहभागिता आवश्यक रही है।[4] महिलाओं की विभिन्न भूमिकाएं मां और गृहणी के रूप में जिन मूल्यों और प्रतिमानों से जुड़ी हुयी हैं, उनका प्रभाव पारिवारिक विकास पर पड़ता है।[5]

परम्परागत पारिवारिक संरचना में महिलाओं की गृहणी के रूप में सुनिश्चित भूमिका रही है।[6] भारतीय समाज की जातीय व्यवस्था में जातिगत स्तरीकरण में प्रत्येक जाति की महिला की भूमिका, प्रस्थिति, पारिवारिक व्यवस्थापन में सहभागिता, निर्णय निर्माण में उनकी उपादेयता अलग-अलग हो सकती है परन्तु गृहणी के रूप में सभी महिलाओं की भूमिकाएं लगभग एक समान रही है।[7] पश्चिमीकरण एवं संस्कृतिकरण के बढ़ते हुये प्रभाव ने जातीय विशिष्टताओं की मूलभूत प्रकार्यात्मकता को प्रभावित किया है।[8] जातीय बन्धनों के टूटने और शिक्षा के वर्तमान परिवेश ने महिलाओं के जीवन-मूल्यों को सर्वाधिक प्रभावित किया है। साथ ही साथ, जटिल आर्थिक सम्बन्धों में जीवन निर्वाह के साधनों पर स्वामित्व की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धामूलक स्थितियों ने महिलाओं को परिवार से बाहर श्रम के लिये बाध्य किया है।2 महिलायें आधुनिक समाज के प्रत्येक क्षेत्र में सहभागी हो रही है। अक्सर कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन शोषण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में उनको समझ नहीं आता कि वे दोषी के खिलाफ क्या और कैसे कदम उठाएँ। इस तरह का व्यवहार कानूनन अपराध तो है लेकिन रोजमर्रा की बात को थाने ले जाना कई महिलाओं के लिए संभव नहीं है। इस परेशानी को देखते हुए, 1997 में उच्चतम न्यायालय ने 'विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार और अन्य' मामले में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिये।[9] इसके अनुसार, यौन उत्पीड़न है-

- शारीरिक स्पर्श या यौन मित्रता की कोशिश या मांग
- यौन सम्बन्ध स्थापित करने की मांग या अनुरोध
- यौन सम्बन्धी टिप्पणी या मजाक
- अश्लील पुस्तक या चित्र दिखाना

- किसी भी तरह का यौन सम्बन्धी अनचाहा व्यवहार

यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए-

- यौन उत्पीड़न की मनाही यथोचित तरीकों से प्रकाशित, सूचित व वितरित की जाना आवश्यक है।
- सरकारी व पब्लिक क्षेत्र के कर्मचारियों पर लागू होने वाले नीति-नियमों और निर्देशों में यौन उत्पीड़न की मनाही और उसके लिए दण्ड के प्रावधानों की जानकारी भी प्रकाशित की जानी चाहिए
- निजी संस्थानों के स्थायी आदेश (स्टैंडिंग आर्डर) में भी ऐसा प्रावधान होना चाहिए।

महिलाओं के लिए उपयुक्त सुविधाएँ देनी आवश्यक हैं, जिससे उन्हें अपनी परिस्थिति में कोई कमी महसूस न हो। यदि किया गया व्यवहार भारतीय दण्ड संहिता या किसी अन्य कानून में अपराध हो तो मालिक का दायित्व है कि उचित कार्यवाही की जाए। यह भी दायित्व है कि कार्यवाही के दौरान पीड़ित व्यक्ति या गवाहों पर किसी तरह का दबाव या असमान व्यवहार न हो। पीड़ित व्यक्ति यौन शोषण करने वाले का या अपना स्थानांतरण (ट्रांसफर) की मांग कर सके। जहाँ ऐसा व्यवहार नीति-निर्देशों या नियमों के विरूद्ध हो, वहाँ उचित कार्यवाही करनी होगी। कोई नीति-निर्देश या नियम ना भी हो, तो भी शिकायतों की जाँच के लिए कोई व्यवस्था करनी जरूरी है। ऐसी व्यवस्था जहाँ संभव हो एक शिकायत समिति गठित करके की जाएगी। इस शिकायत समिति की मुखिया एक महिला होनी चाहिए और कम से कम आधे सदस्य महिलाएँ होनी चाहिए। इसके अलावा किसी तीसरे पक्ष को इसमें शामिल करना जरूरी है। यह किसी गैर-सरकारी संस्था का सदस्य या यौन उत्पीड़न के विषय से परिचित व्यक्ति होना चाहिए। यह शिकायत समिति संबंधित सरकारी विभाग को सालाना रिपोर्ट देगी, जिसमें शिकायतें और उन पर उठाए गए कदमों का ब्यौरा होगा। कर्मचारियों को अपनी बैठकों व अन्य मंचों पर यौन उत्पीड़न के विषय पर चर्चा करने की छूट होगी। इस विषय में महिला कर्मचारियों की जानकारी बढ़ाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिऐं। यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कार्यस्थल पर यौन हिंसा की जाए तो मालिक उसकी रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएंगे।

अध्ययन के उद्देश्य- वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य कार्यरत महिलाओं में विधिक एवं सामाजिक चेतना की स्थिति ज्ञात करना है।

अध्ययन पद्धत्ति- इस सन्दर्भ में शोध की गहनता कार्यरत महिलाओं को निदर्श के रूप में चयनित करके उनकी संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाईयों के अन्वेषण से जुड़ी हुई है। रीवा नगर में कार्यरत महिलाओं में से 200 का चयन इस पद्धति द्वारा किया गया है। चयन करते समय कार्यरत महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति को ध्यान में रखा गया है। चयन की गई महिलाओं का संख्यात्मक विवरण नीचे तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है।

तालिका क्रमांक 01
निदर्श के रूप में चयनित कार्यरत महिलायें

आय स्तर	मासिक आय	निदर्श के रूप में चयनित कार्यरत महिलायें	
		संख्या	प्रतिशत
निम्न आय स्तर	5,000 रू. से कम	66	33
मध्य आय स्तर	5,000 रू. से 10,000 रू.	95	47.5
उच्च आय स्तर	10,000 रू. से अधिक	39	19.5

उक्त स्थिति को नीचे पाई डायग्राम में प्रस्तुत किया जा रहा है।

रेखा चित्र क्रमांक 01
निदर्श के रूप में चयनित कार्यरत महिलायें

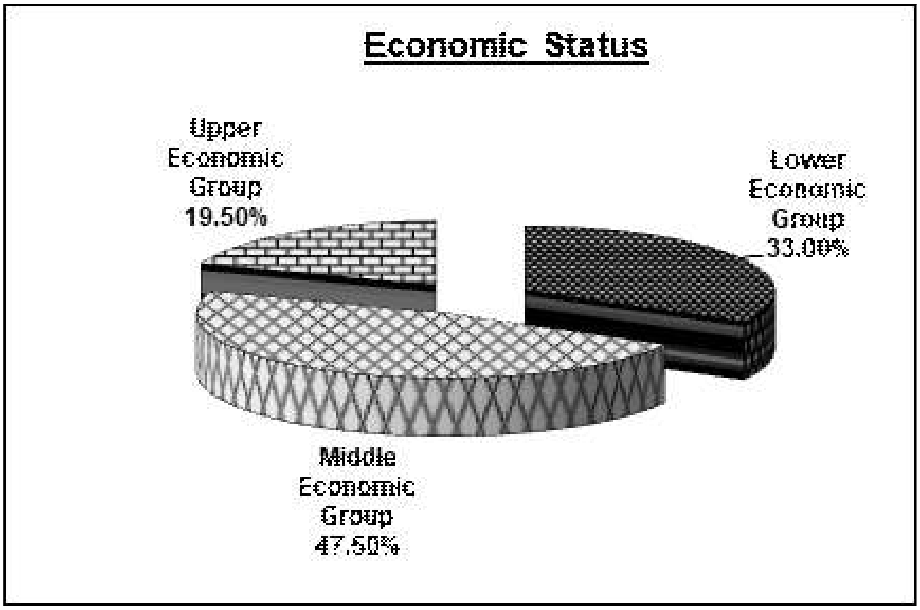

सामाजिक दृष्टि से निदर्श के रूप में चयनित कार्यरत महिलाओं की प्रस्थिति निम्नवत् है।

तालिका क्रमांक 02
सामाजिक दृष्टि से निदर्श के रूप में चयनित कार्यरत महिलायें

सामाजिक प्रस्थिति	निदर्श के रूप में चयनित कार्यरत महिलायें	
	संख्या	प्रतिशत
विवाहित	140	70
अविवाहित	40	20
विधवा/परित्यक्ता	20	10

रेखा चित्र क्रमांक 02
सामाजिक दृष्टि से निदर्श के रूप में चयनित कार्यरत महिलायें

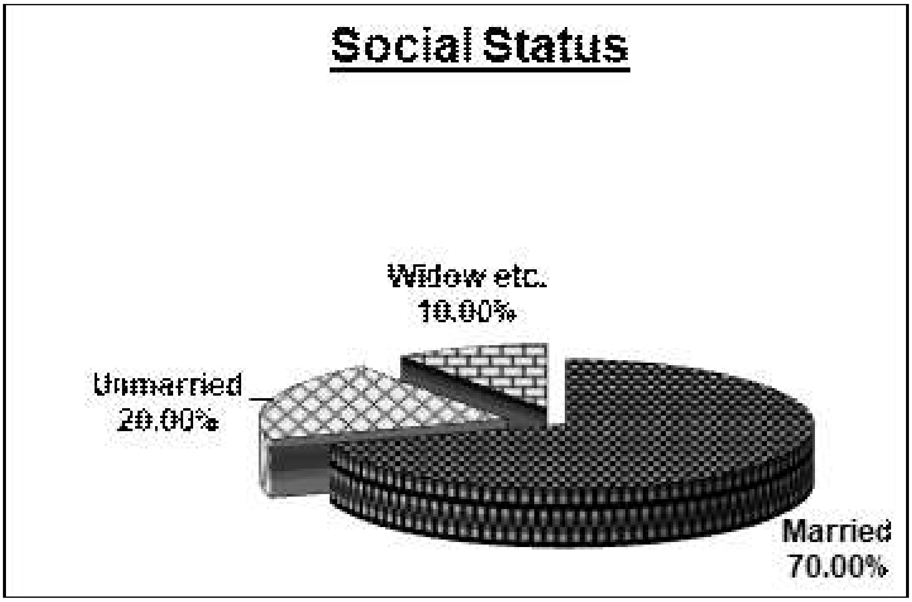

सामाजिक चेतना के प्रति अभिमत-नगरीय क्षेत्र में कार्यरत होने के कारण यह विश्वास किया जाता है कि महिलाओं में सामाजिक जागरूकता विकसित होगी। प्रसिद्ध समाजवैज्ञानिक प्रो. एम.एन. श्रीनिवास ने भारत में जातियों के अस्तित्व के संदर्भ में अपन मत व्यक्त करते हुये लिखा है कि, सभी को यह जान लेना चाहिये कि इस देश में एक अल्प मत के थोड़े से लोग हैं, जिनकी संख्या मुट्ठी भर है जो सशक्त हो सकते हैं। इस मत के लोग वास्तव में कामना करते हैं कि जाति प्रणाली समाप्त हो जाये। जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग, विशेष रूप से हिन्दू, यह नहीं चाहते कि जातिवाद समाप्त हो पर उनके लिये शायद एक जाति-विहीन-समाज की कल्पना करना भी असंभव है। ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले अधिकांश लोगों के लिये जाति से तात्पर्य आसपास के कुछ गाँवों में रहने वाले सगोत्री और श्वसुर पक्ष के रिश्तेदारों से ही होता है। हमारे समाज में संयुक्त परिवार तथा जाति से व्यक्ति को कतिपय ऐसे लाभ मिल जाते हैं जो औद्योगिक रूप से विकसित पश्चिम के देशों में एक कल्याणकारी राज्य में किसी व्यक्ति को मिलते हैं। प्रारंभ में किसी व्यक्ति के मित्र उसकी जाति के ही होते हैं, उसके रिश्तेदार भी उसकी जाति के होते हैं और ये सब लोग उसके परिचय के दायरे में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि जाति स्वायत्तता का प्रतिनिधित्व न भी करे तो भी एक हद तक सांस्कृतिक एकरूपता का तो करती ही है।

निश्चित अर्थ में भारत जाति-प्रथा का आगार है और यहां शायद ही कोई सामाजिक समूह ऐसा हो जो इसके प्रभाव से अपने को मुक्त रख सका हो। मुसलमान और ईसाई तक भी इसके पंजे में फँस चुके हैं; चाहे उसका स्वरूप ठीक वैसा न हो जैसा हिन्दुओं में है। दूसरी बात यह है कि प्रारंभ में जाति-प्रथा इतनी जटिल न थी जितनी की

बाद में हुई। समय के परिवर्तन के साथ इसका स्वरूप भी परिवर्तित होता गया और अन्त में यह न केवल जटिल बल्कि विचित्र भी हो गई। आज भारतवर्ष में लगभग 3000 जातियाँ और उपजातियाँ हैं और उनके अध्ययन के लिये, जैसा कि श्री हट्टन का कथन है, विशेषज्ञों की एक सेना की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि असंख्य विद्वानों ने इस जाति-प्रथा के संबंध में अनेक गंभीर विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। इन विद्वानों में इतिहासकारों का उल्लेख सर्वप्रथम किया जा सकता है, जिन्होंने जातिप्रथा को ऐतिहासिक घटनाओं के साथ जोड़कर विभिन्न युगों में इसमें होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डाला है। इसके बाद इण्डोलाजिस्टों ने व्याख्यात्मक रूप में जाति-प्रथा को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। इतना ही नहीं, भारतीय जनगणना आयुक्त, अंग्रेज मिशनरियों तक ने भारतीय जाति-प्रथा को अछूता नहीं रखा और अपने-अपने दृष्टिकोण से जाति-प्रथा की विचित्रता और महत्ता को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। इनके अध्ययन व विश्लेषण तथा निरूपण में अनेक त्रुटियां हैं और इन त्रुटियों को दूर करने का उत्तरदायित्व स्वभावत: ही सामाजिक वैज्ञानिकों पर आ पड़ा है। फलत: अनेक समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों ने वैज्ञानिक आधार पर भारतीय जाति-प्रथा को समझने और समझाने का प्रयास किया है। समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों ने इस जाति-प्रथा का विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन करने का प्रयत्न किया है। कुछ विद्वानों ने जाति-प्रथा की उत्पत्ति को समझाया है, तो कुछ ने जाति-प्रथा की गतिशीलता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये आधुनिक समय में जाति-प्रथा में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण किया है। ऐसे भी अनेक विद्वान हैं जिन्होंने हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में जाति-प्रथा के महत्व या कार्यों का निरूपण किया है, फिर भी सम्पूर्ण भारतीय जाति प्रथा का पूर्ण विश्लेषण व निरूपण पूर्ण रूप से आज भी नहीं किया जा सका है। जाति मुख्यत: जन्म के आधार पर सामाजिक संस्तरण और खण्ड विभाजन की वह गतिशील व्यवस्था है जो खाने-पीने, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवासों के सम्बन्ध में अनेक या कुछ प्रतिबन्धों को अपने सदस्यों पर लागू करती है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि जाति व्यवस्था गतिशील है और इसके प्रतिबन्ध भी अन्तिम नहीं हैं। जाति व्यवस्था विगत सौ या उससे अधिक वर्षों के दौरान जाति-संस्था का प्रभाव नये कार्य क्षेत्रों में फैला है। जिस ढंग से अंग्रेजों ने भारतवासियों को सत्ता सौंपी उससे जाति को राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने में सुविधा हुई है। स्वतंत्र भारत में जनता के पिछड़े वर्ग, विशेषत: अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सुरक्षा के लिये संविधान में जो प्रावधान किये गये उससे जातिवाद को नया जीवन प्राप्त हुआ है। साथ ही यह कहने की विशेष जरूरत नहीं कि ये प्रावधान अधिकांश राजनीतिक दलों द्वारा जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है, जाति-विहीन-समाज के लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य का जो प्रचार किया जाता है उससे ठीक उलटे हैं।

अंग्रेजों के भारत में आने के पहले भारत की राजनीतिक व्यवस्था में यह बात साफ दिखाई देती है कि तब राज्यों के क्षेत्र बिखरे हुये थे, एक मुखिया या राजा का इलाका दूसरों के इलाकों से अलग रहता था। सामान्यत: ऐसे मुखिया या राजा के ऊपर

कोई सम्राट स्वयं या उसका सूबेदार रहता था और मुखिया के नीचे भी सरदार रहते थे। मुखिया या राजा के इलाके की सीमायें हमेशा बदलती रहती थीं। सीमा वृद्धि या सीमा संकुचन का यह परिवर्तन उस मुखिया या राजा की सैन्य-शक्ति पर निर्भर करता था और इस पर भी कि सूबेदार या सम्राट इन मुखियाओं पर अपना नियंत्रण कितनी दृढ़ता से रखता है। यद्यपि कालान्तार से ये सीमाएँ परिवर्तित होती थीं तथापि किसी एक समय में ये सीमाएँ ही अलग-अलग मुखियों के अधीन प्रदेश की जनता के बीच दीवार बन जाती थी। अत: स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था जातिगत संबंधों के समस्तरीय प्रसार को दृढ़ता से रोकती थी। संक्षेप में कहा जाये तो एक ही क्षेत्र के अन्दर रहने वाली प्रत्येक जाति के बहुत अधिक नहीं तो थोड़े बहुत प्रभावकारी सामाजिक विस्तार की निर्णायक राजनीतिक सीमाएँ होती थीं।1 किसी खास दौर में सीमाएँ बदलती रहीं, इस तथ्य का अर्थ यह है कि उस समय विद्यमान राजनीतिक सीमाओं के आर-पार सांस्कृतिक बंधन बार-बार टूटते थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने सांस्कृतिक तथा राजनीतिक सीमाओं की अनुरूपता को सुस्पष्ट रूप से मान्य किया है। सांस्कृतिक तथा राजनीतिक सीमाओं की यह अनुरूपता भारतीय इतिहास में कुल मिला कर एक नयी घटना है।

राजनीतिक व्यवस्था द्वारा जातियों के समस्तरीय प्रसार की प्रवृत्ति पर क्षेत्रीय-सीमा के आरोपित करने का स्वाभाविक नतीजा यह हुआ कि एक ही क्षेत्र में रहने वाली अनेक जातियाँ एक-दूसरे के साथ सहयोग करने के लिये प्रेरित हुई। व्यवसायगत विशिष्टता ने भी परस्पर निर्भर रहने को मजबूर किया क्योंकि हर जाति अपनी आजीविका के लिये दूसरी जातियों पर निर्भर रहती थी और फिर एक जाति का हर सदस्य दूसरी जातियों द्वारा दी जा रही सुविधाओं तथा फायदों को पाने का इच्छुक था और इसका साफ मतलब यह है कि एक जाति के सदस्यों के संबंधों में विरोध रहता था। आर्थिक बंधनों द्वारा जातीय अवरोधों को काटने की इस प्रवृत्ति को राजनीतिक तथा धार्मिक बंधनों द्वारा समर्थन मिला। अंग्रेजी राज्य की स्थापना होने से जातियाँ उन सीमाई बंधनों से मुक्त हो गयीं जो पहले की राजनीतिक व्यवस्था से लगी थे। इस तरह अंग्रेजी राज्य ने जाति रूपी उस जिन्न को बोतल से मुक्त कर दिया। पूरे भारत में सड़कों के निर्माण, रेलें, डाक-तार, सस्ते कागज और छपाई विशेषकर क्षेत्रीय भाषाओं में चालू हो जाने से जातियों का जैसा संगठन संभव हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। जाति की बैठक की खबर एक पोस्टकार्ड से दी और जब जरूरत हुई दूर गांवों में बैठे जाति के सदस्य रेलों में बैठ कर आये और एक जगह एकत्रित हो गये। और सस्ते अखबारी कागज मिलने लगे जिससे जातीय पत्रिकाओं को चालू करना सरल हो गया। इन पत्रिकाओं का उद्देश्य था, अपनी-अपनी जातियों के हितों को बढ़ावा देना। साधारणत: यह कहा जाता है कि रेल और कारखानों ने खाने-पीने और सम्पर्क के अन्य तरीकों को लेकर पवित्रता-अपवित्रता के नियमों को कमजोर बनाया है, पर यह एकतरफा बयान है। सस्ता कागज मिलने से जातीय झगड़ों को लेखबद्ध किया जाने लगा और इससे नियमों और पुराने मामलों को स्थायी स्वरूप मिल गया जो पहले सिर्फ बड़े-बूढ़ों की

याददाश्त पर निर्भर रहते थे जिसमें भूल–चूक होती थी और जिसे जब चाहे चुनौती दी जा सकती थी।

स्वतंत्र भारत में जातिवाद का प्रभाव कम होने के बजाय विस्तृत हुआ है। समाजवैज्ञानिक यह मानते हैं कि अब जातियों का राजनैतिकीकरण हो गया है। एक अध्ययन में राम आहूजा ने पाया है कि सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति जाति व्यवस्था के परिपोषक नहीं होते हैं। नगरीय परिस्थिति, परिवेश एवं वातावरण में रहने वाले व्यक्ति जाति व्यवस्था को अधिक अहमियत नहीं देते हैं जबकि परम्परागत दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति जाति व्यवस्था को अधिक महत्व देते हैं। रीवा नगर की कार्यरत महिलाओं की जाति व्यवस्था के प्रति भावना का अध्ययन करते हुये निम्नवत् तथ्य सामने आये हैं।

तालिका क्रमांक 03
जाति व्यवस्था के प्रति अभिमत

उत्तरदात्री कार्यरत महिलायें	संख्या	जाति व्यवस्था			
		समर्थक		समर्थक नहीं	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
विवाहित	140	80	57.2	60	42.8
अविवाहित	40	20	50	20	50
विधवा/परित्यक्ता	20	10	50	10	50
योग	200	110	55	90	45

रेखा चित्र क्रमांक 03
जाति व्यवस्था के प्रति अभिमत

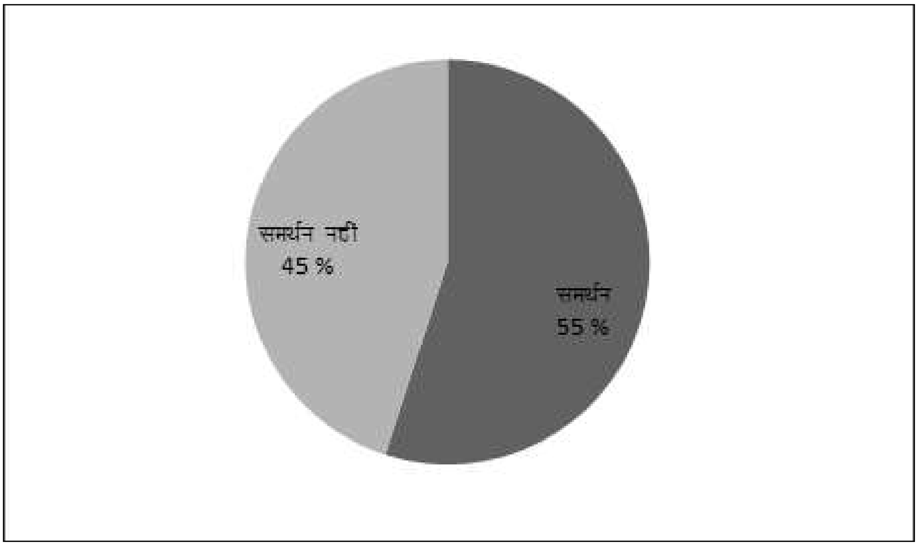

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 50 प्रतिशत से अधिक महिलायें जाति व्यवस्था की परिपोषक पाई गई हैं। वे जाति व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहती हैं। 45 प्रतिशत महिलायें जातिवाद की समर्थक नहीं पाई गई हैं। वे जाति व्यवस्था में परिवर्तन चाहती हैं। विवाहित कार्यरत महिलाओं की जातिवादी भावना में अविवाहित एवं विधवा

तथा परित्यक्ता महिलाओं की भावना में अंतर पाया गया है। विवाहित कार्यरत महिलाओं में जातिवादी भावनायें अधिक पाई गई हैं उनमें 57.2 प्रतिशत जाति व्यवस्था की समर्थक पाई गई हैं। अत: यह कहा जा सकता है कि महिलाओं में अधिकांश जाति व्यवस्था के प्रति आस्था रखती हैं।

कार्यरत महिलाओं में विधिक चेतना- स्वतंत्रोत्तर भारत में महिलाओं के हित में अनेक विधियों का निर्माण किया गया है। कार्यरत महिलाओं के लिये भी उन अधिनियमों में विशिष्ट व्यवस्थायें की गयी हैं। शासकीय नियमों में भी कार्यरत महिलाओं को अनेक सुविधायें प्रदान की गई हैं जैसे प्रसूति अवकाश आदि। म.प्र. में महिला विकास नीति स्वीकृति की गई है, जिसके माध्यम से महिलाओं के विकास के लिये अनेक सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है। इस अध्ययन में कार्यरत महिलाओं से इन अधिनियमों, नियमों, नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी के संदर्भ में तथ्य एकत्रित किये गये हैं। इन तथ्यों की जानकारी निम्न तालिका में देते हुये उनका विश्लेषण आगे प्रस्तुत किया जा रहा है।

तालिका क्रमांक 04

कार्यरत महिलाओं को विधिक अधिकारों की जानकारी

क्र.	महिलाओं के संरक्षण सम्बन्धी	उत्तरदात्री कार्यरत महिलायें (200)					
		विवाहित (140)		अविवाहित (40)		विधवा/परित्यक्ता (20)	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	संवैधानिक प्रावधान	98	70	30	75	10	50
2.	न्यूनतम वेतन अधिनियम	112	80	35	87.5	10	50
3.	प्रसूति सुविधायें	140	100	20	50	15	75
4.	गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम	84	60	10	25	10	50
5.	भरण-पोषण सम्बन्धी विधियाँ	84	60	10	25	20	100
6.	विवाह सम्बन्धी विधियाँ	98	70	25	62.5	20	100
7.	तलाक प्राप्त करने सम्बन्धी विधिक जानकारी	70	50	20	50	20	100
8.	सम्पत्ति के अधिकार सम्बन्धी विधिक जानकारी	84	60	30	75	15	75
9.	दहेज प्रतिबन्ध अधिनियम की जानकारी	112	80	35	87.5	15	75
10.	यौन उत्पीड़न को रोकने सम्बन्धी विधिक प्रावधानों की जानकारी	98	70	30	75	10	50
11.	महिला विकास नीति की जानकारी	84	60	20	50	10	50

उक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि कार्यरत महिलाओं को उनके संरक्षण हेतु किये गये संवैधानिक प्रावधानों, निर्मित विधियों, दिशा-निर्देशों एवं महिला विकास नीति की जानकारी पूरी तरह नहीं है। उत्तरदात्री कार्यरत महिलाओं द्वारा साक्षात्कार के दौरान बताये गये तथ्यों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। संवैधानिक प्रावधानों के बारे में अभी भी 30 प्रतिशत विवाहित, 25 प्रतिशत अविवाहित तथा 50 प्रतिशत

विधवा/परित्यक्ता कार्यरत महिलायें अनभिज्ञ हैं। इस स्थिति को पाई डायग्राम में प्रस्तुत किया जा रहा है।

रेखा चित्र क्रमांक 05

कार्यरत महिलाओं को विधिक अधिकारों की जानकारी

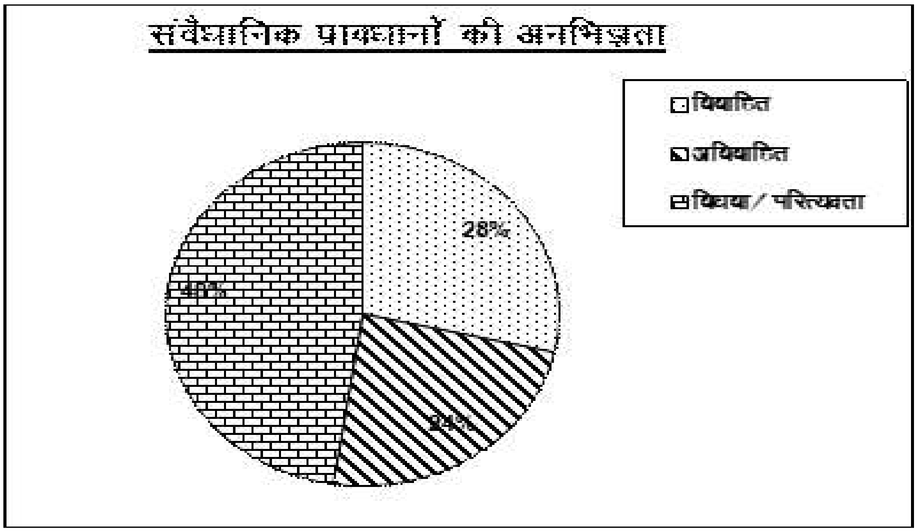

न्यूनतम वेतन अधिनियम के बारे में 80 प्रतिशत विवाहित, 87.5 प्रतिशत अविवाहित तथा 50 प्रतिशत विधवा/परित्यक्ता कार्यरत महिलाओं को जानकारी है जबकि 20 प्रतिशत विवाहित, 12.5 प्रतिशत अविवाहित तथा 50 प्रतिशत विधवा/परित्यक्ता कार्यरत महिलायें इस अधिनियम के बारे में अपनी अनभिज्ञता प्रकट करती हैं। प्रसूति सुविधायें के सम्बन्ध में शत प्रतिशत विवाहित महिलायें जानकारी रखती हैं जबकि इसकी जानकारी कार्यरत अविवाहित 50 प्रतिशत महिलाओं तथा 25 प्रतिशत विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को नहीं है। केवल 50 प्रतिशत अविवाहित तथा 75 प्रतिशत विधवा/परित्यक्ता महिलायें ही इन सुविधाओं के बारे में जानती हैं।

गर्भ के चिकित्सकीय समापन के अधिनियम के सम्बन्ध में 60 प्रतिशत विवाहित, 25 प्रतिशत अविवाहित तथा 50 प्रतिशत विधवा/परित्यक्ता कार्यरत महिलाओं को जानकारी है। शेष कार्यरत महिलाओं को इनकी जानकारी नहीं है। भरण-पोषण सम्बन्धी विधियों की जानकारी 60 प्रतिशत विवाहित, 25 प्रतिशत अविवाहित तथा शत-प्रतिशत विधवा/परित्यक्ता कार्यरत महिलाओं को है।

विवाह सम्बन्धी विधियों की जानकारी 70 प्रतिशत विवाहित, 62.5 प्रतिशत अविवाहित तथा शत-प्रतिशत विधवा/परित्यक्ता कार्यरत महिलाओं में पायी गयी है। इसी तरह तलाक प्राप्त करने सम्बन्धी विधिक जानकारी 50 प्रतिशत विवाहित तथा अविवाहित एवं शत-प्रतिशत विधवा/परित्यक्ता कार्यरत महिलाओं में पायी गयी है। सम्पत्ति के अधिकार सम्बन्धी विधिक जानकारी 60 प्रतिशत विवाहित, 75 प्रतिशत अविवाहित तथा विधवा एवं परित्यक्ता कार्यरत महिलाओं को है। दहेज प्रतिबन्ध

अधिनियम की जानकारी 80 प्रतिशत विवाहित, 87.5 प्रतिशत अविवाहित तथा 75 प्रतिशत विधवा/परित्यक्ता कार्यरत महिलाओं में पायी गयी है। यौन उत्पीड़न को रोकने सम्बन्धी उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों एंव विधिक प्रावधानों के सम्बन्ध में 70 प्रतिशत विवाहित, 75 प्रतिशत अविवाहित तथा 50 प्रतिशत विधवा/परित्यक्ता कार्यरत महिलायें जानती हैं। महिला एवं विकास नीति की जानकारी केवल 60 प्रतिशत विवाहित, 50 प्रतिशत अविवाहित तथा विधवा/परित्यक्ता कार्यरत महिलाओं में पायी गयी है।

आवश्यकता इस बात की है, इन संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों की जानकारी प्रत्येक महिला को होनी चाहिये, विशेष रूप से कार्यरत महिलाओं को तो इनका ज्ञान होना ही चाहिये। यहाँ हम संवैधानिक प्रावधानों, विधिक प्रावधानों एवं महिला विकास नीति का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं।

भारतीय संविधान भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय प्रदान करने की मंशा की घोषणा करता है। हमारे देश के सभी कानून हमारे संविधान द्वारा अधिकृत होते हैं। भारत में महिलाओं को पुरूषों के समान समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा शोषण के विरोध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। इस तरह संविधान महिलाओं और पुरूषों में भेदभाव मिटाने की मंशा रखता है। महिलाओं को पारम्परिक रूप से प्रताड़ित किये जाने वाले अन्याय को समाप्त करने के लिए संविधान, सरकार को महिलाओं के हित में विशेष नियम बनाने की अनुमति देता है। संविधान यह उम्मीद रखता है कि सरकार महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए विशेष प्रयत्न करेगी। मूल अधिकारों में समानता के अधिकार का महिलाओं के लिए विशेष महत्व है। समानता के अधिकार के अनुसार महिलाओं को पुरूषों के साथ सार्वजनिक नौकरियों में समान अधिकार हैं तथा समान वेतन का अधिकार है। यदि किसी महिला के मूल अधिकारों की अवहेलना हो तो वो कानून की मदद ले सकती हैं। इस तरह के केस हाईकोर्ट (उच्च न्यायालय) अथवा सुप्रीम कोर्ट (उच्च्तम न्यायालय) में दायर किये जा सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. Gore, M.S., 'Urbanization and Family Change', Popular Prakashan, Bombay, 1968 cited by Rai S., Women Labour, page 11.
2. Conklin, G.H., 'Secularization and Economic Development in India: An Exploratory Study', Asian Survey, Vol. 14, pages 418-428.
3. Kapadia, K.M., 1966. Marriage and Family in India, Oxford University Press, Bombay, cited by Rai Saroj, opp. cited, page 11.
4. Upadhyay, N. and R. Pandey, 1990, Women in India: Past and Present, Chug Publication, Allahabad, pages 43-50.
5. Desai, A.R. 1966, Social Background of Indian Nationalism, Bombay.
6. Ibid.
7. Thomas, M.M., 1991, Tradition and Modernity in Development of People, Mainstream, Vol. 29, No. 14, (26 January), pages 39-43.

8. Mies, M. 1980, Capitalist Development and Subsistence Production: Rural Women in India, Bulletin of Concerned Asian Scholars, Vol. 12, No. 1, pages 2-14.

9. 'विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार और अन्य' मामले में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 39, Hindi Edition, Year-20, July- Dec. 2023

संचार मीडिया के सिद्धान्त

• संदीप कुमार तिवारी
•• छवि कुमार

सारांश- वर्तमान ज्ञान समाज में संचार एवं संचार माध्यमों का प्रभाव के क्षेत्र का विस्तार मानव जीवन के विविध पक्षों में अत्यन्त गंभीर एवं तीक्ष्ण आघात कर रहा है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में मानव जीवन का कोई भी पक्ष इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध काल से जन संचार के स्वरूप में आये परिवर्तनों नें अपनें आयामों को तीव्रता से विस्तारित किया समाज वैज्ञानिकों के द्वारा संचार माध्यमों के संबंध में अनेंक सैद्धान्तिक विश्लेषण प्रस्तुत किए गये हैं। प्रस्तुत पत्र संचार के कुछ प्रमुख समाजशास्त्रीय सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यो पर केन्द्रित है। इसके अंतर्गत संचार के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य, प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य, प्रघटनाशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, नव-मार्क्सवादी सिद्धांत एवं उत्तर आधुनिकतावादी परिप्रेक्ष्य को शामिल किया गया है।

मुख्य शब्द- संचार, जन संचार माध्यम, संचार में विभिन्न स्वरूपों का आगमन, संचार मीडिया के सिद्धान्त बुलेट सिद्धान्त, व्यक्तिगत (द्वि चरणीय प्रवाह) प्रभाव सिद्धान्त, बहु चरणीय प्रवाह सिद्धान्त, संतुष्टि सिद्धान्त, संवर्धन सिद्धान्त (कल्टीवेशन थ्योरी)

सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य- संचार के साधनों ने समाजशास्त्र अंतर्गत सामाजिक संस्तरण, सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक गतिशीलता लानें में विेष भूमिका निभाई है। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक संबंधो, सामाजिक संरचना एवं प्रकार्यों तथा संगठनों में होने वाले परिवर्तनों से है। आदिम, परंपरागत, ग्रामीण एवं सरल समाजों में सामाजिक गतिशीलता बहुत कम पाई जाती है। इसकी तुलना में आधुनिक, जटिल, नगरीय एवं औद्योगिक समाजों में सामाजिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है। आदिम, ग्रामीण, एवं परम्परात्मक समाजों में धर्म, नातेदारी, रीतियाँ, जनरीतियाँ, जाति प्रथा तथा परम्पराओं की पकड़ सुदृढ़ एवं मजबूत होती है, वहां विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नित नए प्रयोग नहीं होते तथा जीवन में स्थिरता पायी जाती है, अतः परिवर्तन एवं गतिशीलता के अवसर कम ही उपलब्ध होते है।

संचार माध्यमों की प्रभावशीलता- समाजशास्त्रीय सैद्धान्तिक सन्दर्भ में आदिम एवं ग्रामीण समाज प्रदत्त उन्मेष से चालित होते है जिसमें जन्म एवं परम्परा से प्राप्त प्रस्थितियों का कठोरता से पालन किया जाता है। ऐसे उन्मेष के समाज को ही बंद समाज के रूप में

• शोध छात्र, समाजशास्त्र, मंगलायतन विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
•• प्राध्यापक (समाजशास्त्र), निदेशक

भी स्वीकार किया जाता है। सामाजिक व्यवस्था अखंड नहीं है अपितु हरेक समाज में पदों का एक स्तरीकरण या संस्तरणात्मक व्यवस्था होती है इन स्तरों या संस्तरों में परिवर्तन के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संचार के साधनों के कारण अनेंक परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं।

संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य- संचार के संरचनात्मक अध्ययन के माध्यम से संचार प्रक्रिया और इसके अंगों का अध्ययन किया जाता है। इसके द्वारा संचार माध्यमों की आंतरिक संरचना में संलग्न अंगों के पारस्परिक आदान-प्रदान पर ध्यान देते हुए यह खोज की जाती है कि संचार व्यवस्था को व्यवस्थित और सरलतम तथा उपयोगी स्वरूप किस तरह प्रदान किया जा सकता है। (दोषी एस.एल, 2010)

प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य- इस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत यह ध्यान दिया जाता है कि संचार की प्रक्रिया द्वारा सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न अंगो अथवा खण्डो के मध्य व्यवस्था एवं अनुकूलन को किस तरह बनाए रखा जा सके जिसके आधार पर समाज में सामंजस्य, समायोजन तथा अनुकूलन बना रहे तथा विभिन्न उपव्यवस्थाओं में व्याप्त समस्याओं के समाधान में अन्य उपव्यवस्थाओं के प्रकार्यों को निरूपित किया जा सके। (मर्टन, आर. के.,1968)

मीडिया (संचार) के तीन प्रकार्यों को लॉसवेल नें महत्वपूर्ण माना है, यथा पर्यावरण की निगरानी, पर्यावरण के लिये जिम्मेदार समाज के भाग के साथ सहसंबंध बनाना और सामाजिक उत्तरदायित्व को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना। जबकि चार्ल्स व्हाइट ने मनोरंजन को जनसंचार माध्यम के एक महत्वपूर्ण प्रकार्य के रूप में स्वीकार किया है। हैबरमास, डेनियल मैक्युवेल, और मार्शल मैक्लुहन नें ज्ञान के प्रसार, वैश्वीकरण, आर्थिक वृद्धि, जागरूकता, सूचना तंत्र, सांस्कृतिक प्रसार आदि को महत्वपूर्ण प्रकार्या के रूप में निरूपित किया है।

प्रघटनाशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य- यह परिप्रेक्ष्य मूलतः किसी भी समाज के घटनाओं की गुणात्मक अध्ययन पद्धति है जो समाज में मानवों के ज्ञान पर आधारित है। वर्तमान सूचना समाज में व्यक्तियों के ज्ञान संवर्धन के कम में किसी भी घटना में संलग्नता तथा उसकी समझ की प्रकृति दिखाई देता है। इस कारण मीडिया की उपस्थिति जहाँ एक महत्वपूर्ण प्रघटना है, मीडिया की यांत्रिकता से मनुष्य की संबंधता और अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। अतः व्यक्ति के जीवित जीवन में आने वाले परिवर्तन के लिए मीडिया की प्रभावशीलता का वास्तविक विश्लेषण इस पद्धतिशास्त्र से ही सम्भव है।

मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य- असमान वितरण के कारण समाज में व्याप्त विभिन्नताओं नें अनेक विभेदीकृत वर्गों का निर्माण किया है। संचार मीडिया के द्वारा 'ज्ञान' की प्राप्ति से जुड़े हुए विभिन्न आयामों तक उच्च वर्ग की पहुँच होने के कारण उच्च वर्ग के द्वारा जीवन के नवीन क्षेत्रों में भी वितरण की असमानता का तीक्ष्ण रूप दिखाई देता है। मीडिया संसाधनों के क्रय से लेकर साधनों की गुणवत्ता, मीडिया की प्रकृति, अंतर्वस्तु, समय एवं मीडिया श्रोत तक पहुँच में प्रभावशाली/उच्च तथा निम्न वर्ग के मध्य व्यापक अंतर है जिसके कारण उच्च वर्ग के द्वारा मीडिया का प्रयोग करते हुए अपने प्रभावमंडल में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है। और विभिन्न क्षेत्रों में अभावगृस्तता की नवीन परिभा'ााएँ दिखाई दे रहीं है। इस तरह मीडिया के मार्क्सवादी सिद्धान्त के द्वारा मीडिया के व्यापक

प्रयोग, स्वामित्व वर्ग निर्माण, अर्थ, शक्ति, सत्ता तथा ज्ञान पर प्रचुरता से आधिपत्य के बनने की व्याख्या सम्भव होती है।

नव-मार्क्सवादी सिद्धांत- यह परिप्रेक्ष्य मीडिया के द्वारा विभिन्न आयामों पर उच्च एवं निम्न जनसमूह के बीच विभिन्न फलकों पर उठ रहे वैमनस्यता (सरकार एवं समाज के मध्य, पूंजीपति एवं श्रमिकों के मध्य, विभिन्न उपक्रम-सेवा प्रदायक एवं सेवा प्राप्त करने वाले के मध्य, संसाधन युक्त एवं संसाधनहीन व्यक्ति के मध्य, शक्तियुक्त एवं शक्तिहीन व्यक्ति के मध्य आदि आदि) के मध्य मध्यस्थता के लिए एक सूत्र के रूप में व्याख्या को उन्मेशित करता है। इसमें जनसामान्य के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अन्य प्रभावशाली व्यक्ति के मध्य उसके आदान प्रदान को महत्वपूर्ण माना गया है। आज किसी भी समस्या की जानकारी अथवा समाधान के लिए सोशल मीडिया का उपयोग व्यक्ति स्वयं और विभिन्न शासकीय/गैर शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्थाओं द्वारा प्रमुखता के साथ किया जा रहा हैं। स्पष्ट है कि संचार माध्यमों के अध्ययन में नव-मार्क्सवादी परिप्रेक्ष महत्वपूर्ण उपागम के तौर पर परिलक्षित हो रहा है। (हैबरमास. जे. 1974)

उत्तर आधुनिकतावादी परिप्रेक्ष्य- इस परिप्रेक्ष्य में ज्ञान को शक्ति का स्रोत माना गया है मीडिया ज्ञान के सृजन में अत्यन्त सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर रही है । इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार मीडिया के अति यर्थाथतावादी, व प्रतिकृतिवादी प्रकृति को विलोपित करने की वकालत की जाती है। यह परिप्रेक्ष्य मीडिया के प्रकृति एवं अंतर्वस्तु पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है तथा नवीन मीडिया के दुष्परिणामों को स्पष्ट करनें में सहायक है।

संचार क्या है- संचार का अर्थ है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना या (संप्रेषण के अर्थ में) भेजना। इस प्रकार संचार प्रक्रिया को इंगित करता है जिसमें संदेश का प्रवाह होता है, यह प्रवाह एक विमीय या द्विविमीय दोनो प्रकार का हो सकता है। मूलतः संचार प्रक्रिया में तीन तत्वों (वक्ता, श्रोता एवं संदेश) को महत्वपूर्ण माना गया है यथा-

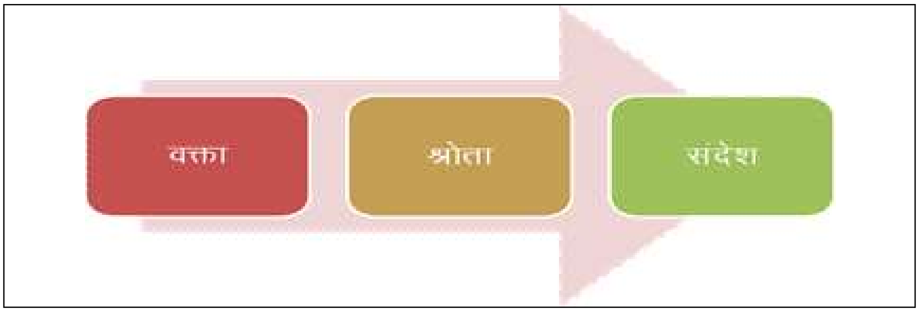

यहां यह महत्वपूर्ण है की संचार के परिवर्तन के क्रम में अब प्रक्रिया द्विपक्षीय हो गई है और इस द्विपक्षीय प्रक्रिया में दोनों ही पक्ष एक दूसरे को प्रभावित करते हुए नजर आते हैं।

जन संचार माध्यम- जन संचार सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, इसके माध्यम से सामाजिक अंतः क्रियाओं को गतिमान बनाया जाता है तथा इसके द्वारा संदेश,

मनोभावों, विचारों को प्रेषित एवं ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक क्रिया के लिये संपर्क का, संचार का होना आवश्यक है। संचार प्रारंभ से समाज को जोड़ने की कड़ी के रूप में कार्य कर रहा है। मुख्यत: संचार भाषा एवं माध्यम की मिश्रित व्यवस्था है। संचार प्रक्रिया का प्रारंभ प्रेषक एवं सूचना ग्राही के मध्य संदेशों के आदान-प्रदान से होता है। सूचना प्रेषक का मुख्य उद्देश्य सूचना प्रेषण के द्वारा श्रोता के विचार व्यवहार तरीकों को परिवर्तित करना है। संचार की भाषा संकेतन के रूप में होती है, जिसका प्रेषक और ग्राही दोनों को ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि यदि संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उस भाषा का ज्ञान नहीं है तो संचार प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। इस प्रकार संचार की भाषा जितनी सरल होगी संचार उतना ही श्रेष्ठ होगा। समय अनुसार नवीन संसाधन, तकनीक व साधनों में परिवर्तन होते रहे है। संचार प्रक्रिया में होने वाले नवाचार व अविष्कारों द्वारा एक नवीन संचार प्रणाली का उदय हुआ है।

संचार में विभिन्न स्वरूपों का आगमन- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के प्रदुर्भाव से तीव्र परिवर्तन होते रहे है। इन परिवर्तनों को 20वीं शताब्दी में अत्यन्त प्रभावशाली रूप में रूपांतरण हुआ है। टी.वी. रेडियो, टेलीफोन, कम्प्यूटर, इंटरनेट के अतिरिक्त व्हाट्स ऐप, फेसबुक, इन्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर इत्यादि के कारण संचार व्यवस्था अत्यन्त तीक्ष्ण हो गयी है, जिसका प्रवेश मानव के जीवन के अंतर्तम आयाम तक हो चुका है। वर्तमान चलित शताब्दी में यह तीब्रतर होता जा रहा है तथा मानव का सम्पूर्ण जीवन इसके द्वारा निर्धारित होता हुआ नजर आता है। संचार का संदर्भ बदलता जा रहा है । कार्य एवं भूमिका में परिवर्तन के कारण समाज को ज्ञान समाज के रूप में रेखांकित किया जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा ज्ञान का प्रवाह एवं भंडारन अत्यन्त सरल होता जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नें देशज आचार, विचार, व्यवहार, मूल्य, परम्पराएँ,भाषा,संस्कृति और अर्थव्यवस्था सहित राजनीति, प्रशासन तथा मनोविज्ञान के वैकल्पिक क्षेत्रों का निर्माण किया है जो स्थानीयता में व्याप्त विशिष्टताआओं में संशोधन, रूपांतरण एवं परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है।

समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में संचार क्रांति सूचना समाज का निर्माण कर रहा है। जिसके अंतर्गत सूचना एक शक्ति, पूंजी अथवा शस्त्र के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। सूचना की मात्रा किसी भी वर्ग के अन्य वर्गों की तुलना में शक्तिशाली बनने का सार्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जा रहा है। यह एक नवीन युग का प्रारम्भ है।

संचार (मीडिया) के सिद्धान्त- संचार (मीडिया) की प्रभावशीलता के संबंध में अनेक सैद्धान्तिक प्रारूप प्राप्त होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक विश्लेषण निम्नावत हैं-

बुलेट सिद्धान्त- यह सिद्धान्त इस तथ्य में विश्वास रखता है कि मीडिया एक व्यापक प्रचार के लिए अपरिहार्य है। द्वितीय विश्वयुद्ध की अवधि में जनमानस पर प्रत्यक्ष एवं शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न करने के लिए एक हथकंडे के रूप में मीडिया को प्रयोग करने की बात सोची गयी जिसके लिए बुलेट सिद्धान्त का नाम प्रस्तावित किया गया। यह सिद्धान्त यह मानता है कि किसी भी संदेश के प्रापकों पर मीडिया के माध्यम से संदेशो को जादुई बंदूक की गोली की तरह प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि प्रापक निष्क्रिय तथा

सुरक्षाहीन होते हैं एवं उन सभी तरह के सूचना को प्रत्यक्षतः स्वीकार कर लेंगें जो उनकी ओर शक्ति से प्रेषित किया जाए । यहाँ यह अंतर निहित है कि मीडिया एक अत्यन्त शक्तिशाली संस्था है, और मीडिया के प्रापक तर्कहीन एवं शक्तिहीन हैं । यह सिद्धान्त यह मानता है कि सभी प्रापक समान होते हैं अतः हजारों लाखों जनों पर मीडिया के संदेश का वांछित प्रभाव पड़ेगा । (वर्नर एवं अन्य, 1979)

व्यक्तिगत (द्वि चरणीय प्रवाह) प्रभाव सिद्धान्त- यह सिद्धान्त लेजारस फिल्ड के प्रसिद्ध अध्ययन द पीपुल्स च्वॉइस (1940) में दृष्टव्य है इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति (मतदान काल में) मीडिया से प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित नहीं होता है। आपने यह बताया कि अंर्तवैयक्तिक संबंधों न कि मीडिया का व्यापक प्रभाव मतदाताओं पर पड़ता है। राजनैतिक विचार विमर्श से राजनीतिक जनमत नेतृत्व का निर्णय प्रक्रिया में व्यापक एवं निर्धारक प्रभाव पड़ता है, ये अनौपचारिक संचार नेटवर्क जिसमें श्रोता एक दूसरे से बात करते हैं जनमत नेतृत्व से राय लेते हैं अधिक प्रभावशाली होता है। (काट्ज ई. 1957)

द्वि-स्तरीय प्रवाह- इस धारा के अनुसार मीडिया के प्रति मतदाताओं की रूचि सीमित होती है। जबकि जनमत नेतृत्व जिनका मतदाताओं तक पहुँच और सूचना प्रदान की क्षमता अधिक होती है का प्रभाव व्यापक होता है । मीडिया प्रत्यक्षतः जनमत नेतृत्व तक पहुॅचता है जो जनसंख्या के न्यून सक्रिय लोगों तक इसे पहुॅचाते हैं अर्थात् जनसामान्य तक पुराना (सेकेन्ड हैंन्ड) सूचनाएँ पहुॅचती हैं जो संभवतः मूल सूचना से भिन्न हो क्योंकि जनमत नेतृत्व नें जन सामान्य तक पहुॅच से पूर्व अपने समझ, तर्क और विश्लेषण के आधार पर उसे रूपांतरित कर दिया हो। सूचना के द्विचरणीय प्रवाह में अधिक महत्व होता है।

बहु चरणीय प्रवाह सिद्धान्त- यह उपधारा द्वि-चरणीय प्रवाह की अवधारणा का संशोधन है। यह अवधारणा इस तथ्य पर अवधारित है कि एक जनमत तत्व न केवल अपनें विचारों को जोड़ता है बल्कि वह समाचार पत्र, समाचार संपादक, रेडियो एवं टेलीविजन समाचार निर्मातागण एवं अन्य जनमत नेतृत्व से प्रवाहित होता है। वह न केवल सामान्य जन तक पहुॅच बनाता है बल्कि सामान्य जन के विचारों को एक गेटकीपर की तरह छन्नी से काट छॉट कर अन्य दिशाओं में प्रेषित करता है । सामान्य रूप से इसमें सूचनाएँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय हाथों से निकला हुआ नहीं बल्कि अनेक हाथों से गुजरता हुआ अपने मूल स्वरूप से पूर्णतः भिन्न हो जाता है। प्रवाह के ये दोनो ही अवधारणाएं स्पष्ट रूप से संचार मीडिया के प्रत्यक्ष प्रभाव को नकारतीं हैं और अंर्तवैयक्तिक सामाजिक संबंध को महत्वपूर्ण चैनल बतातीं हैं। (लॉसवेल. एच. 1927, काट्ज ई तथा लेजारस फील्ड पी.एफ 1955)

संतुष्टि सिद्धान्त- कॉट्ज (1959) के संतुष्टि के सिद्धान्त के अनुसार श्रोता समूह के सदस्यों के द्वारा किसी विशिष्ट मीडिया को अपनाने के लिए उनकी अपनी आवश्यक्ताएं उत्तरदायी होतीं हैं। शोधकर्ताओं नें यह पाया कि दर्शकों के द्वारा मीडिया की स्वीकृति अधिक महत्वपूर्ण है न कि किसी मीडिया के दर्शक तक पहुॅच के, जन संचार की प्रक्रिया संचार उपयोग करनें वाले प्रपकों को अकर्मण्य जानकारी का अभाव वाले सहभागी के रूप में नहीं स्वीकार कर रहा है बल्कि उसे एक सक्रिय आवश्यक्तानुसार सहभागी बनने

वाला व्यक्ति समझता है जो अंर्तवस्तु को चुनता है और उस मीडिया को पसंद करता है।

संवर्धन सिद्धान्त (कल्टीवेशन थ्योरी)- संवर्धन सिद्धान्त मूल रूप से संचार ढांचे का व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव और नवीन मनो संरचनात्मक चित्र के निर्माण से संबंधित है यह सिद्धान्त यह मानता है कि जो लोग नियमित रूप से लम्बे समय तक मीडिया के सम्पर्क में रहते हैं, वे दुनिया की वास्तविक्ताओं को या मीडिया में बताए जाने वाले संकेतों को समझने और उससे प्रभावित होने की अधिक संभावना रखते हैं क्योंकि मीडिया द्वारा जो उन्हें प्रस्तुत किया जाता है उसके बदले में वह उनके दृष्टिकोण और व्यवहार को एक नवीन स्वरूप से संवर्धित (निर्मित) करता है। जॉर्ज गेर्बनर आदि के द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धान्त यह बताता है कि मीडिया द्वारा प्रेषित संदेश, छवियां, वैचारिकी दर्शक के धारणाओं को बहुत अधिक प्रभावित करता है और एक व्यक्ति के द्वारा मीडिया के उपयोग करनें की मात्रा और उसकी धारणाओं में परिवर्तन की मात्रा में सकारात्मक सहचर्य होता है। जब मीडिया के द्वारा किसी विशेष सन्दर्भ को बार-बार दोहराया जाता है तो यह जान बूझकर वे चित्रित किए जाने वाले घटना से सम्बद्ध संस्कृति को लाने में मदद करते हैं। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि मीडिया प्रोग्रामिंग तक लम्बे समय तक एक्सपोजर और संदेशों और छवियों के अनवरत आवर्तन व्यक्ति में नवीन मनोविचार, धारणा एवं सांस्कृतिक उपादानों को निर्मित एवं संवर्धित करती है। (जॉर्ज गर्वनर, 1998)

उपरोक्त पत्र इस क्षेत्र में कार्य करनें वाले शोधार्थियों एवं छात्रों हेतु आधारभूत सामग्री प्रस्तुत करता है अतः ज्ञानात्मक उपयोगिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. दुबे श्यामाचरण य समय और संस्कृति, साक्षरा प्रकाशन, दिल्ली 2011
2. दोषी एस.एल द्वारा उद्दृत- आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता एवं नव समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर 2010
3. R.K. Marton; Social Theory and Social Structure, Free Press New York, 1968, 51
4. Dale E- The content of motion pictures, New York Macmillars
5. McQuail D.; Mass Communication Theory, Sage Publication, New Delhi 2010
6. Habermas J., The Public Sphere: An Encyclopedia Article, new German Critique, No. 3, 1974, p.49-55
7. Werner Joseph Severin, James W. Tankard (1979). Communication Theories: Origins, Methods, Uses. Hastings House.
8. George Gerbner (1998) Cultivation Analysis: An Overview, Mass Communication and Society, 1:3-4, 175-194,
9. Stansberry, Kathleen (2012). "One-step, two-step, or multi-step flow: The role of influencers in information processing and dissemination in online, interest-based publics". ProQuest Dissertations Publishing.
10. Katz, Elihu (1957). "The Two-Step Flow of Communication: An Up-To-Date Report on an Hypothesis". Public Opinion Quarterly. 21 (1): 61–78
11. Lasswell, H. (1927) "Propaganda Technique in the World War"
Katz, E.

12. , Lazarsfeld, P.F. (1955) 'Personal influence: The part played by people in the flow of mass communications ', The Free Press, New York.

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 39, Hindi Edition, Year-20, July- Dec. 2023

शहडोल जिले में मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा का समाजशास्त्रीय अध्ययन

• पाकीजा खातून

सारांश- प्रस्तुत शोध आलेख में शहडोल जिले की मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा को अपने अध्ययन का केन्द्र बनाया गया है। जिसमें समाज की मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा को अन्य सभी वर्गो की महिला शिक्षा के साथ उजागर करने का प्रयास किया गया है। भारत की आबादी का लगभग 15 प्रतिशत के योगदान के साथ मुस्लिम महिलाओं के आबादी का कितना प्रतिशत समाज कल्याण को शिक्षा के माध्यम से दे रही है। इसके अतिरिक्त शहडोल जिले की मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के स्तर को रोजगार और समाज कल्याण से जोड़ा गया है जो कि समाज की मुस्लिम महिलाओं की और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दर्शाता है।

मुख्य शब्द - महिलाओं, शिक्षा, आबादी, समाज कल्याण

प्रस्तावना- प्राचीन काल में पुरूष प्रधान समाज होने के कारण स्त्री शिक्षा का महत्व नहीं था। आगे चलकर राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर आदि समाज सुधारकों ने नारी शिक्षा के महत्व को, समाज के लोगो को स्त्री शिक्षा के लिए प्रेरित किया, फलस्वरूप स्त्री शिक्षा की शुरूआत हुई, धीरे-धीरे स्त्री शिक्षित होती गई। वर्तमान में पुरूष एवं स्त्री दोनों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, स्त्री शिक्षित हो कर इसके महत्व को समझ पा रही हैं। कहते हैं कि एक पुरूष को शिक्षित करके हम सिर्फ एक ही व्यक्ति को शिक्षित कर सकते हैं लेकिन एक नारी को शिक्षित करके हम पूरे समाज एवं देश को शिक्षित कर सकते हैं, अतः एक स्त्री का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। स्त्री शिक्षा के लिए सरकार ने ढेरों कानून लागू किए हैं जिनमें सर्व शिक्षा अभियान, इंदिरा महिला योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, महिला समृद्धि योजना आदि। इसी क्रम में महिलाओं के लिए कई कानून लागू किए गए हैं। दहेज प्रतिबंध अधिनियम (1961) कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम (1984) सती निषेध अधिनियम (1990), घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2008) आदि।

भारत में हिन्दू धर्म के समान ही मुसिलम धर्म की महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का पूर्ण अधिकार है। मुस्लिम धर्म में शिक्षा का बहुत महत्व है। शरीयत-ए-इस्लाम में मर्द व औरत दोनों को समान अधिकार व कर्तव्य दिए है और दोनो ही अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए समान रूप से जिम्मेदार है क्योंकि महिलाएं समाज का आधा हिस्सा है

• शोधार्थी, समाजशास्त्र, अवधेश प्रताप सिंह वि.वि. रीवा म.प्र.

इसलिए इस वर्ग की शिक्षा समाज के सुधार और कल्याण के लिए बेहद जरूरी है। मुस्लिम धर्म की पवित्र किताब कुरान में यहाँ तक की किसी भी हदीश शरीफ में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जो औरत को शिक्षा से वंचित रखें या पुरुषों के बराबर शिक्षा ना मिलने दें। वैसे विश्व के सभी धर्मो के नियमों पर पुरूष प्रधानता हावी है इसी तरह भारत के समाज में भी पुरूषों को अधिक प्रधानता दी जाती है। यह सभी धर्मो में कहा जा सकता है किन्तु मुस्लिम धर्म में यह इस कदर छाई हुई है कि मुस्लिम औरतों के अधिकारों के लिए कोई आगे ही नही आना चाहता। औरत और मर्द के बीच शिक्षा व्यवसाय सामाजिक गतिशीलता आदि का भेदभाव मुस्लिम धर्म में अधिक है। मुस्लिम धर्म में 10 या 15 प्रतिशत लोगो को छोड़कर आज भी मुस्लिम महिलाएँ अपने बुनियादी अधिकारों के लिए तरस रही है। मुस्लिम महिलाएँ अधिकतर ऐसी हैं जो या तो अशिक्षित है या धार्मिक और पारम्परिक शिक्षा के आधार पर ही अपना जीवन गुजार रही है। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जहां दीनी तालीम को आज भी दुनिया की तालीम से बेहतर माना जाता है। हर सवाल का जवाब हदीस शरीफ और शरियत-ए-कानून से निकाला जाता है और ये सारी बातें मुस्लिम समाज पर इस कदर हावी है कि अपने अधिकारों के लिए भारत के संविधान की ओर इनका ध्यान ही नहीं जाता, जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। मुस्लिम शिक्षा पर बड़े पैमाने पर अध्ययन करने की आवश्यकता है।

मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में मदरसों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लेकिन इन मदरसों ने बच्चों को दीनी तालीम तो दे दी परन्तु उन्हें आधुनिक समाज की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए तैयार नहीं किया। यही कारण है कि मदरसों की शिक्षा पर सवाल उठाए जाते है और सरकार द्वारा बार-बार उनकी जाँच के आदेश दिए जाते हैं। मदरसों को भारत में गरीब मुसलमानों की बड़ी संख्या में शिक्षा के मुख्य तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा गया है लेकिन अफसोस की बात है कि मदरसों की शिक्षा और आधुनिक शिक्षा में बहुत अन्तर है। मदरसों को आमतौर पर एक धार्मिक विद्यालय की नजर से देखा जाता है. इन विद्यालयों में वही लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं जो या तो बहुत गरीब होते हैं या फिर अपने बच्चों को इस्लाम का पूरा ज्ञान देना चाहते हैं। इनके विषयों में उर्दू के साथ-साथ सभी इस्लामिक धर्म से सम्बन्धित पुस्तकें पढ़ाई जाती है और सभी उम्र के छात्र एक साथ पढ़ते हैं। इसी के चलते मदरसों की परिस्थिति अधिक अच्छी नहीं है और मदरसों के आधुनिकीकरण की बात की जाती है। जिससे दीनी तालीम के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा का भी विस्तार हो। अंजुम ने अपने शोध "मुस्लिम परिवारों में स्त्री शिक्षा" में कहा है कि यदि हम इस्लाम धर्म के मौलिक सिद्धातों की नारीवादी नजरिए से समीक्षा करें तो कुरान, और हदीस की ऐसी कई आयते हैं जिनमें स्त्री और पुरूष को समान अधिकार दिए गए है। विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में हदीस की आयत है जिसमें शिक्षा के महत्व को इस प्रकार बताया गया है तलबुल इल्म फरीजतनु अलाकुल्ली अलमुस्लिम व मुस्लिमा इस आयत के माध्यम से हजरत मोहम्मद साहब ने बताया कि तालीम हर मर्द और औरत के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन मुस्लिम समाज ने इस ज्ञान को केवल धार्मिक ज्ञान से जोड़ दिया और विडम्बना तो यह है कि उस धार्मिक शिक्षा में भी मर्द और औरत की शिक्षा में बहुत अन्तर है।

जोया हसन ने कहा है कि मुस्लिम समाज में धर्म का सहारा लेकर महिलाओं की शिक्षा के अधिकार को छीना जाता है मुस्लिम औरत का हिन्दुस्तान में नहीं पढ़ पाने का मुख्य कारण गरीबी है। धर्म और पर्दा इतना बड़ा कारण नहीं है। सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को नजरअंदाज करके मुस्लिम औरत की स्थिति को ठीक से नहीं समझा जा सकता। तस्लीमा नसरीन एवं नासिरा शर्मा- बदलाव बिना मुक्ति नहीं (2018) ने अपने लेख में कहा है कि भारत के लोग किसी भी प्रकार के कानून में कोई बदलाव नहीं चाहते। आप किसी भी सभ्य देश में देखिए यहाँ सबके लिए एक कानून है, इसलिए समानता पर अधारित कानून की आवश्यकता है। धार्मिक कानूनों में महिलाएँ परेशानी उठाती है। महिलाओं को समानता प्राप्त नहीं होती। हमें अपने समाज को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। हमें समानता पर आधारित कानून की आवश्यकता है। तसलीमा नसरीन ने पुरानी पीढ़ी के रीति-रिवाजों और नई पीढ़ी के बीच के समझदारी के टकराव को इस प्रकार व्यक्त किया है कि यह टकराव धर्मनिरपेक्षतावादियों और रूढ़िवादियों के बीच नए विचारों और पुराने रीति-रिवाजों के बीच समझदार तार्किक और अज्ञानी अंधविश्वासो के बीच, जो आगे आना चाहते हैं और जो समय से पीछे जाना चाहते हैं ऐसे लोगों के बीच है।

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर 53. 7 प्रतिशत है जिनमें से अधिकाँश महिलाएँ केवल अक्षर ज्ञान तक ही सीमित है। मुस्लिम महिलाओं की वर्तमान सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और शिक्षा की स्थिति के उद्देश्य से शहडोल जिले की मुस्लिम महिलाओं का अध्ययन किया है। शहडोल जिले की अनुमानित वर्तमान जनसंख्या 1,247,720 है जिसमें पुरूषों की अनुमानित जनसंख्या 632,041 एवं महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या 615,679 है। यदि हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो कुल जनसंख्या 1,066,0663 है जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 540,021 एवं महिलाओं की जनसंख्या 526,042 है। धर्म के आधार पर शहडोल जिले की जनसंख्या को देखें तो जनगणना 2011 के अनुसार हिन्दु की जनसंख्या 997,073 एवं मुस्लिमों की जनसंख्या 42,426 (लगभग 3.98 प्रतिशत) है। एक सर्वे से ज्ञात होता है कि शहडोल क्षेत्र की लगभग 15 प्रतिशत महिलाएं कभी विद्यालय गई ही नहीं तथा 50 प्रतिशत महिलाओं की शिक्षा कक्षा 1 से 10 तक ही हो पाई है, जो कि आधुनिक भारत के विकास के क्षेत्र में पिछड़ेपन को दर्शाता है। शहडोल जिले की लगभग 20 प्रतिशत महिलाएँ ही उच्च शिक्षित हो पाई है, जिससे ज्ञात होता है कि मुस्लिम महिलाएँ विकास में बहुत पीछे हैं।

अध्ययन के दौरान यह भी पाया गया है कि शहडोल क्षेत्र में लड़कियों को शिक्षित करने का मतलब नौकरी कराने से है। मुस्लिमों में अधिकतर परिवार महिलाओं से नौकरी कराने के पक्ष में नहीं होते है। इसे धार्मिक हस्तक्षेप माने या फिर लड़की के परिवार पर उनके विवाह की जिम्मेदारी। वस्तुतः हम कह सकते है कि मुस्लिम महिलाओं की संख्या का एक बड़ा हिस्सा अपने अधिकारों को समझने में सक्षम नहीं है। इसी कारण आधुनिक समाज में शिक्षा के महत्व को समझते हुए भी उनमें शिक्षा का विस्तार नही हो पा रहा है।

निष्कर्षत: वर्तमान शोध का उद्देश्य शहडोल जिले में मुस्लिम महिलाओं के शिक्षित सशक्तिकरण के प्रभाव का निर्धारण करना है। अध्ययन करने से पता चलता है कि मुस्लिम महिलाओं में रोजगार अधिकार, परिवार नियोजन और शिक्षा में एक बड़ा अन्तर है। भारतीय संविधान नागरिकों की समानता, भाषा, धर्म और संस्कृति में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित करने और आश्वस्त करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी के लिए प्रतिबद्ध है. ऐसा नहीं है कि सरकार ने किसी धर्म के आधार पर शिक्षा का क्षेत्र निर्धारित किया हो बल्कि मुस्लिम परिवार स्वयं ही अपनी महिलाओं के विकास, स्वतंत्रता और शिक्षा को महत्व नहीं देता। मुस्लिम समाज आधुनिक शिक्षा के महत्व को जानते हुए भी अनदेखा करता है। मुस्लिम महिलाएँ समाज के साथ आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रही है मगर यह अनुपात सम्पूर्ण महिलाओं की संख्या में बहुत कम है। अध्ययन में मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा में अन्तर के साथ-साथ एक यह भी तथ्य सामने आया कि शिक्षा प्राप्ति के मामले में मुस्लिम समूहों में मतभेद भी है। जहाँ महिलाओं की माध्यमिक शिक्षा के लिए तो सभी तैयार है लेकिन वहीं उच्च शिक्षा के लिए आपस में मतभेद हैं। आकड़े मुस्लिम महिलाओं की वचित शैक्षिक स्थिति की पुष्टि करते हैं। अधिक शिक्षा ना होने के कारण ही मुसलमानों की आर्थिक व्यवस्था भी मजदूरी और अन्य शारीरिक कार्यों से जुड़ी हुई है, जिसके चलते गतिशीलता भी धीमी है। अपने अध्ययन में हमने पाया कि मुसलमानों जैसे, आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए शिक्षा गतिशीलता का सबसे आशाजनक साधन होगा। मुस्लिम महिलाओं की शैक्षिक स्थिति पर ध्यान दे तो हम पाते हैं कि मुस्लिम महिलाएँ अपने पुरूष समकक्षों और अन्य सभी समुदायों की महिलाओं से पीछे है। यह सत्य है कि मुस्लिम महिलाओं को अभी तक शिक्षा का वह अधिकार नहीं मिल पाया है जिससे वह समाज में अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके। शिक्षा के अभाव में ही मुस्लिम समुदाय सबसे अलग नजर आता है। यह भी सत्य है कि यह वर्ग परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम का हिस्सा बनने से भी कतराते हैं। मुस्लिम महिलाओं को विकास में शामिल करने के लिए नव प्रवर्तन की आवश्यकता है। आरक्षण की नीति के माध्यम से सामाजिक सामवेश का प्रयास किया गया जो अल्पसंख्यकों का उत्थान करने में विफल रहा। शिक्षित मुस्लिम वर्ग मुसलमानों की शिक्षा के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाता जिसके कारण शिक्षा के प्रति जागरूकता का विस्तार नहीं हो पाता। मुस्लिम परिवार के साक्ष्य इस बात को दर्शाते है कि लड़कियों के विशेषाधिकार लड़को की अपेक्षा कम है। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी स्तर से जूनियर स्तर तक पहुंचते ही इनकी विद्यालयों में उपस्थिति लगातार घटने लगती है। आधुनिक समाज में भी मुस्लिम समाज महिलाओं की शिक्षा के महत्व से बेखबर है। मुस्लिम समाज में महिलाओं की शिक्षा का दायरा एक प्रकार से धार्मिक इस्लामी शिक्षा और उर्दू भाषा तक सीमित है जो उन्हें शिक्षित तो बनाता है लेकिन 21वी सदी के भारत में रूढ़िवादी समाज से लड़ने और महिलाओं के विकास का प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम नहीं बनाता। इसलिए यह आवश्यक है कि मुस्लिम महिलाओं में आधुनिक शिक्षा के प्रति जागरूकता का विस्तार किया, जाए, क्योंकि यह बात सत्य है कि जब-जब औरत ने किसी कार्य क्षेत्र में कदम रखा है तब-तब उसके कार्य को सराहा गया है, फिर

क्यों औरत को उस शिक्षा से वंचित रखा जाता है जो उसके लिए उपयोगी है यह कमी मुस्लिम परिवार की ओर मार्गदर्शन करने वालों की होती है जो एक स्त्री को हमेशा दोयम दर्जे की समझते हैं और जब तक परिवार बेटी के विकास को प्रोत्साहित नहीं करेगा तब तक समाज, राज्य या सरकार कुछ नहीं कर पाएगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. अंजुम (पी०एच०डी० शोधार्थो) मुस्लिम परिवारों में स्त्री शिक्षा जामिया मिल्लीया इस्लामिया, नई दिल्ली।
2. चौहान अंजना- महिलाओं की शोचनीय शैक्षिक स्थिति डमकपं त्मसमेमक कंपदपा ज्तपइनदम जनगणना 2011
3. नसरीन सलीम एवं शर्मा नासिरा बदलाव बिना मुक्ति नहीं अमर उजाला 21 जनवरी 2018 रिपोर्ट–सच्चर कमेटी
4. Agrawal Mamta-"Eduation and Modernization: A Study of Hindu and Muslim Women" Eduresearch Publication 1986-
5. Alvi, Batool Suraiyya: "Importance of female Education Newage Islamicom 29 Nov 2013
6. Educational Status of muslim women in India: An overview Fahimuddin& Maodarnization of Muslim Education in India "Adhyayan Publishers and Distributors 2004
7. Hasan Zoya, Menon Ritu, Unequal Citizens A Study of Muslim Women in India up India 2006

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 39, Hindi Edition, Year-20, July- Dec. 2023

जबलपुर-कटनी जिले में लैंगिक साक्षरता का प्रतिरूप

• शिव कुमार दुबे
•• नमिता गुप्ता

सारांश- साक्षरता किसी व्यक्ति का वैयक्तिक गुण है, जो उस व्यक्ति के पढ़ने लिखने की योग्यता को प्रकट करता है। साक्षरता किसी भी देश की आर्थिक-सामाजिक विकास का सूचक होती है। इसके द्वारा किसी भी समाज की आधुनिकीकरण की मात्रा का पता चलता है एवं साक्षरता मानसिक विकास को बढ़ाने एवं गरीबी को दूर करने में सहायक होती है। साक्षरता के कारण जनस्थानान्तरण विवाह, जन्म, मृत्यु के साथ-साथ शैक्षणिक स्तर भी प्रभावित होता है। अध्ययन क्षेत्र जबलपुर कटनी जिले के मध्य ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक संपदा का धनी है। यह कैमूर के पठार एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य बसा है। जबलपुर का अक्षांश देशान्तरीय विस्तार23^{0}10' से 79^{0}57' पूर्व एवं 79^{0}95' उत्तर से पूर्व में फैला हुआ है। समुद्र तल से जिले की ऊँचाई 411 मी. है। जिसमें कटनी जिले के उत्तरी अक्षांश 23^{0}33' से 24^{0}80' तक पूर्वी देशांतर 79^{0}57' से 80^{0}58' के बीच स्थित है एवं जिसकी समुद्र तल से ऊँचाई 392 मी. स्थित है। जबलपुर कटनी जिले में महिला पुरूष साक्षरता का प्रतिरूप का अध्ययन करने का प्रयास किया है। जिसमें (महिला पुरूष और ग्रामीण एवं शहरी साक्षरता) यह भारत की कुल साक्षरता मध्यप्रदेश की कुल साक्षरता दर को देखकर जबलपुर कटनी जिले की साक्षरता दर को निकालने का प्रयास किया है।

मुख्य शब्द- साक्षरता, विकास, सूचक, आधुनिकीकरण, संपदा

प्रस्तावना- साक्षरता समाज में महत्वपूर्ण संकेतक है जो कि मानव विकास में एक केन्द्रीय भूमिका निभाते है, जो समय के साथ ही सामाजिक, आर्थिक विकास के परिवेश को प्रभावित करती है। साक्षरता एवं शिक्षा के उच्च स्तर से सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, जनसंख्या नियंत्रण एवं कमजोर वर्ग के लोगों, समुदाय के सशक्तिकरण की बेहतर प्राप्ति होती है। जिससे उच्च साक्षरता दर लगातार विकास संकेतकों में सुधार करती है। जनगणना प्रत्येक व्यक्ति के लिये साक्षरता पर जानकारी प्राप्त करती हे। जनगणना के 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ और

• प्राध्यापक भूगोल, ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय (स्वशासी)
•• शोधार्थी, भूगोल विभाग, पण्डित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल (म.प्र.)

लिख सकता है, को साक्षरता माना जाता हैं एक व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, साक्षर नहीं माना जाता हैं यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर या कोई न्यूनतम शिक्षा मानक पास करें। साक्षरता वयस्क साक्षरता कक्षाओं में या किसी अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। साक्षरता से मनुष्य के सोचने-विचारने एवं निर्णय लेने की क्षमता तथा कार्य करने क योग्यता व क्षमता में वृद्धि करता है। साक्षरता से मनुष्य नवीन खोजों की दिशा की ओर उन्मुख होता है जिससे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। साक्षरता हमारे समाज में मन मस्तिष्क में विभिन्न कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़िवादिता, धार्मिक कट्टरता, सामाजिक भेदभाव आदि को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आज निरक्षण व्यक्ति व अनपढ़ व्यक्ति समाज व देश की वास्तविक स्थिति तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को नहीं समझ पाता क्योंकि वह अपने परिवार, अपने गांव के ऊपर सोच ही नहीं पाता। आज इस वैज्ञानिक तकनीकी ओर मशीनरी वाले युग में निरक्षर व्यक्ति मजदूरी भी नहीं कर सकता है। वह क्षेत्र जो साक्षरता की दृष्टि से उन्नत है वह क्षेत्र सामान्यतः आर्थिक रूप से समृद्ध देखे जाते हैं। यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की बात करे ता जिन देशों में साक्षरता का स्तर निम्न है, वे देश आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, साक्षरता जनसंख्या के विभिन्न पक्षों जैसे जन्मदर, मृत्युदर, प्रवास लिंगानुपात व्यवसाय, नगरीकरण आदि को प्रभावित करती है।

वर्ष 1991 से पहले की जनगणना में 05 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निरक्षर माना जाता था। चूंकि समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता आमतौर पर तब तक हासिल नहीं की जाती है, जब तक कि इन कौशलों को विकसित करने का समय न हो, माना जाएगा और 07 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या को केवल साक्षर या निरक्षर के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा, वर्ष 2001 और 2011 के बाद की जनगणनाओं में उसी मानदण्ड को बरकारार रखा गया है। वर्ष 1981 तक की जनगणना में कुल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए साक्षरता दर की गणना करने की प्रथा थी। जिसमें साक्षरता दर अधिक सार्थक है।

भारत में जनगणना साक्षरता डेटा का मुख्य स्रोत है तथा तब से साक्षरता का डेटा एकत्र किया गया है। देश में सन् 1872 में मतगणना शुरू हुई थी, जिसमें साक्षरता एवं शिक्षा की अवधारणा महत्वपूर्ण हो गई थी, लेकिन समय के साथ परिवर्तन हुये दशकों के दौरान साक्षरता की प्रभावशाली प्रगति के बावजूद भी मध्यप्रदेश निचले पायदान में रहा है।

अध्ययन क्षेत्र- जबलपुर-कटनी जिले मध्य ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिग संपदा का धनी है। यह कैमूर के पठार एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य बसा हैं जबलपुर का आक्षांश देशान्तरीय विस्तार 23010' से 79057' पूर्व एवं 79095' उत्तर से पूर्व में फैला हुआ है। समुद्र तल से जिले की ऊँचाई 411 मीटर है। जिसमें कटनी जिले के उत्तरी अक्षांश 23033' से 24080' तक पूर्वी देशांतर 79057' से 80058' के बीच स्थित है एवं जिसकी समुद्र तल से ऊँचाई 392 मीटर स्थित है।

मानचित्र क्रमांक 01

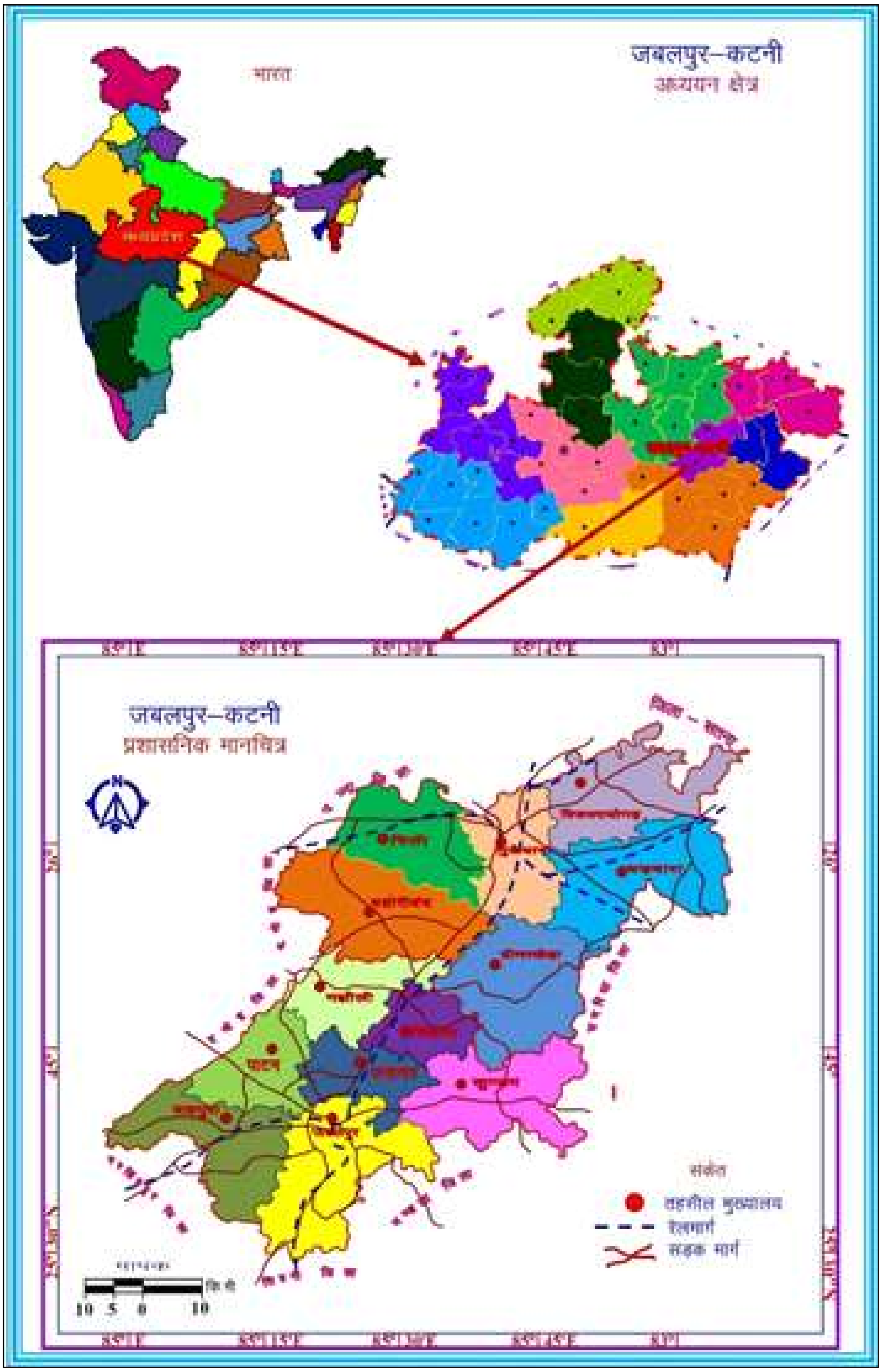

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र जबलपुर कटनी जिले में महिला पुरूष साक्षरता प्रतिरूप है। वर्तमान में जबलपुर कटनी जिले में मध्यप्रदेश जनगणना संचालन निदेशालय द्वारा

जारी किया गया है। मध्यप्रदेश के जबलपुर-कटनी जिले की जनगणना अधिकारियों द्वारा प्रमुख व्यक्तियों की कटनी जिले का औसतन जनसंख्या 1623852 थी। 2001 की जनगणना में 3215370 थी एवं 2011 की जनगणना में जबलपुर कटनी जिले की जनसंख्या 3755331 थी।

उद्देश्य-

1. वर्तमान अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जबलपुर-कटनी जिले में महिला पुरूष साक्षरता का प्रतिमान का विश्लेषण करना है।
2. जिला स्तर पर अध्ययन क्षेत्र की शैक्षणिक आयाम की उपलब्धता का मूल्यांकन करना।
3. जिला स्तर से अध्ययन क्षेत्र में साक्षरता का लिंग में असमानता का विश्लेषण करने के लिये।

शोध विधितंत्र एवं आंकड़ों के स्रोत- भौगोलिक अध्ययन हेतु विद्वानों एवं भूगोलवेत्ताओं ने अनेक शोध विधियों का प्रयोग किया है। अध्ययन का आधार सूक्ष्म एवं व्यापक दोनों स्तर पर निर्धारित किया जाता है। शोध विधि के आधार पर जबलपुर-कटनी जिले के सभी 13 विकासखण्डों का प्रतिदर्श चयन के आधार पर साक्षरता का अध्ययन किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन के लिए आधारभूत सामग्री अन्य अभिलेखों का संकलन प्राथमिक स्रोत एवं द्वितीयक स्रोतों के अन्तर्गत प्रस्तुत अध्ययन में जबलपुर-कटनी की कुल साक्षर जनसंख्या एवं ग्रामीण एवं नगरीय साक्षरता का अध्ययन जिला सांख्यकीय विभाग एवं जिला सम्पादकीय पुस्तिका, भू-अभिलेख कार्यालय एवं अन्य शासकीय एवं अशासकीय प्रकाशन के आधार पर संकलन किया गया है।

साक्षरता दर का वितरण- आर्थिक दृष्टि से अर्थव्यवस्था साक्षरता प्रतिरूप निर्धारण का प्रमुख कारक है। (Golden, 1968)। मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण से साक्षरता जनसंख्या का ऐसा सामाजिक पक्ष है जिसके आधार पर सामाजिक विकास का मापदण्ड निश्चित किया जा सकता है। (हीरालाल, 1993)। किसी भी देश के सामाजिक विकास, आर्थिक प्रगति तथा राजनैतिक प्रौढ़ता उसके नागरिकों के शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। शिक्षा मनुष्य के सामाजिक व मानसिक पृथकत्व को भी समाप्त करता है (पंडा, 2000)। शिक्षा को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास का मुख्य आधार माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार साधारण संदेश को समझ के साथ पढ़ने एवं लिखने की क्षमता को साक्षरता कहा जाता है (शर्मा, 2004)।

साक्षरता शिक्षा की आधारशिला है जो धीरे-धीरे आगे बढ़कर ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में नये-नये आयाम रचती है। जबलपुर-कटनी जिले में शिक्षा के कई प्रतिष्ठित संस्थान है, गौर करे तो शालेय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सकीय शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठित संस्थान जबलपुर-कटनी में संचालित हो रहे हैं। राज्यीय विश्वविद्यालय रानी दुर्गावती, विश्वविद्यालय जबलपुर एवं अन्य महाविद्यालय विकासखण्डों में स्थित है। इस तरह उच्च शिक्षा का मानक प्रतिष्ठान जिले में है। जबलपुर में चिकित्सकीय महाविद्यालय अर्थात मेडिकल कॉलेज का संचालन प्रारंभ है।

जलबपुर-कटनी विभिन्न विद्यालयीन संस्थानों पर गौर करें तो स्पष्ट है कि विकासखण्डों के राजस्वी क्षेत्र में दो तरह के विद्यालय संचालित होते हैं। कुछ विद्यालय मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत तो कुछ आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित हो रहे हैं। केन्द्रीय पाठ्यक्रम के माध्यम से संचालित होने वाले केन्द्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय भी जबलपुर-कटनी विभिन्न विकासखण्डों में संचालित हो रहे हैं। जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण संभाग के विभिन्न विद्यालयों में छात्रों के पहुँचने और स्थानीय स्तर पर सजग होने और पाठ्यक्रमों में अपनी अच्छी सहभागिता के लिए समयगत समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए संभाग के अंतर्गत प्रचुर संख्या में आवासीय विद्यालय भी संचालित किये जा रहे हैं। जबलपुर-कटनी के विभिन्न विकासखण्डों में शासकीय विद्यलायों में मैट्रिक एवं पूर्व मैट्रिक छात्रावास संचालित होते हैं जिनमें बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग छात्रावास हैं। इन स्थायी प्रतिष्ठानों के अलावा आँगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा भी विभिन्न स्तर पर विद्यालय संचालित हो रहे हैं। जिनके माध्यम से कम उम्र के बालक-बालिकाओं के शिक्षा के प्राथमिक आयाम से जोड़ा जा रहा है। समय के साथ होने वाले परिवर्तन में कस्बाई और बड़े ग्रामीण क्षेत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में स्वयं सेवी संगठनों द्वारा भी विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं।

जबलपुर-कटनी जिले में साक्षरता विकासदर धीरे-धीरे गतिमान हो रहा है। यह गतिशीलता ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा नगरीय क्षेत्र में ज्यादा तीव्र है। साक्षरता का ऑकलन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के चिन्हन विकासखण्ड के परिक्षेत्रों में जहाँ से विकासखण्ड स्तर पर मुख्य शैक्षणिक कार्यालय बी.ई.ओ. कार्यालय के नाम से चिन्हित किया जाता है से प्राप्त जानकारियों को ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा का विकासक्रम अंकित किया गया है। जबकि नगरीय क्षेत्र की साक्षरता का चिन्हन नगरीय निकाय के रूप में चिन्हित विभिन्न नगरीय परिक्षेत्र को बनाया गया है। जबलपुर-कटनी जिले में 13 ब्लाक एजुकेशन ऑफीसर कार्यालय हैं जो विभिन्न विकासखण्ड कार्यालयों में स्थापित हैं, जिनमें क्रमशः सिहोरा, मझौली, पाटन, शाहपुरा, जबलपुर, पनागर, कुण्डम, रीठी, कटनी (मुडवारा) बड़वारा, विजयराघौगढ़ बहोरीबंद, एवं ढीमरखेड़ा हैं। जबलपुर-कटनी जिले में कुल साक्षर व्यक्ति 2489844 हैं, जिनका प्रतिशत 81.56 है। जिनमें पुरुष साक्षरता प्रतिशत 58.87 तथा महिला साक्षरता प्रति 41.12 है। नगरीय निकाय के रूप में जबलपुर-कटनी जिहले में 13 नगरीय विकासखण्ड हैं जो इस प्रकार है सिहोरा, मझौली, पाटन, शाहपुरा, जबलपुर, पनागर, कुण्डम, रीठी, कटनी (मुडवारा) बड़वारा, विजयराघौगढ़ बहोरीबंद, एवं ढीमरखेड़ा के रूप में चिन्हित हैं। जबलपुर-कटनी जिले में नगरीय साक्षरता पर गौर करें तो कुल साक्षर व्यक्ति 1230776 तथा 72.36 साक्षरता प्रतिशत है। जिनमें पुरुष साक्षरता प्रतिशत 56.50 तथा महिला साक्षरता 43.49 प्रतिशत है।

तालिका क्र. 01
जबलपुर-कटनी जिले में ग्रामीण
साक्षरता का विकासखण्डवार वितरण वर्ष-2011

.	विकासखण्ड	कुल साक्षर व्यक्ति	कुल साक्षरता प्रतिशत	रैंक	पुरूष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत
1	सिहोरा	88234	65.07	3	51315	58.16	36919	41.84
2	मझौली	97757	57.74	7	57145	58.46	40612	41.54
3	पाटन	83856	51.21	11	48381	57.70	35475	42.30
4	शहपुरा	118369	61.74	4	63550	53.69	44455	37.56
5	जबलपुर (बरगी)	101617	74.14	1	59587	58.64	42030	41.36
6	पनागर	95062	35.90	13	54543	57.38	40519	42.62
7	कुण्डम	63293	51.27	10	36824	58.18	26469	41.82
8	रीठी	72100	56.68	9	43049	59.71	29051	40.29
9	कटनी (मुडवारा)	86271	66.75	2	50778	58.86	35493	41.14
10	बड़वारा	59310	56.92	8	35746	60.27	23564	39.73
11	विजयराघोगढ़	106290	50.41	12	63253	59.51	43037	40.49
12	बहोरीबंद	117734	59.19	5	68831	58.46	48903	41.54
13	ढीमरखेड़ा	103116	57.99	6	61046	59.20	42070	40.80
	जबलपुर-कटन ी योग	1193009	70.56		69046	58.18	488597	40.95
	मध्यप्रदेश	25281986	38.94		17054982	67.45	11227004	44.40
	भारत	778454120	64.30		444203762	57.06	334250358	42.93

Source: Census of India, 2011, District Census Hand Book, Distirict Jabalpur & Katni

क्षेत्रीय वैविध्य परिवर्तन- इस प्रकार जबलपुर-कटनी जिले में (वर्ष 2011) ग्रामीण लिंगानुपात साक्षर जनसंख्या के वितरण को तालिका क्रमांक-1 के आधार पर तीन प्रमुख वर्गो में वर्गीकृत किया जा सकता है (मानचित्र क्रमांक-1)-

1. उच्च ग्रामीण साक्षर जनसंख्या वाले क्षेत्र (60 प्रतिशत से अधिक)
2. मध्यम ग्रामीण साक्षर जनसंख्या वाले क्षेत्र (60 से 55 प्रतिशत तक)
3. निम्न ग्रामीण साक्षर जनसंख्या वाले क्षेत्र (50 प्रतिशत से कम)

1. उच्च ग्रामीण साक्षर जनसंख्या वाले क्षेत्र- जबलपुर-कटनी जिले में उच्च ग्रामीण साक्षर जनसंख्या वितरण के क्षेत्र में अंतर्गत विकासखण्ड जबलपुर (बरगी) 74.14 प्रतिशत सिहोरा 65.07 प्रतिशत, कटनी (मुडवारा) 66.74 प्रतिशत एवं शहपुरा 61.74 में यह दर प्रदेश एवं देश की तुलना में काफी अधिक है, इस क्षेत्र में उच्च वितरण पाई जाने का प्रमुख कारण क्षेत्र की भौतिक एवं सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ परिलक्षित होती है।

2. मध्यम ग्रामीण साक्षर जनसंख्या के क्षेत्र - अध्ययन क्षेत्र में मध्यम ग्रामीण जनसंख्या वितरण के क्षेत्र इस संवर्ग के अंतर्गत विकासखण्ड बहोरीबंद 59.19 प्रतिशत, बड़वारा, 57.99 प्रतिशत, ढीमरखेड़ा 56.92 प्रतिशत, रीठी 56.68 प्रतिशत, मझौली 57. 74 प्रतिशत में पाई गई है। यह वितरण प्रदेश एवं देश की तुलना में कम है। इसके लिये विकासखण्ड की स्थानीय भौतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियाँ उत्तरदायी हो सकती है।

मानचित्र क्रमांक 02

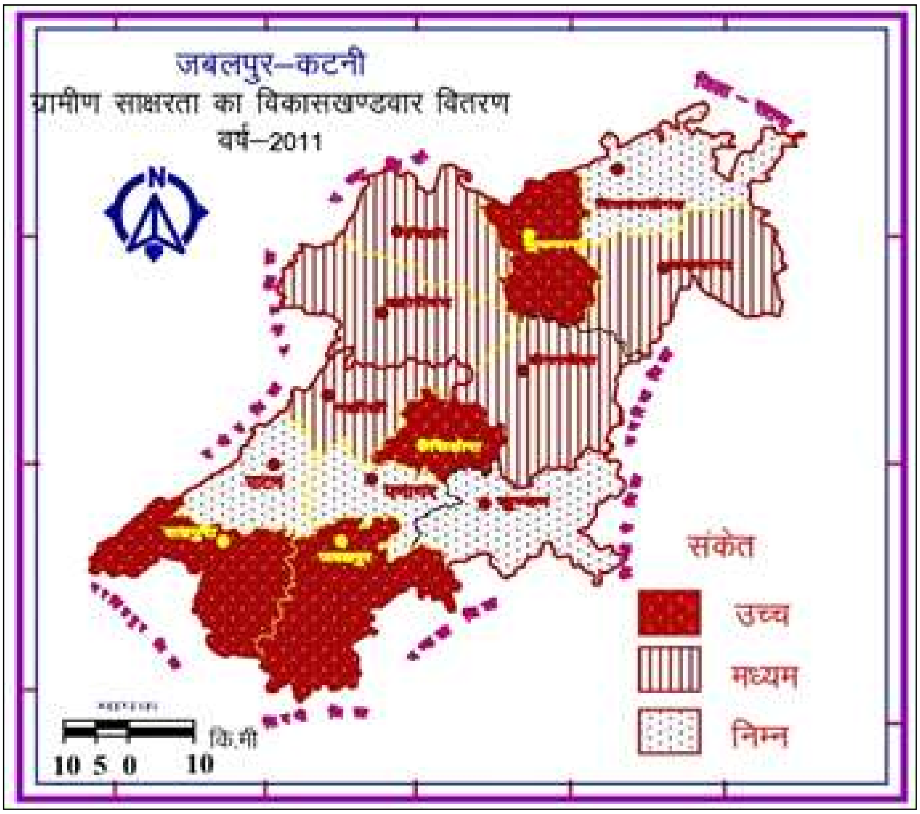

3. निम्न ग्रामीण साक्षर जनसंख्या के क्षेत्र- इस संवर्ग के अंतर्गत जबलपुर–कटनी जिले में ऐसे विकासखण्ड शामिल है, जहाँ 53 प्रतिशत से कम की जनसंख्या पायी गई है, इन विकासखण्डों में निम्न जनसंख्या का वितरण (2011) के अनुसार विजयराघोगढ़ 50.41 प्रतिशत कुण्डम 51.27 प्रतिशत प्रतिशत, पाटन 51.21 प्रतिशत पनागर 35.90 प्रतिशत, विकासखण्ड प्रमुख है। देश एवं प्रदेश में वर्ष 2011 की तुलना में जबलपुर–कटनी जिले में काफी अधिक जनसंख्या का वितरण पाया गया है। जनसंख्या के क्षेत्रीय वितरण में असमानता का प्रमुख कारण स्थानीय परिस्थिति भौतिक दशायें, सामाजिक परंपरायें, अशिक्षा, निर्धनता तथा सरकारी कार्यक्रम एवं योजनाओं का प्रभाव उत्तरदायी है।

जबलपुर-कटनी जिले की नगरीय साक्षरता- जबलपुर–कटनी जिले के शैक्षिक एवं अन्य विकास के लिए नगरीय निकायों का चिन्हन किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि जबलपुर–कटनी जिले अधिक संख्या में नगरीय निकाय हैं। इन नगरीय निकायों में कुछ नगरीय निकाय पुरातन हैं जिनकी आबादी और साक्षरता प्रतिशत अच्छा है। जबकि कुछ नगरीय निकाय समय सापेक्ष अस्तित्व में आ रहें हैं जिनकी साक्षरता दर तीव्र नहीं है। संभाग के नगरीय निकायों में सबसे प्रतिष्ठित नगरपालिका क्षेत्र जबलपुर–कटनी है जो कि सभी 13 विकासखण्डों के मुख्यालय है।

तालिका क्र. 02
जबलपुर-कटनी जिले में नगरीय साक्षरता का विकासखण्डवार वितरण वर्ष-2011

क्र.	विकासखण्ड	कुल साक्षर व्यक्ति	कुल साक्षरता प्रतिशत	रैंक	पुरूष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत
1	सिहोरा	32171	83.8	6	17900	55.64	14271	44.36
2	मझौली	9222	80.99	8	5098	55.28	4124	44.72
3	पाटन	23150	79.62	9	13132	56.73	10018	43.27
4	शहपुरा	10364	87.12	2	5657	54.58	4707	45.42
5	जबलपुर(बरगी)	946228	87.53	1	513060	54.22	433168	45.78
6	पनागर	93796	85.94	4	52123	55.57	41673	44.43
7	कुण्डम	3713	86.13	3	1992	53.65	1721	46.35
8	रीठी	0	0	10	0	0.00	0	0.00
9	कटनी (मुडवारा)	168418	85.91	5	92298	54.80	76120	45.20
10	बड़वारा	0	0	11	0	0.00	0	0.00
11	विजयराघोगढ़	20137	83.01	7	11158	55.41	8979	44.59
12	बहोरीबंद	0	0	12	0	0.00	0	0.00
13	ढीमरखेड़ा	0	0	13	0	0.00	0	0.00
जबलपुर-कटनी योग		**1307199**	**78.21**		**712418**	**54.50**	**594781**	**45.50**
	मध्यप्रदेश	14569183	72.60		8119346	55.72	6449837	44.28
	भारत	778454120	64.30		444203762	57.06	334250358	42.93

Source : Census of India, 2011, District Census Hand Book, Distirict Jabalpur & Katni

क्षेत्रीय वैविध्य परिवर्तन- सारणी क्रमांक 2 से स्पष्ट है कि जबलपुर-कटनी जिले की नगरीय साक्षरता का विवरण में विभिन्नता की दृष्टि से तीन भागो में बांटा गया है (मानचित्र क्रमांक 2)

(1) उच्च नगरीय साक्षरता वाले क्षेत्र (87 प्रतिशत से अधिक)

(2) मध्यम नगरीय साक्षरता वाले क्षेत्र (87 से 80 प्रतिशत तक)

(3) निम्न नगरीय साक्षरता वाले क्षेत्र (80 प्रतिशत से कम)

1. उच्च नगरीय साक्षरता के क्षेत्र - इसके अंतर्गत जबलपुर-कटनी जिले में कुल नगरीय साक्षरता प्रतिशत में जबलपुर (बरगी) 87.53 प्रतिशत, शहपुरा 87.12 प्रतिशत,इन विकासखण्डों में उच्च नगरीय साक्षरता पाई गई है। इन विकासखण्डों में शिक्षा, स्वास्थ्य, गुणवत्ता, आर्थिक-सामाजिक स्थिति अच्छी होने के कारण इन विकासखण्डों में साक्षरता उच्च पाई गई है।

2. मध्यम नगरीय साक्षरता के क्षेत्र- इसके अन्तर्गत जबलपुर-कटनी जिले के उन विकासखण्डों को सम्मलित किया गया है जिसमें नगरीय साक्षरता का प्रतिशत मध्यम है ऐसे विकासखण्ड कुण्डम 86.13 प्रतिशत, कटनी (मुडवारा) 85.91 प्रतिशत, पनागर 85.94 प्रतिशत, विजयराघोगढ़ 83.01 प्रतिशत, मझौली 80.99 प्रतिशत साक्षर व्यक्ति निवास करते है। विकासखण्ड मध्यम नगरीय साक्षरता वाले क्षेत्र इस वर्ग में सम्मलित है।

3. निम्न नगरीय साक्षरता वाले क्षेत्र- इसके अन्तर्गत संभाग के अंतर्गत उन विकासखण्डों को सम्मलित किया गया है जिनकी नगरीय साक्षरता प्रतिशत निम्न है। ऐसे विकासखण्ड पाटन 79.62 प्रतिशत व्यक्ति निम्न नगरीय साक्षरता वाले विकासखण्ड को सम्मिलित किया गया है।

जबलपुर–कटनी जिले में विकासखण्डवार लिंगानुसार साक्षरता का वितरण– जबलपुर–कटनी जिले में साक्षरता के लिंगानुपात का आंकलन करे तो यह अंतर जो पुरुष–महिला के साक्षरता को व्याख्यायित करता है से स्पष्ट होता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत काफी कम है पर समय के साथ धीरे–धीरे शासन की नवीन नतियों और महिलाओं को उनके अधिकार से परिचित करना तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें शिक्षा के नवीन आयामों से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई जिससे महिलाओं का शिक्षा औसत बढ़ने लगा है। बावजूद इसके अभी महिलाओं के साक्षरता स्थिति संतोष जनक नहीं है। एक बात अध्ययन के दौरान और दिखी की उम्र दराज पढ़ी लिखी महिलाएं शिक्षा और साक्षरता का नाम लेने पर उदासीन नजर आती हैं जहाँ पुरूष वर्ग के लोग अपने को शिक्षित बताने में गर्व महसूस करते हैं वहीं महिलाएं इस संदर्भ में उदासीन रहती हैं। जैसे शिक्षा और साक्षरता उनके लिए बेमानी हो। खासतौर पर ग्रामीण परिक्षेत्र में। ग्रामीण परिक्षेत्र की जीवनशैली, कार्ययोजनाएं और दैनिक जीवन की समस्याएं इस तरीके से प्रखर रहती हैं कि महिलाएं उसी में डूबती–उतराती रहती है उनके लिए जैसे शिक्षा और साक्षरता का कोई भी विशेष औचित्य नहीं है। यह कारण भी है जहाँ स्वयं को साक्षर और शिक्षित बताने में उनकी अभिरूचि नहीं दिखती परंतु नई पीढ़ी की बालिकाओं को शिक्षा के उपक्रमों से जोड़ने के लिए वो सजग और प्रखर नजर आती हैं। नई पीढ़ी शिक्षा के प्रति आशान्वित हैं और यह कहना अन्यथा न होगा कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का शिक्षा के प्रति आकर्षण ज्यादा है जिसका प्रभाव अब ग्रामीण साक्षरता में भी दिखने लगा है। ग्रामीण साक्षरता में लिंगानुसार वितरण जनगणना वर्ष 2011 के ऑकड़ों से स्पष्ट होता है कि महिला साक्षरता विगत दशकों की आपेक्षा तेजी से बढ़ रही है। (मानचित्र क्रमांक 3)

मानचित्र क्रमांक 03

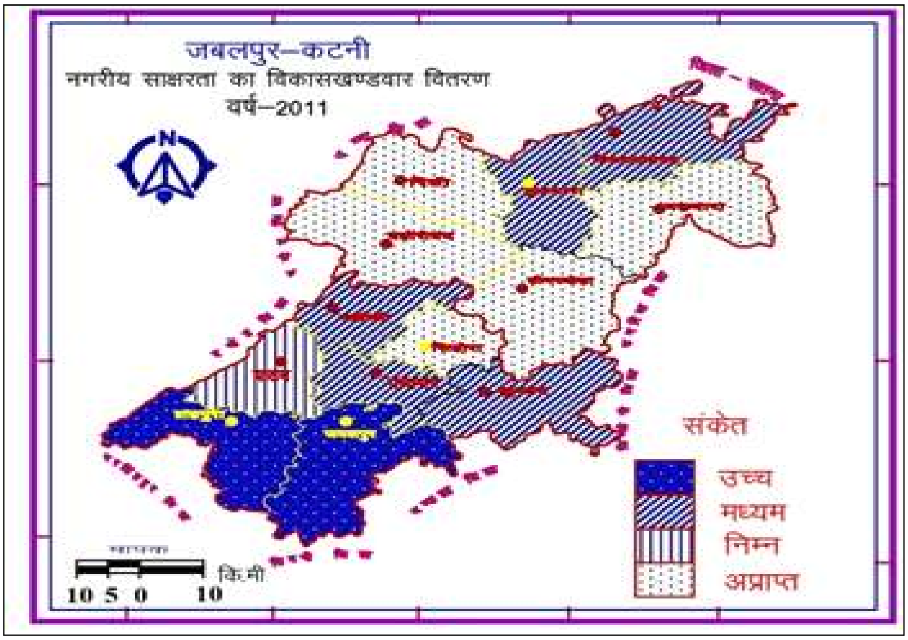

तालिका 03
जबलपुर-कटनी जिले में विकासखण्डवार लिंगानुसार साक्षर जनसंख्या का विवरण (2011)

स. क्र.	विकासखण्ड	कुल साक्षर जनसंख्या	प्रतिशत	रैंक	पुरूष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	साक्षरता में अंतर पुरूष-महिला
1	सिहोरा	120405	77.49	4	69215	57.48	51190	42.51	14.97
2	मझौली	106979	74.13	6	62243	58.18	44736	41.81	16.37
3	पाटन	107006	75.54	5	61513	57.48	45493	42.51	14.97
4	शहपुरा	118369	71.65	7	69204	58.46	49162	41.53	16.93
5	जबलपुर(बरगी)	1047845	85.71	1	572647	54.64	475198	45.35	9.29
6	पनागर	188858	81.36	2	106666	56.47	82192	43.52	12.95
7	कुण्डम	67006	63.48	13	38816	57.92	28190	42.07	15.85
8	रीठी	72100	67.51	11	4.049	55.54	29051	40.29	15.25
9	कटनी(मुडवारा)	254689	79.59	3	143076	56.17	111613	43.82	12.35
10	बड़वारा	59310	67.45	12	35746	60.26	23564	39.73	20.53
11	विजयराघोगढ़	126427	70.99	8	74411	58.85	52016	41.14	17.71
12	बहोरीबंद	117734	70.05	9	68831	58.46	48903	41.53	16.93
13	ढीमरखेड़ा	103116	68.25	10	61046	59.20	42070	40.79	18.41
जबलपुर-कटनी योग		**2489844**	**79.34**		**1363418**	**54.75918**	**1083378**	**43.51188**	**202.51**

स्रोत- आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जबलपुर-कटनी,. 2015

तालिका क्रमांक 3 से स्पष्ट है कि लिंगानुसार साक्षरता दर जबलपुर-कटनी जिले में कुल साक्षरता 65.8 प्रतिशत है जिसमे पुरूष साक्षरता दर 76.4 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 24.6 प्रतिशत है। जबलपुर-कटनी जिले में सर्वाधिक साक्षरता वाला विकासखण्ड जबलपुर 85.71 प्रतिशत है, जहां पुरूष साक्षरता 89.9 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 81.16 प्रतिशत है। सबसे कम साक्षरता वाला विकासखण्ड में कुण्डम 63.48 प्रतिशत है जहां पुरूष साक्षरता 74.21 प्रतिशत व महिला साक्षरता 52.94 प्रतिशत है। जिले में औसत से कम साक्षरता बड़वारा विकासखण्ड में 67.45 प्रतिशत एवं ढीमरखेड़ा विकासखण्ड में 68.35 प्रतिशत है।

क्षेत्रीय वैविध्य परिवर्तन- तालिका क्रमांक 3 से स्पष्ट है कि जबलपुर-कटनी जिले के विकासखण्डवार लिंगानुसार साक्षरता का विवरण में विभिन्नता की दृष्टि से तीन भागो में बांटा गया है।

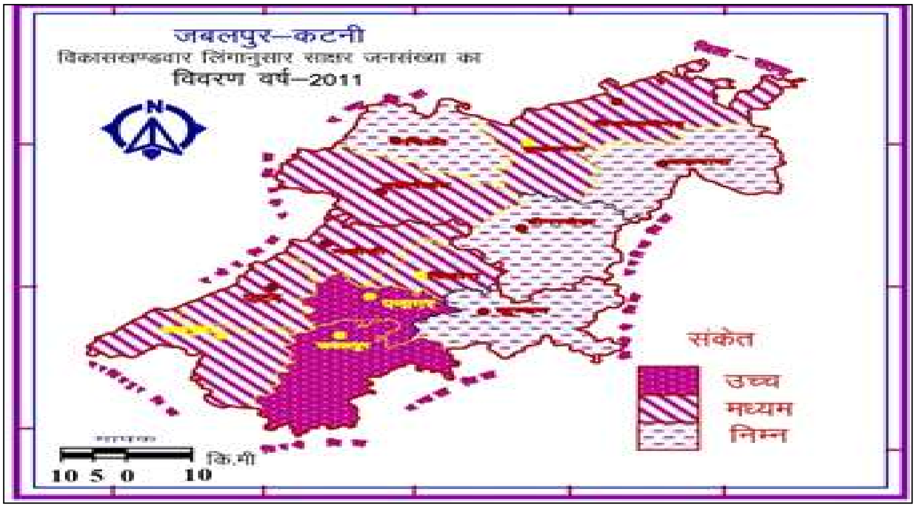

1. उच्च लिंगानुपात साक्षर जनसंख्या वाले क्षेत्र (80 प्रतिशत से अधिक)
2. मध्यम लिंगानुपात साक्षर जनसंख्या वाले क्षेत्र (80 से 70 प्रतिशत तक)
3. निम्न लिंगानुपात साक्षर जनसंख्या वाले क्षेत्र (70 प्रतिशत से कम)

1. उच्च ग्रामीण लिंगानुपात साक्षर जनसंख्या वाले क्षेत्र- जबलपुर-कटनी जिले में उच्च लिंगानुपात साक्षर जनसंख्या वितरण के क्षेत्र में अंतर्गत विकासखण्ड जबलपुर (बरगी) 85.71 प्रतिशत, पनागर 81.36 प्रतिशत में यह दर प्रदेश एवं देश की तुलना में काफी अधिक है, इस क्षेत्र में उच्च वितरण पाई जाने का प्रमुख कारण क्षेत्र की भौतिक एवं सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ परिलक्षित होती है।

2. मध्यम ग्रामीण लिंगानुपात साक्षर जनसंख्या के क्षेत्र - अध्ययन क्षेत्र में मध्यम ग्रामीण लिंगानुपात जनसंख्या वितरण के क्षेत्र इस संवर्ग के अंतर्गत विकासखण्ड सिहोरा 77.49 प्रतिशत प्रतिशत, पाटन 75.54 प्रतिशत, कटनी (मुडवारा) 79.59 प्रतिशत, मझौली 74.13 प्रतिशत, विजयराघोगढ़ 70.99, बहोरीबंद 70.05 प्रतिशत, शहपुरा 71. 65 प्रतिशत में पाई गई है। यह वितरण प्रदेश एवं देश की तुलना में कम है। इसके लिये विकासखण्ड की स्थानीय भौतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियाँ उत्तरदायी हो सकती है।

3. निम्न ग्रामीण लिंगानुपात साक्षर जनसंख्या के क्षेत्र - इस संवर्ग के अंतर्गत जबलपुर-कटनी में ऐसे विकासखण्ड शामिल है, जहाँ 70 प्रतिशत से कम की जनसंख्या पायी गई है, इन विकासखण्डों में निम्न जनसंख्या का वितरण (2011) के अनुसार रीठी 67.51 प्रतिशत, ढीमरखेड़ा 68.25 प्रतिशत, बड़वारा, 67.45 प्रतिशत, कुण्डम 63.68 प्रतिशत प्रतिशत निवास प्रमुख है। देश एवं प्रदेश में वर्ष 2011 की तुलना में जबलपुर-कटनी जिले में काफी अधिक जनसंख्या का वितरण पाया गया है। जनसंख्या के क्षेत्रीय वितरण में असमानता का प्रमुख कारण स्थानीय परिस्थिति भौतिक दशायें, सामाजिक परंपरायें, अशिक्षा, निर्धनता तथा सरकारी कार्यक्रम एवं योजनाओं का प्रभाव उत्तरदायी है।

जबलपुर-कटनी जिले में साक्षरता- आर्थिक दृष्टि से व्यापक गरीबी और स्त्रियों की निम्न व्यावसायिक संलग्नता के कारण स्त्री और पुरूष साक्षरता में विभेद पाया जाता है। (Krishna & Shyam, 1973)। भारतीय समाज में नारी वह केंद्र है, जिसके इर्द-गिर्द परिवार घूमता है। यह शक्ति समृद्धि और शिक्षा की देवी कही जाती है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण इसके विपरीत है, पुरूष के साथ इसका सम्बन्ध आश्रित का है और इसकी क्रिया-कलाप घरेलूकार्यों तक सीमित है। यह पुरूष की अर्धांगिनी कही जाने वाली एक शोषित बहुसंख्यक है, जो अधिकांशतः निरक्षर एवं अशिक्षित है (सिंह, 1986)। शिक्षा को लोकोमुखी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास समय सापेक्ष होते रहे हैं। कभी आश्रम शिक्षा थी तो कभी व्यक्तिगत शिक्षा, कभी समुदायों के बीच रही तो कभी संस्थानों के रूप में सब का आशय ज्ञान-विज्ञान की नवीन परिधि से जोड़ना रहा है। एक दौर था जब शिक्षा से आशय किसी न किसी महत्वपूर्ण परिक्षेत्र की विशिष्ट जानकारी से होता था। यह जानकारी कृषि की हो सकती थी, पशु ज्ञान की हो सकती थी, पर्यावरणिक ज्ञान से थी तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रों से थी। तब जानकारी ही ज्ञान थी जिसे शिक्षा के रूप में चिन्हित किया जाता था। समय के साथ बदलाव आया और शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से शिक्षा

एक निर्धारित प्रारूप में प्रारंभ हुई जिससे समाज में एकरूपता आई और लेखकीय, पुस्तकीय ज्ञान शिक्षा का आधार बना। इसे प्राप्त करने के लिए अक्षर और लिपि ज्ञान आवश्यक था। लिहाजा नये परिदृश्य में अक्षर और लिपि ज्ञान तथा उनके माध्यम से पठन–पाठन का विकास का क्रम शुरू हुआ जिसके माध्यम से बनने वाले श्रृंखला स्थानीय प्रतिरूप के रूप में चिन्हित होने लगी। स्थानीय प्रतिरूपों का चिन्हन विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक उपक्रमों के रूप में इस परिप्रेक्ष्य में होने लगा। गौर करें तो विगत विभिन्न दशकों में साक्षरता का क्रम विन्यास धीरे–धीरे गतिशील होता गया। जनगणना वर्ष 2001 में प्राप्त ग्रामीण साक्षरता का औसत विन्यास निम्न रहा–

तालिका क्र. 04

जबलपुर-कटनी : विकासखण्डवार ग्रामीण साक्षरता का वितरण वर्ष-2001

क्र.	विकासखण्ड	कुल साक्षर व्यक्ति	कुल साक्षरता प्रतिशत	रैंक	पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	साक्षरता में अंतर पुरुष–महिला
1	सिहोरा	65512	66.5	2	40890	62.42	24622	37.58	24.83
2	मझौली	73142	65.7	3	46014	62.91	27128	37.09	25.82
3	पाटन	64124	65.4	5	39790	62.05	24334	37.95	24.10
4	शहपुरा	76131	59.2	7	48368	63.53	27763	36.47	27.07
5	जबलपुर(बरगी)	91688	65.6	4	57504	62.72	34184	37.28	25.43
6	पनागर	73969	71.3	1	44963	60.79	29006	39.21	21.57
7	कुण्डम	45768	51.9	13	29462	64.37	16306	35.63	28.74
8	रीठी	48239	57.7	11	32024	66.39	16215	33.61	32.77
9	कटनी(मुडवारा)	56464	57.8	10	36789	65.15	19675	34.85	30.31
10	बड़वारा	68102	57.2	12	45703	67.11	22399	32.89	34.22
11	विजयराघोगढ़	70416	57.9	9	46681	66.29	23735	33.71	32.59
12	बहोरीबंद	81557	61.0	6	52167	63.96	29390	36.04	27.93
13	ढीमरखेड़ा	72451	58.6	8	47274	65.25	25177	34.75	30.50
जबलपुर–कटनी जिले		**887563**	**64.58**		**567629**	**63.95**	**319934**	**36.04**	**27.91**
मध्यप्रदेश		**8708995**	**26.30**		**6919986**	**40.77**	**1789009**	**11.09**	**29.68**

Source : Census of India, 2011, District Census Hand Book, Distirict Jabalpur & Katni.

क्षेत्रीय वैविध्य परिवर्तन- तालिका क्रमांक 4 से स्पष्ट है कि जबलपुर–कटनी जिले की ग्रामीण साक्षरता (2001) के अनुसार पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत कम रहा। विभिन्नता की दृष्टि से तीन भागो में बांटा गया है (मानचित्र क्रमांक–4)–

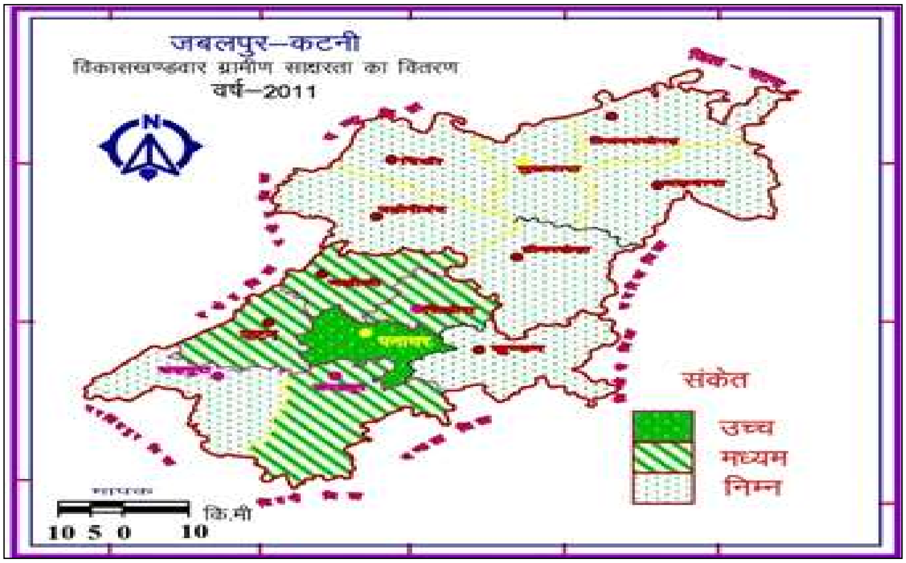

(1) उच्च ग्रामीण साक्षरता वाले क्षेत्र (70 प्रतिशत से अधिक)
(2) मध्यम ग्रामीण साक्षरता वाले क्षेत्र (70 से 65 प्रतिशत तक)
(3) निम्न ग्रामीण साक्षरता वाले क्षेत्र (65 प्रतिशत कम)

1. उच्च ग्रामीण साक्षरता के क्षेत्र - इसके अंतर्गत जबलपुर-कटनी जिले में कुल साक्षरता प्रतिशत में पनागर 71.3 प्रतिशत इस विकासखण्ड में उच्च ग्रामीण साक्षरता पाई गई है। इस विकासखण्ड में शिक्षा, स्वास्थ्य, गुणवत्ता, आर्थिक-सामाजिक स्थिति अच्छी होने के कारण इन विकासखण्डों में साक्षरता उच्च पाई गई है।(मानचित्र क्रमांक-4)

2. मध्यम ग्रामीण साक्षरता के क्षेत्र- इसके अन्तर्गत जबलपुर-कटनी जिले के उन विकासखण्डों को सम्मलित किया गया है जिसमें साक्षरता का प्रतिशत मध्यम है ऐसे विकासखण्ड सिहोरा 66.5 प्रतिशत, जबलपुर (बरगी) 65.6 प्रतिशत, मझौली 65.7 प्रतिशत, पाटन 64.4 साक्षर व्यक्ति निवास करते है। विकासखण्ड मध्यम सामान्य साक्षरता वाले क्षेत्र इस वर्ग में सम्मलित है।

3. निम्न ग्रामीण साक्षरता वाले क्षेत्र - इसके अन्तर्गत जबलपुर-कटनी जिले के अंतर्गत उन विकासखण्डों को सम्मलित किया गया है जिनकी साक्षरता प्रतिशत निम्न है। ऐसे विकासखण्ड ढीमरखेड़ा 58.6 प्रतिशत, विजयराघोगढ़ 57.8 प्रतिशत, बड़वारा 57.2 प्रतिशत, शहपुरा 59.2 प्रतिशत, कुण्डम 51.9 प्रतिशत व्यक्ति निम्न साक्षरता वाले विकासखण्ड को सम्मिलित किया गया है।

जनगणना वर्ष 2001 में जबलपुर-कटनी जिले के नगरीय निकायों में संख्यात्मक वृद्धि हुई विगत दशक के 21 नगरीय निकायों की जगह इस जनगणना वर्ष में नगरीय निकायों की संख्या 23 हुई और औसत जनसंख्या प्रतिशत में भी वृद्धि हुई। जबलपुर-कटनी जिले के नगरीय निकायों का साक्षरता प्रतिशत 65.32 रहा जो निश्चय ही साक्षरता प्रतिरूपों के परिवर्धन का सूचक है।

सारणी क्रमांक 05

जबलपुर-कटनी : विकासखण्डवार नगरीय साक्षरता, (वर्ष 2001-2011)

क्र.	विकासखण्ड	नगरीय साक्षरता वर्ष 2001			नगरीय साक्षरता वर्ष 2011		
		संख्या	प्रतिशत	रैक	संख्या	प्रतिशत	रैक
1	सिहोरा	32652	78.4	4	32171	83.8	6
2	मझौली	24093	68.4	7	9222	80.99	7
3	पाटन	27313	76.0	5	23150	79.62	8
4	शहपुरा	43601	71.3	6	10364	87.12	2
5	जबलपुर(बरगी)	845821	84.7	1	946228	87.53	1
6	पनागर	34423	65.7	8	93796	85.94	4
7	कुण्डम	13096	60.35	9	3713	86.13	3
8	रीठी	0	0	0	0	0	0
9	कटनी(मुडवारा)	139200	81.7	2	168418	85.91	5
10	बड़वारा	0	0	0	0	0	0
11	विजयराघोगढ़	18775	80.1	3	20137	78.07	9
12	बहोरीबंद	0	0	0	0	0	0
13	ढीमरखेड़ा	0	0	0	0	0	0
जबलपुर–कटनी जिला		1178974	73.64		1307199	82.24	
	मध्यप्रदेश	5586393	64.55		8962354	70.81	
	भारत	235731032	43.57		359284417	52.21	

Source : Census of India, 2001, District Census Hand Book, Distirict Shahdol, Umariya & Anuppur

क्षेत्रीय वैविध्य परिवर्तन- तालिका क्रमांक 05 के अनुसार स्पष्ट है कि जबलपुर-कटनी जिले के विकासकाखण्ड में नगरीय साक्षरता स्थिति 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न विकासखण्डों में साक्षरता में क्षेत्रीय अन्तराल पाया गया है। साथ ही साथ जबलपुर-कटनी जिले की कुल साक्षरता के साथ सम्पूर्ण प्रदेश एवं देश में पायी जाने वाली कुल साक्षरता तथा सभी संवर्ग की जनसंख्या साक्षरता को प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 2001 में जबलपुर-कटनी जिले में नगरीय विकासखण्ड कुल साक्षरता 1178974 इसका 73.64 प्रतिशत पाया गया है। इसी प्रकार राज्य की साक्षरता से तुलना करें तो 64. 55 प्रतिशत प्राप्त है।

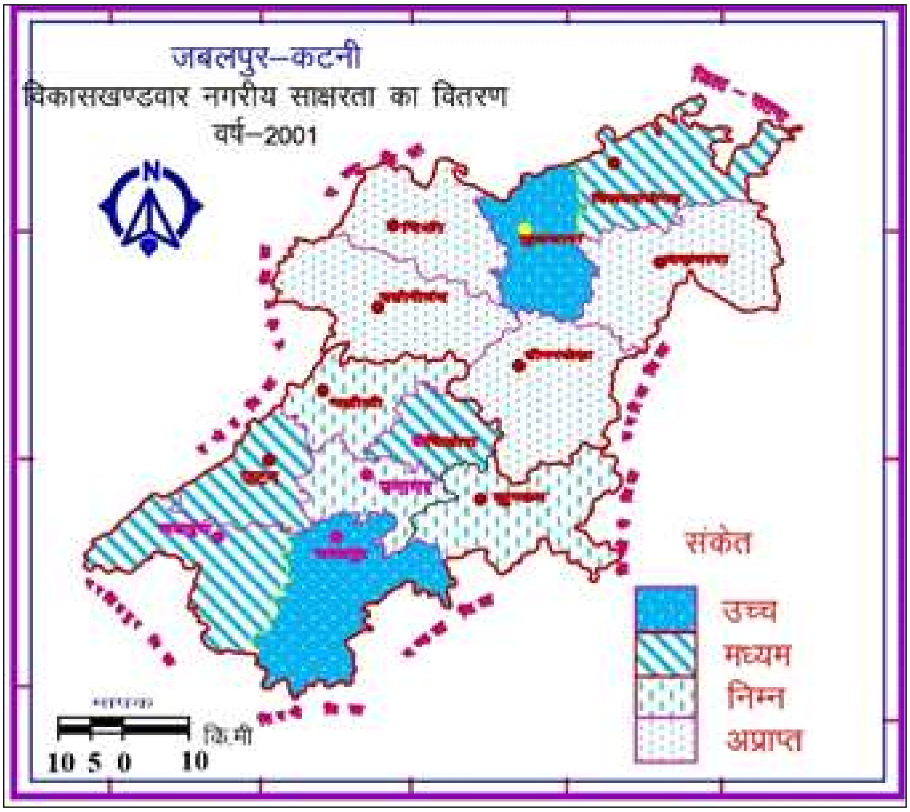

यदि भारत में नगरीय साक्षरता क्षेत्र से अधिक है, राज्य से कम है। इस सम्बन्ध में निम्न कारक उत्तरदायी है –

- नगरों में शैक्षणिक विकास हेतु अनुकूल सामाजिक जीवन तथा आर्थिक कारक।
- ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा नगर केंद्रों पर शिक्षण की पर्याप्त सुविधायें।
- नगरीय जनसंख्या का सामाजिक-राजनीतिक दृष्टि से जागरूक होना तथा अपेक्षाकृत आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ होना,
- ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय केंद्रों में महिलाओं का उच्च सामाजिक स्तर,

- ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित लोगों का नगरों में रोजगार की खोज में स्थानान्तरण।

पुरूष-महिला साक्षरता- आर्थिक दृष्टि से व्यापक गरीबी और स्त्रियों की निम्न व्यावसायिक संलग्नता के कारण स्त्री और पुरूष साक्षरता में विभेद पाया जाता है। (Krishna & Shyam, 1973)। भारतीय समाज में नारी वह केंद्र है, जिसके इर्द-गिर्द परिवार घूमता है। यह शक्ति समृद्धि और शिक्षा की देवी कही जाती है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण इसके विपरीत है, पुरूष के साथ इसका सम्बन्ध आश्रित का है और इसकी क्रिया-कलाप घरेलूकार्यों तक सीमित है। यह पुरूष की अर्धांगिनी कही जाने वाली एक शोषित बहुसंख्यक है, जो अधिकांशतः निरक्षर एवं अशिक्षित है (सिंह, 1986)।

तालिका 06

जबलपुर-कटनी : विकासखण्डवार पुरूष-महिला साक्षरता, (वर्ष-2011)

तहसील/ विकास खण्ड/वर्ष	कुल साक्षरता प्रतिशत		कुल साक्षरता प्रतिशत
	पुरूष	स्त्री	
सिहोरा	83.3	64.3	74.1
मझौली	66.5	37.2	52.1
पाटन	65.0	43.6	54.6
शहपुरा	77.1	55.0	66.4
जबलपुर(बरगी)	70.0	44.3	67.3
पनागर	74.4	50.6	62.9
कुण्डम	84.5	67.1	76.1
रीठी	77.4	53.9	65.8
कटनी(मुडवारा)	79.1	58.4	69.8
बड़वारा	38.58	17.42	28.19
विजयराघोगढ़	49.16	28.50	44.90
बहोरीबंद	76.4	34.6	65.8
ढीमरखेड़ा	70.65	58.60	67.9
जबलपुर-कटनी	78.65	64.77	68.37

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी म.प्र.

उपरोक्त तालिका 6. से स्पष्ट होता है कि जबलपुर-कटनी जिले के विकासखण्डों में साक्षरता में वृद्धि हो रही है। 2001 में स्त्री साक्षरता 17.42 प्रतिशत थी व 2001 में 28.50 प्रतिशत थी, जो 2011 में बढ़कर 76.4 प्रतिशत हो गई 1991 में कुल साक्षरता 28.19 प्रतिशत थी व 2001 में 44.90 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 65.8 प्रतिशत हो गई है।

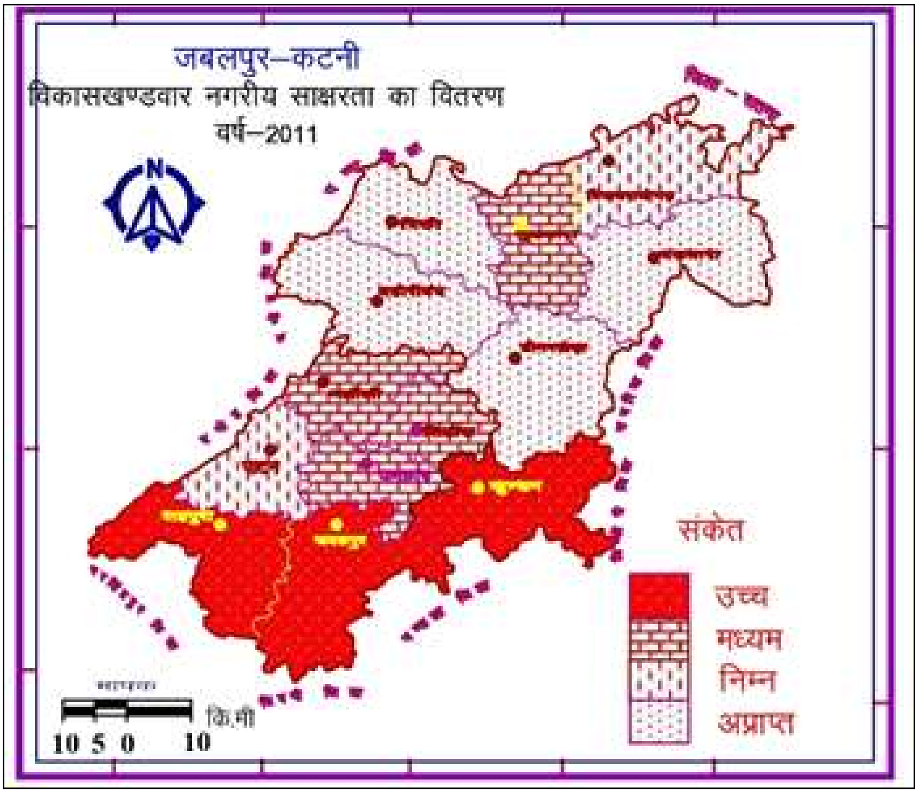

निष्कर्ष- जबलपुर–कटनी जिले के अन्तर्गत महिला पुरूष साक्षरता दर में काफी अंतर पाया गया है, क्योंकि कुछ क्षेत्र ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। जिसमें ग्रामीण विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में बहुत प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए उन्हें गांव से शहर में शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। बहुत सी बालिकाओं को शहर में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या एवं अन्य विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कारण से बहुत सी बालिका को शिक्षा नहीं मिल पाती है। इस प्रकार की समस्याओं के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किय जा रहे हैं। साथ ही इन बालक बालिकाओं के लिए सरकार बहुत सी सुविधाएँ उपलब्ध करवा रही है।

सुझाव- जबलपुर–कटनी की साक्षरता के अवलोकन को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद मध्यप्रदेश राज्य में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। लेकिन यह देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी नहीं ह। माता–पिता को लड़कियों को शिक्षा देने के लिए लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिये। गरीबअी के अभाव में भी शिक्षा की सर्वभौमिका को समझना चाहिये। महिला, पुरूष साक्षरता के बीच एक व्यापक अंतराल हैं इसलिये महिला पर ध्यान एवं उसकी साक्षरता पर ध्यान देने की आवश्यकता के साथ इनके विकास के लिए अथक प्रयास करने की आवश्यकता है जो देश एवं राज्य की उन्नति के लिए साकार सिद्ध होगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. चांदना, आर.सी., 2005 जनसंख्या भूगोल, कल्याणी पब्लिशर्स,
2. मध्यप्रदेश में साक्षरता की स्थिति, राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र मध्यप्रदेश, इन्दौर
3. गोयल मनोज कुमार (2015) समाई माधोपुर लिले में जनसंख्या भूगोल का अध्ययन, भूगोल विभाग, गवरमेन्ट कॉलेज, माधोपुर।
4. झारिया घनश्याम प्रसाद (2014), मध्यप्रदेश में साक्षरता का पैटर्न और अंतरे, भूगोल विभाग हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, (ISOR), मानविकी और सामाजिक विज्ञान कालेज बूदी (राजस्थान) कोटा,
5. 1991 की जनगणना हैण्डबुक
6. 2011, साक्षरता की स्थिति भारत सरकार 2011, (अंतरिम जनसंख्या कुल)
7. लाल, रमन बिहारी (2012-13) : भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास, रस्तोगी पब्लिकेशंस मेरठ, पृ.सं. 31
8. पाण्डेय, डॉ. रामसकल (2006) : शिक्षा दर्शन, अग्रवाल पब्लिकेशन्स आगरा, पृ.सं. 211
9. सलीम, मोहम्मद (2016): भारत में उच्च शैक्षिक और व्यवस्थित रोजगार क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी का अध्ययन, यूनिर्वसिटी न्यूज, पृ.सं. 54
10. आगे आयें, लाभ उठायें, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश सस्करण अप्रैल 2016,
11. बालिका शिक्षा - विकपीडिया
12. गाँव की बेटी योजना - विकपीडिया
13. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, जबलपुर, कटनी, 2011
14. जिला गजेटियर, जबलपुर-कटनी 1991

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 39, Hindi Edition, Year-20, July- Dec. 2023

घटते जंगलों का जनजातियों पर प्रभाव

•गंगा देवी बैरागी

सारांश- आज के आधुनिक युग में दिन-ब-दिन जंगलों को काटकर गांव या शहर बसाने की एक मुहिम शुरू हो गई है, उसने एक नई शहरीकरण की संस्कृति को जन्म तो दिया है, परंतु पुरातन काल से चले आ रहे आदिवासियों के हृदय स्थली या यूं कहें आश्रय स्थली जंगलों को तहस-नहस करके उनके जनजीवन और कहीं ना कहीं विनाश करने का कार्य भी किया है। आदिवासियों ने समय-समय पर चिपको आंदोलन, आदिवासियों का हरित क्रांति आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन आदि करके अपनी तरफ से जंगलों को बचाने की पुरजोर कोशिश की पर आज के आधुनिकीकरण के इस दौर में, और बढ़ते शहरीकरण के कारण उनकी एक न चली।

मुख्य शब्द - शहरीकरण, संस्कृति, आदिवासी

जंगलों के विनाश के कारण आदिम जनजातियों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। वे जंगलों को छोड़कर और कटते हुए जंगलों से परेशान होकर और जंगलों पर सरकार का आधिपत्य होने के कारण शहरों और गांव में आकर दूसरे के खेतों में बेगारी, तथा शहरों में मजदूरी करने को मजबूर हैं। कुछ तो इतनी ज्यादा पीड़ित हो चुके है, की, वे सरकार को अपना विरोधी मान बैठे हैं, और जंगलों में अपने राज्य को स्थापित करने के लिए नक्सली समूह के बहकावे में आकर नक्सली तक बन गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि घटते जंगलों का जनजातियों पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ा है। जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। भारत में लगभग 613 जनजाति निवास करती हैं। घटते जंगलों ने जनजातियों के जीवन को तहस-नहस कर दिया है। घटते जंगलों के कारण वे अपने मूल जड़ों, अपनी जनजाति संस्कृति से, अपनी सामाजिक व्यवस्था, अपने सामाजिक संबंधों अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी राजनीतिक व्यवस्था, अपनी धार्मिक व्यवस्था, मानसिक स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता, या यूं कहें अपनी आत्मा जैसे जंगल से, दूर रहकर जीने को मजबूर हो गए हैं स सरकार को चाहिए कि वह जंगलों को ज्यादा से ज्यादा बचाने का प्रयास करें, ताकि जनजातियां अपने मूल निवास से ज्यादा दूर ना हो सके और वहीं पर जनजातियों की प्रगति के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग खोलें, ताकि जनजातियां अपनी जड़ों में ही खुश रहें। क्योंकि अगर वह जड़ों से दूर हो गए तो उनका फूलना फलना अर्थात, उनकी सुख समृद्धि और विकास असंभव सा हो जाएगा

• **सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, मझौली, सीधी मध्य प्रदेश**

और उनकी अद्वितीय संस्कृति भी विलुप्त हो जाएगी।

आज के आधुनिकीकरण के इस दौर में घटते हुए जंगलों से हम सब भलीभांति परिचित ही है आइए जानते हैं कि घटते हुए जंगलों का हमारे देश के जनजाति लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है।

1.जनजाति सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव- जनजातियों की अपनी स्वयं की सामाजिक व्यवस्था होती है। संघठन व्यवस्था पर आधारित होती है। सामाजिक आर्थिक व्यवहारिक समस्त कार्य यह लोग पूर्व में गोत्र प्रमुखों की सलाह से करते थे। आज के घटते जंगलों और बढ़ते औद्योगीकरण के कारण यह लोग नगरों के समीप बसने को मजबूर हैं। जिससे इनके परंपरागत सामाजिक व्यवस्था व जनजीवन पर गहरा असर पड़ा है। और यह लोग अपने गोत्र, संगठन एवं जनजाति समूह से अलग होकर शहरी व्यवस्था के अनुसार जीवन जीने को मजबूर हैं।

2.जनजाति के सामाजिक संबंधों पर प्रभाव- घटते जंगलों के कारण यह अपना मनोरम प्राकृतिक आश्रय स्थल छोड़कर शहरों के समीप बस गए हैं। यह बार-बार आर्थिक तंगी के चलते अपने घरों को, अर्थात अपने मूल जड़ जंगलों के पास नहीं जा पाते इस प्रकार यह अपने मूल जड़ों परिवार और सामाजिक संबंधों से विलग होने को मजबूर हो हो गए हैं। जिसके कारण यह पारिवारिक उत्सवों, मेलों और घोटूल आदि प्रथा में शामिल नहीं हो पाते स जिसके कारण इनके सामाजिक संबंध टूटने की कगार पर आ गए हैं, जिससे शहरों में रहकर यह अपने आप को अलग-थलग और उपेक्षित महसूस करते हैं।

3.संस्कृति पर प्रभाव- जनजाति संस्कृति का अपना एक विशेष महत्व एवं पहचान है, जो अन्य संस्कृतियों से अलग और अपने आप में अनूठा है। हमें इनके विश्वास व्यवहार रीति-रिवाज परंपराएं विधि-विधान ज्ञान कला नृत्य आदि होते हैं। जैसे सायला, रीना, कर्मा, भगोरिया, नृत्य आदि। इनके गोदना गोदवाने की परंपरा भी अद्‌भुत है। गैर आदिवासी समुदायों से, इनकी संस्कृति पूर्णतः भिन्न होती है। किंतु घटते जंगलों और शहरों के समीप बसने के कारण इनकी यह संस्कृति भी परिवर्तित हो रही है। आजकल के आदिवासी बच्चे, अपनी परंपरागत प्रथाओं और संस्कृति को छोड़कर आधुनिक परंपराओं, आचार विचारों को अपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसके कारण इनकी अति प्राचीन और आकर्षक संस्कृति विलुप्त होने की कगार पर है।

4.वनवासी संस्कृति के विलुप्त होने का खतरा- जंगलों के कटने के कारण जनजाति संस्कृति के अस्तित्व पर गहरा संकट छा रहा है। क्योंकि वनवासी लोगों का यह घर है यहां उनकी सांसे चलती हैं इन घने जंगलों की छांव में महुआ के फूलों के बीच यह अपने सारे कष्ट भूल कर सायला, कर्मा, रीना नृत्य में नगाड़े की थाप पर मदमस्त रहते हैं । जहां पर जंगलों में इनकी कदमताल और मधुर गीत की आवाज सारे जंगल को मंगलमय बना देती है । समूह में जंगलों में नृत्य करते हैं, मादर की थाप, इनके गीतों को और अधिक मादकता प्रदान करती है । वहीं पर यह घोटूल के बीच अपना जीवनसाथी भी चुन लेते थे, पर आज के बढ़ते आधुनिकीकरण, और कटते जंगलों के बीच यह मनभावन लोक संस्कृति, जो अपने आप में अद्वितीय है, वह विलुप्त होने की कगार पर है

। हमें इनकी समृद्ध संस्कृति को बचाने के लिए, एवं रीति रिवाज और परंपराओं को कायम रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा यह प्रयास करना होगा कि जंगल को बचाएं, और जंगल में उनका वही पुराना अधिकार वापस करना होगा ताकि वह अपनी इस अद्भुत संस्कृति को संभाल के रख सकें।

5.जनजाति धर्म पर प्रभाव- जंगलों में पेड़- पौधों एवं वन देवी को अपनी देवी मानकर पूजा पाठ करते थे। वह मानते थे कि मशीनों के प्रयोग से देवी देवता नाराज हो जाएंगे, पर घटते जंगलों ने इनकी धार्मिक भावना को आहत किया है । कई पेड़ जिनमें अपने देवी-देवताओं का निवास मानते थे जैसे पीपल, बरगद, आदि। बढ़ते नगरीकरण ने जंगलों को साफ कर दिया और धीरे-धीरे नगरों ने वहां पर जंगलों का स्थान ले लिया । जिससे इनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है और यह भारी मन से जंगलों से पलायन कर गए है और जब जंगल ही नहीं रहे जहां पर इनके देवी देवता निवास करते थे, वहाँ यह रह कर क्या करेंगे और इनकी धार्मिक आस्था कैसे बचेगी यह भी एक बड़ा प्रश्न है। वृक्षों के नीचे यह अपनी देवी-देवताओं को चढ़ावा चढ़ाते थे, और नाच गाकर अपने देवी देवताओं को प्रसन्न भी करते थे । गांव के बाहर बड़ा देव का चबूतरा भी हुआ करता था । मुर्गा बकरा आदि पशुओं की बलि चढ़ाते थे, और बड़ा देव को प्रसन्न करते थे। अब शिकार और बढ़ते शहरीकरण ने इनके जंगलों पर आधिपत्य समाप्त कर दिया है और उनके धार्मिक अस्तित्व पर भी संकट छा गया है ।

6.जनजाति राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव- पहले यह स्वयं अपने आप को जंगल का राजा मानते थे न्याय व्यवस्था अपनी राजनीतिक व्यवस्था खुद बनाते थे । किंतु आज घटते जंगलों और बढ़ते शहरीकरण ने इनकी राजनीतिक व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया है। पहले इनके गोत्र का सयाना या मुखिया ही सारे फैसले करता था। वही चोरी हत्या आदि अपराधों की सजा देता था, और यह जंगल में अपनी राजनैतिक व्यवस्था के मालिक खुद थे, किंतु आज बढ़ते आधुनिकीकरण के कारण यह स्वयं लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जीवन जीकर अपने आप को परतंत्र सा महसूस करते हैं, और यह समझते हैं कि अब इनका राज चला गया है। सरकार की आदिवासियों को टिकट देने की नीति के कारण आजकल यह भी बढ़-चढ़कर राजनीति में हिस्सा लेने लगे हैं । फिर भी अपने गोत्र समूह, और जनजाति शासन व्यवस्था के खुद मालिक होने की कमी इन्हें हमेशा ही महसूस होती है इस प्रकार घटते जंगलों ने इनकी राजनीतिक व्यवस्था को भी चरमरा दिया है, और इन्हें सरकार का गुलाम सा बना दिया है।

7. घटते जंगलों के कारण जनजाति लोगों के खेलकूद पर प्रभाव- घटते जंगलों के कारण, पहले जो यह लोग जंगलों में तीर कमान, तलवार ग्येडी, ढोला बाघ आदि खेल खेलते थे, अब वह कुछ नहीं रह गया है । शिकार पर प्रतिबंध, और जंगलों के विनाश के कारण यह अपनी परंपरागत खेल-कूद और मनोरंजन के साधनों को भूल गए हैं, और शहरों में आकर, शहरों के हिसाब से जीवन जीने को मजबूर हैं। यह यहा पर जंगलों की चहल-पहल और रौनक को याद करके गुमसुम रहते हैं, और धीरे-धीरे शहरी वातावरण में अपने आप को ढलने को मजबूर हैं।

8. वेशभूषा और रहन-सहन पर प्रभाव- घटते जंगलों के कारण यह शहरों में आकर

बस गए हैं। और अपनी परंपरागत वेशभूषा पगड़ी धोती आदि को त्याग कर, आधुनिक लोगों के होड़ में शहरी वेशभूषा को अपनाने लगे हैं। कहां यह पहले परंपरागत धोती बंडी आदि पहनते थे और विभिन्न आभूषण और मालाएं, अपने गले में धारण करते थे, और एक सुंदर सा मोर पंख अपने पगड़ी में लगाते थे, और पूरे शरीर में तरह-तरह के गुदने गुदवा कर अपने शरीर को सुंदर बनाते थे । पर आजकल इनकी संस्कृति विलुप्त हो गई है और यह शहरी लोगों का अनुकरण करने लगे हैं जिसके कारण उनके परंपरागत रहन-सहन पर प्रभाव पड़ा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि, घटते जंगलों ने जनजाति लोगों के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है, और यह लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं मानसिक रूप से अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं । और इनकी अद्भुत व अद्वितीय संस्कृति, विलुप्त होने की कगार पर है । क्योंकि जंगल ही इनका जीवन है, और जंगल मे ही स्वच्छंद होकर विचरण कर सकते हैं । अत: हमें और हमारी सरकार को, यह प्रयास करने चाहिए, कि जंगल में ही इनके रोजगार की व्यवस्था, इनके शिक्षा की व्यवस्था, समुचित और उन्नत स्वास्थ्य की व्यवस्था करके तथा जंगलों में आवागमन के साधन उपलब्ध कराकर इनके आवास, एवं खाने-पीने की व्यवस्था की जाए । जिससे यह छोटे-मोटे घरेलू उद्योग धंधे स्थापित करके, जैसे तेंदूपत्ता से बीड़ी बनाकर भेजना, पत्तल बनाना, और महुआ के फूल को संग्रहित कर के बेचकर अपना जीवन यापन करें और अपने जंगल और अपनी मोहक संस्कृति के साथ हंसी-खुशी जीवन यापन कर सकें । जिससे इनकी अद्भुत संस्कृति से हमारी आने वाली पीढ़ी भी अवगत हो सकें। आइए, हम सब मिलकर यह सतत प्रयास करें, जंगल ना घटे, क्योंकि जंगल से हम सभी को प्राण धारिणी ऑक्सीजन की भी प्राप्ति होती है, और भोले-भाले जनजाति लोगों की संस्कृति भी जीवित रह सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. विकीपीडिया
2. विजय शंकर उपाध्याय, गया पांडे, जनजाति विकास, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी
3. योगेश आदिवासी भारत

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 39, Hindi Edition, Year-20, July- Dec. 2023

वैश्विक ताप वृद्धि

• प्रशांत कुमार गौरहा

सारांश- आज विश्व के सामने जितनी समस्याये है, उनमें सर्वाधिक विकराल समस्या पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली निरन्तर वृद्धि है। इसके फलस्वरूप जलवायु की पेटियों में स्थानान्तरण हो रहा है। ग्लेशियर पिघलते जा रहे है, समुद्र जल में वृद्धि हो रही हो तथा धरातल पर से अनेक प्रजातियों (समुद्री जीव जन्तुओं प्राकृतिक वनस्पतियों तथा पशु पक्षियों आदि) के विलुप्त होने का खतरा मॅडराने लगा है। यह सब कुछ कपोल कल्पित कथन मात्र नहीं है बल्कि वैश्विक तापमान में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप उपर्युक्त परिवर्तन स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे है।

मुख्य शब्द - तापमान, जलवायु

मानव जाति की आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप वायुमण्डल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे- कार्बन डाई आक्साइड (Co2) मिथेन (CH4) जलवाष्प, फ्लोरो कार्बन-मिथाइल प्रोमाइट तथा ऐसो साल की अधिकाधिक मात्रा छोड़ी जाती रही है। तब और अधिक भयंकर परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

ग्रीन हाउस गैसें क्या हैं?- शीत कटिबन्ध में निर्मित ग्रीन हाउस ऐसे पौधा घरो (Green house) को कहते है जिनकी दीवारे तथा छठे काँच की बची होती है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या इन पौधा घरों के भीतर अपेक्षित तापमान बनाये रखने की होती है जिससे कुछ विशेष प्रकार की फसले उगाई जा सके। अत: कांच की दीवारों के प्रयोग से तापमान नियंत्रित करने से पूरी सहायता मिलती है। वस्तुत: कांच सूर्य से निकलने वाली विकिरण की सूक्ष्म तरंगो (Short&wave Solar Radiation) के लिए पारदर्शी होती है। जिससे पौधा घर के भीतर उत्पन दीर्घ तरंग पार्थिव विर्करण (Lora Wave Terrestrial radiation) के लिए कॉच निर्मित अपारदर्शो (opaque) होती है। जिससे वहाँ पौधो को उष्मा बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार वायु मण्डल में विद्यमान कुछ सौर विकिरण (radiation) गैसे सूक्ष्म (Short&wove rjx Solar के लिए पारदर्शी तथा दीर्घ-तरंग पार्थिव विकिरण (Long wave terrestrial radiation) के लिए अपार दर्शो होती है। कार्बन-डाई आवन्साइड (CO2) एक ऐसी ही गैस हो जो सूक्ष्म तरंग और विकिरण को धरातल पर पहुचने से नहीं रोक पाती। किन्तु दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण को रोक कर उसका पश्च विविरण (Back reradiation) करने तथा धरातलीय ऊष्मा में

• प्राचार्य, बी. डी. महंत महाविद्यालय, पाली, कोरबा, छत्तीसगढ़

वृद्धि करने में सक्षम होती है। इसीलिए कार्बन-डाई-आक्साइड गैस तथा कुछ ही अन्य गैसो द्वारा उत्पन्न प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव (Green house effect) कहा जाता है तथा ऐसी ही गैसो को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मानव की आर्थिक क्रियाओं द्वारा वायुमण्डल में ऐसी गैसो को उत्सर्जन में निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप पृथ्वी के औसत हाथमान में होने वाली वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग (Global warming) कहा जाता है। जिसके दूरगामी दुष्परिणामों की कल्पना ने विश्व के मौसम वैज्ञानिकों तथा राजनेताओं को अत्यधिक चिन्तित कर दिया है।

ग्लोबल वार्मिंग रोकने के निमित्त किये गये विश्वस्तरीय प्रयास- दिसम्बर 2009 के प्रथम सप्ताह में डेनमार्क की राजधानी की पेन हेगेन में ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या का हल दूढ़ने के लिए एक शीर्ष सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विश्व के लगभग सभी राष्ट्रध्यक्ष अपने-अपने देश के वैज्ञानिकों तथा शीर्षस्थ पदो पर आसीन प्रतिनिधि महल के साथ सम्मलित हुए। किन्तु विकसित और विकासशील देशो में मतभेद उत्पन्न होने से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के समाधान हेतु कोई ठोस एवं सर्व सम्मत उपाय नहीं प्राप्त हो सका यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है कि सन् 1992 में रियोडी जेमीरों में Earth summit नामक सममेलन हुआ। इस पृथ्वी नामक विश्वस्तरीय सम्मेलन में 100 राष्ट्रों के राजनेताओं ने भाग लिया था।

विश्व स्तरीय सम्मेलन में 160 देशो के 10,000 डेलोगेट्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अपनी धरती के पर्यावरण (Global environment) की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु किये जाने वाले उपायों में विश्व समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना था। रियो में 3 जून से 14 जून तक चलने वाले पर्यावरण तथ विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन (United nations Conference on Environment and Development UNCED)। आज उत्तर के अद्योगिक देशो तथा दक्षिण के विकासशील देशों में भीषण संघर्ष की स्थिति बनी हुई है।

इन्ही विकसित देशो के द्वारा भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसो जैसे कार्बन-डाईआक्साइड (Co2) नाइट्रिक आक्साइड तथा मिथेन आदि का उत्सर्जन किया जा रहा हो। जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। जब कि विकासशील देशो पर उनके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण का मिथ्या पोषारोपण किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप भारत, चीन, ब्राजील तथा विकासशील देशो तथा अमेरिका, ग्रेट बिट्रेन, फ्रांस, जर्मनी आदि विकसित देशो के बीच कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सका।

कार्बन-डाई आक्साइड के स्रोत प्रमुख है- विकसित देशो में - 71 प्रतिशत, विकासशील देशो में 29 प्रतिशत है, जो 1994 के आधार पर है। जबकि 2025 के अनुसार विकासशील देशो में 50 प्रतिशत तथा विकसित देशो में 50 प्रतिशत पाया गया है। जो सारणी से स्पष्ट है।

सारणी 01

कार्बन डाई ऑक्साइड के स्रोत

क्र.	देश	प्रतिशत	सन
01	चीन	15	1994
02	सयुंक्त राज्य अमेरिका	24	1994
03	ब्राजील	47	1994
04	अन्य	14	1994
	योग	100	

सारणी 02

क्र.	देश	प्रतिशत	सन
01	सयुंक्त राज्य अमेरिका	17	2025
02	चीन	20	2025
03	फ्रांस	39	2025
04	भारत	10	2025
05	अन्य	14	
	योग	100	

वायु मण्डल के निचले भाग की शुष्क वायु में कार्बन-डाई आक्साइड (Co2) की मात्रा का प्रतिशत आयतन की दृष्टि से 0.03 ही जबकि नाइट्रोजन तथा आक्सीजन का प्रतिशत क्रमशः 70.00 तथा 20.94 है। हाल ही में मौसम सर्वेक्षण से पता चला है। कि वायु मण्डल के निचले भाग में (Co2) की मात्रा क्रमश बढ़ती जा रही है। जिसका एक मात्र कारण विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य उन्मुक्त प्रतिस्पर्द्धा है यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि Co2 की मात्रा में वृद्धि की अपेक्षा इसके वृद्धि पर चिन्ता का विषय है।

सारिणी 03

वैश्विक तापमान की प्रवृति

क्रम	1	2	3	4	5	6	7
सन	1880	1900	1920	1940	1960	1980	2500
तपमान परिवर्तन	-0.6	-0.4	-0.2	0	0.2	0.4	0.6

स्त्रोत- आर, एडी, एम., साटो. आर. रेनोल्ड जे., हेंसन

ग्रीन हाउस गैसे तथा उनका उत्सर्जन- ग्रीन हाउस गैसो के उत्सर्जन स्रोत दो प्रकार के होते है।

1. प्राकृतिक (Natural)
2. मानवकृत (Anthropogenic)

वायुमण्डल का संघटन विभिन्न प्रकार की गैसे, जलवाष्प तथा धूल कणों से हुआ है। इन सभी घटकों का संकेद्रन वायुमण्डल के निचले भाग में हुआ है। किन्तु जहाँ तक ग्लोबल वार्मिंग का प्रश्न है इनमें कुछ घटको का विशेष योगदान है। ग्रीन हाउस गैसो की विशेाता से परिचित होने के उपरान्त यह जान लेना आवश्यक है कि वायु मण्डल की कुछ गैसो के अतिरिक्त एक ही प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है जो वायु मण्डल का एक अतयन्त महत्वपूर्ण घटक है जिसका जलीय चक्र (Hydrological cycle) में विशेष महत्व है। किन्तु जलवाश्प की मात्रा वायुमण्डल में सर्वत्र एक समान नहीं होकर विभिन्न स्थानों में 1 से 4 प्रतिशत के भीतर पाया जाता है। कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैलो

के नाम निम्नलिखित है जो वैविक तापमान में वृद्धि हेतु उत्तरदायी मानी जाती है।

(1) कार्बन डाई आक्साइड (Co_2)
(2) मिथेन
(3) नाइट्रस आक्साइड (N2O)
(4) हाइड्रोफ्लूरो कार्बन (HFC)
(5) सल्फर हेम्साक्लोराइड (Sf_6)

विशुद्ध रूप में (Co2) गैस रंगहीन, गन्धहीन तथा अग्जवलनशील होती है और वायु की अपेक्षा इनका घनत्व कुछ अधिक होता है। जल के साथ प्रतिक्रिया करने से यह घुलकर कार्बोनिक एसिड (Corbonic Acid) का निर्माण करती है। विशुद्ध (Co2) का उपयोग कोल्डड्रिंक आग बुझाने वाले यंत्र, कूलेन्ट (Coolant) तथा प्रीजर्वर (Preiserver) में किया जाता है किन्तु जल इस गैस का वायुमण्डल में संकेंद्रण अधिक हो जाता है, तब इसका दुश्प्रभाव पड़ने लगता है निर्वनीकरण (Deforestation) तथा भूमि उपयोग में परिवर्तन से भी इस गैस का उत्सर्जन होता है।

ग्रीनहाउस गैस का संकेन्द्रण (Concentration)- पिछले 4,20,000 वर्षो में अठारहवीं शताब्दी के मध्य काल से अब तक CO2 के संकेन्द्रन में लगभग 33 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। इन गैसो की वार्शिक वृद्धि दर विगत दो दशको में 15 PPM से अधिक रही है। सन् 1958 से लेकर आज तक Scripps Institution of Oceanography द्वारा ष्मोना लोताष् की वेध पाला (Mauna Loa Observatory) से वायु मण्डल में इस गैस के संकेन्द्रन की मानीटरिंग की जा रही है। यहाँ से प्राप्त आँकड़े इस गैस के निरंत्र सकेन्द्रन की पुष्टि करते है। जो सहय ही विव के औसत तापमान में वृद्धि अंकित की जा रही है। जिसका प्रभाव भी देखा गया है। PCC द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि वैविक तापमान में कनिक वृद्धि वस्तुतः प्राकृतिक न होकर मानव जाति की आर्थिक गति विधियों का प्रतिफल है।

मिथेन (Methane) मिथेन एक अन्य ग्रीन हाउस गैस है जिसकी उत्पत्ति ऑक्सीजन रहित वातावरण में जैविक पदार्थों के अवायवीय वियोजन (Anaerabic decompositio) से होती है यह अति ज्वलनशील गैस है जिसका उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में होता है इसकी उत्पत्ति के मुख्य स्रोत निम्न है।

सारणी 04

क्र.	नाम	प्रतिशत
01	पशुपालन	30
02	खनिज तेल एवं गैस	16
03	ठोस - कड़ा करकट	16
04	कोयले की खाने	13
05	धान के कृषि क्षेत्र	25
	योग	100

इन गैसों की द्वैश्विक तापमान में वृद्धि की क्षमता कार्बन आक्साइड से बीस गुनी अधिक है।

नाइट्रस ऑक्साइड (Nitrous Oxide)– नाइट्रस आक्साइड गैस अपने विशुद्ध रूप में रंगहीन, अज्वलनशील, स्वाद में हल्की मीठी एवं जल में घुलनशील होती है। इसके इन्हीं विशेष गुणो के कारण इनका उपयोग औषधि से लेकर दुग्ध उद्योग अधिक संकेन्द्रण मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होता है। इस गैस पर नियंत्रण रखने हेतु किये जाने वाले प्रयासो का मुख्य कारण इसका ग्रीन हाउस गैस होना है। अन्य ग्रीन हाउस गैसो की तरह वायुमण्डल में इसका संकेन्द्रण अधिकाधिक मात्रा में तीव्र गति से हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से कार्बन डाई–आक्साइड से लगभग 310 गुना अधिक प्रभावशाली पाया गया है।

अन्य मानवकृत गैसो में हाइड्रोफ्लूरो– कार्बन, पर फ्लूरो–कार्बन तथा सल्फर हेम्साफ्लोराइड है। जिनको की ग्रीन हाउस गैसो की गति विश्व के औसत तापमान में वृद्धि के लिये उत्तरदायी माना जाता है। यद्यपि इन गैसो का उपयोग अनेक प्रकार की मनवोपयोगी वस्तुओ के निर्माण में किया जाता है तथापि इनका अधिक संकेन्द्रण वैश्विक औसत तापमान की वृद्धि में सहायक होता है।

ग्लोबल वार्मिंग के परिप्रेक्ष्य में निर्मित ग्लोबल जलवायु (Global Climatic Model)– ग्लोबल मॉडल से स्पष्ट हो जाता है कि वायु मण्डल में उपस्थित कुछ विशेष प्रकार की ग्रीन हाउस गैसो के संकेन्द्रन में निश्चित रूप में वृद्धि हो रही हैं। जिसका कारण मानव की विभिन्न आर्थिक क्रियायें है। उन आर्थिक क्रियाओं में विशेष रूप से निम्नलिखित क्रियायें सम्मलित है।

1. जीवाश्म इधनो का उपयोग
2. कृषि के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग
3. औद्योग क्षेत्र में किये जाने वाले आधु नातन प्रक्रिया में
4. निर्वनीकरण तथा वन भूमि का अन्य क्षेत्रों स्थानान्तरण जैसे मानव अधिवास एवं कृषि क्षेत्रों का विकास आदि ।

ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैसो का उत्सर्जन निम्नलिखित है। कार्बन डाईआक्साइड (Co2) कार्बन मोनो–आक्साइड (Co), मिथेन (H4). नाइट्रस आक्साइड (N20), नाइट्रोजन आक्साइड (N20) तथा ग्लोरो– फ्लोरो कार्बन (CFC) उपयुक्त मॉडल के अनुसार सन् 1990 में कार्बन–डाई आक्साइड 0.25 प्रतिशत, FCS 4 प्रतिशत थी। इन गैसों की मात्रा में उत्तरोतर वृद्धि के फलस्वरूप पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। तापमान वृद्धि के साक्ष्य के रूप में वृक्षो के वलय तथा प्रवाल में होने वाले परिवर्तन, हिम क्रोड तापमायी से प्राप्त आँकड़े तथा विगत पचास वर्षों के औसत तापमान से प्राप्त आंकड़े एकत्रित किये गये। इन सभी आंकड़ो से स्पष्ट है कि वैश्विक औसत तापमान निश्चित रूप से बढ़ रहा है। उपयुक्त मॉडल के आधार पर पाया गया कि धरातल के निकट का तापमान तथा सागर तल का तापमान सन् 1861 से वृद्धि की ओर रहा। सन् 1910 से 1940 के मध्य तथा 1976 से 2000 के मध्य तापमान में असमान वृद्धि अंकित की गयी। ऐसा पाया गया कि 1990 का दशक सर्वाधिक गर्म रहा। तापमापी से प्राप्त आँकड़ो के आधार पर सन् 1988 का वर्ष सबसे अधिक गर्म रहा। 1861 से लगातार एकत्रित किये गये आंकड़ो के आधार पर उपर्युक्त निष्कर्ष निकाले गये।

वैश्विक तापमान वृद्धि के सम्भावित परिणाम (**The Potential Effects of global worming**)- आज विश्व के अधिकांश शोधकर्ताओं का अनुमान हैं कि विश्व के औसत तापमान में निश्चित रूप से वृद्धि हो रही है। यदि वर्तमान दर से तापमान में वृद्धि होती रही तब सन् 2050 तक विश्व का औसत वार्षिक तापमान कुछ भागों में 15° से 22 तक बढ़ जायेगा और तापमान वृद्धि के वर्तमान दर के फलस्वरूप 215 तक वैश्विक औसत तापमान आज की तुलना में 5° से 11°C तक अधिक हो सकता है जिसके परिणाम निम्न है।

- जलवायु की पेटियों में स्थानान्तरण हो जायेगा। शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्र उच्च अक्षाशों की ओर खिलाफ जायेगे और तदनुसार प्राकृतिक वनस्पतियों में भी परिवर्तन होगा जिसके फलस्वरूप तक प्रदेशों का भी विस्तार होगा।
- तूफानों की तीव्रता में वृद्धि होगी समुद्रो में वाष्पन किया अधिक होगी जिससे उष्ण कटिधीय चक्रवातो की प्रचण्डता बढ़ जायेगी। मरू प्रवेशो के अतिरिक्त भू-भागों में अधिक वृष्टि के कारण बाढ़ की सम्भावना में वृद्धि हो जायेगी।
- समुद्र तल ऊँचा हो जायेगा। ध्रुवीय क्षेत्रो में बर्फ के पिघलने से समुद्रो के तटवर्ती क्षेत्र जलमग्न हो जायेगे। डेल्य प्रदेशों का विनाश हो जायेगा। एक जलवायु मॉडल के अनुसार पश्चिमी अन्यर्कटिक महाद्वीप में वर्तमान बर्फ की चादरो का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। विश्व के अधिकाश तटवर्ती क्षेत्र जहाँ समुद्र तल में मात्र 1 मीटर की वृद्धि होगी और जहाँ कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत भाग निवास करता है। जलमग्न हो जायेगा- बड़े-2 तटवर्टी नगरों का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।
- मानव की आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप भविष्य में जलवायु में परिवर्तन कई शताब्दियों तक होता होगा। समुद्री जल का तापमान बढ़ता जायेगा उनके जल स्तर में वृद्धि होगी और हिम चादरे तथा ग्लेशियर पिघलने लगेगे।
- सम्पूर्ण भू-भाग के अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी और दिन अधिक गर्म होगे। ग्रीनलैण्ड के हिम दीप (Ice Cap) अन्ततः पूर्ण रूप से पिघल जायेगे। वैश्विक तापमान में होने वाली निरन्तर वृद्धि से चिन्तित होकर संयुक्त राष्ट्र सघ तथा वर्ल्ड मेट्रोलाजिकल एसोसिएशन (World Meteorological Association) Intergovernmental Panel for Climate change (IPCC) की स्थापना की है। जो पाँच वर्षों में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इससे मुक्त पाने के उपाय ढूढ़े जा रहे है। वैज्ञानिको द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा की खोज करके ग्रीन हाउस गैसो के उत्सर्जन पर यथासम्भव नियन्त्रण रखा जा सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. लाल, डी. एस., समुद्र विज्ञान शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद- 2011 पृष्ठ सं. (222, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 230 तक)
2. लाल- डी.एस. जलवायु विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान इलाहाबाद - 2011
3. सिंह, सविन्द्र, शारदा पुस्तक भवन भौतिक भूगोल के प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद 2013

4. मायोरिया चतुर्भुज, भौतिक भूगोल साहित्य भवन आगरा- 2002
5. गौतम, अलका - भौतिक भूगोल शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद
6. सिंह, सविन्द्र, जलवायु विज्ञान प्रभाग पुस्तक भवन इलाहाबाद
7. सिंह, सविन्द्र, समुद्र विज्ञान पुस्तक भवन इलाहाबाद - 2011
8. Aguada & Edward and Burt V-E Weather and Climate, Printice Hall, New Versey

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 39, Hindi Edition, Year-20, July- Dec. 2023

भारत में महिला सशक्तीकरण और राजनैतिक सहभागिताः एक संवैधानिक दृष्टिकोण

• अंजली पण्डया

सारांश- भारतीय समाज में महिलाओं की लगभग आधी आबादी है। देश की आधी आबादी को विकास की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित किये बिना देश की समृद्धि, सुदृढ़ सामाजिक संरचना एवं सर्वांगीण विकास की कल्पना करना नितान्त ही अव्यवहारिक होगा। महिलाओं की स्वतंत्रता, राजनीति में उनकी भागीदारी तथा समाज में उनके आगे आने अथवा पुरूषों से उनकी समानता आदि प्रश्नों के बारें में जब हम सोचते हैं तो समाज में महिलाओं की एक दयनीय स्थिति उभरकर सामने आती है। स्वतंत्रता के इतने दशक बीत जाने के बाद भी महिलाओं की राजनीतिक,सामाजिक व आर्थिक स्थिति में कोई खास फर्क नहीं आया है। नारी सशक्तीकरण के इतने प्रयास करने के बावजूद महिलाओं की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति शोचनीय है। राजनीति के क्षेत्र में लम्बे समय से पुरूषों का वर्चस्व रहा है तथा राजनीति में महिलाओं का असर नाममात्र का रहा है। महिलाओं की राजनीति में रूचि बढ़े इस उद्देश्य को लेकर 1989 में राजीव गाँधी सरकार के द्वारा पंचायत और नगरपालिका स्तर पर महिलाओं को 33 प्रतिशत राजनीतिक आरक्षण देने का निर्णय लिया गया परन्तु तब से लेकर आज तक महिलाओं को संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण सपना बना हुआ है।

मुख्य शब्द- सशक्तीकरण, विकास, आरक्षण, सत्ता, प्रभुता, शक्ति

जैविक दृष्टि से प्रकृति ने स्त्री एवं पुरुष को भिन्न संरचनाएँ प्रदान की हैं, एक दूसरे की परिपूरकता के लिए न कि भेदभाव, आधिपत्य या शोषण के लिए। आदिम समाजों की जीवन शैली इस बात का प्रमाण है कि प्रागऐतिहासिक काल में स्त्री-पुरुष समानता विद्यमान थी। संगठित समाज की रचना, उत्पादन के साधनों में बदलाव, परिवार संस्था के अभ्युदय एवं स्वामित्व तथा सम्पत्ति के उदय के साथ सामाजिक संरचनाओं में आए परिवर्तनों ने स्त्री पुरुष असमानता, भेदभाव एवं स्त्री की अधीनता तथा अशक्तीकरण की प्रक्रिया का सूत्रपात किया।[1] विभिन्न सदियों में भौतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, राजनैतिक क्रान्तियाँ हुई, किन्तु स्त्री प्रस्थिति के संदर्भो में सतही परिवर्तन ही हुए परन्तु उक्त क्रान्तियों ने स्त्री अधीनता एवं भेदभाव के खिलाफ स्त्रियों में चेतना का प्रारम्भ किया।[2]

• सहायक प्राध्यापक (राज.विज्ञान), शासकीय महिला महाविद्यालय मण्डला (म.प्र.)

सृष्टि के आरंभ से नारी अनंत गुणों की आगार रही है। पृथ्वी सी क्षमता, सूर्य जैसा तेज, समुद्र सी गंभीरता, चन्द्रमा सी शीतलता, पर्वतों सी मानसिक उच्चता हमें एक साथ नारी हृदय में दृष्टिगोचर होती है। नारी का त्याग और बलिदान भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है। प्रसाद जी की यह पंक्तियाँ " नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रचत पग-पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में" आज भी अपनी सार्थकता व्यक्त करती हैं।[3] किन्तु बदलते समय और विश्व के औद्योगिकरण के साथ महिलाओं के मानवीय गुणों की गहरी परीक्षा का प्रारम्भ हुआ। यह महसूस किया जाने लगा कि, काम, पैसा और मेहनत का मूल्य मानवीय विषेशताओं से आगे निकलने लगा है और महिलाएँ इस दौड़ में पीछे रह गई हैं।

नारी सशक्तीकरण के अनेक निहितार्थ हैं। वस्तुतः नारी सशक्तीकरण का प्रश्न बहुआयामी है किन्तु मूल रुप में यह महिलाओं के बुनियादी मानव अधिकारों का प्रश्न है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, वैयक्तिक, सामूहिक, वैश्विक आदि सभी क्षेत्रों में सशक्तीकरण से है। वर्तमान भारत में विगत कुछ वर्षों से अनेक मंचों से यह प्रश्न उठ रहा है कि देश में लोकतंत्र की अनेकानेक उपलब्धियों के बावजूद आधी जनआबादी को जो दर्जा मिलना चाहिये था वह उससे वंचित क्यों है? इसके क्या कारण रहे हैं? क्या निदान, रणनीतियाँ और सुधार स्वरुप अपनायें गये हैं? तथा अपनाई गई रणनीतियों के परिणाम कितने संतोषप्रद हैं। बदलती परिस्थितियों में महिला सशक्तीकरण क्या वाकई में हुआ है? इन सभी प्रश्नों का आंकलन और विश्लेषण करना अत्यन्त आवश्यक है।

मानव समाज का इतिहास महिलाओं के 'सत्ता', 'प्रभुता' एवं 'शक्ति' से दूर रखने का इतिहास रहा है और प्रत्येक देश, काल, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म में महिलाओं को पुरुषों के बराबर न आने देने की संरचनात्मक व सांस्कृतिक बाध्यताएँ बनाई गयी हैं। आज हम चाँद पर पहुँच गये हैं। दुनिया के कई देशों के सांइटिस्ट दूसरे ग्रह पर जीवन का पता लगाने में जुटे हुए हैं परन्तु नारी के प्रति पुरुष के विचार आज भी नहीं बदले हैं। नारी सशक्तीकरण की बात हर स्तर, हर जगह होती है तथा नौकरी सहित हर जगहों पर उचित स्थान देने की चर्चा भी होती है। शायद ही कोई ऐसी गोष्ठी होगी, जहाँ नारी सम्मान की बात नहीं की जाती हो। परन्तु हकीकत में ये सारी चर्चाएँ निरर्थक हैं क्योंकि पुरुष की सोच ठीक इसके विपरीत है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 को भले ही "महिला सशक्तीकरण वर्ष" के रुप में घोषित किया गया हो पर क्या हकीकत में महिलाओं का सशक्तीकरण हुआ है यह प्रश्न आज भी बना हुआ है। आज भी नारी के साथ शोषण होता है कहीं कोई आँख से बलात्कार करता है तो कोई दिमाग से, महिला जिन्दा जला दी जाती है, आदि अनेक उदाहरण महिला शोषण की गाथा गाते हैं।

सशक्तीकरण तो निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से चलती रहती है। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को उचित स्थान दिलाने के उद्देश्य से 19 वीं शताब्दी में नारीवादी आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ तथा विश्वभर में नारी सशक्तीकरण की बात कही जाने लगी। महिला अधिकारवाद का प्रयोग 19 वीं शताब्दी से होता आ रहा है। जिसकी शुरुआत 'मताधिकार' की मांग से हुई थी तथा जिसका बाद में

'महिला आंदोलन या नारीवाद' के रुप में विस्तार हुआ। जिसका परिणाम संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च, 1975 को 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' मनाने के रुप में हुआ।[4] आन्दोलन के रुप में नारीवाद का एक लंबा इतिहास रहा है जो संगठित रुप में विद्रोह के रुप में उभरा तथा जिसने महिलाओं की वास्तविक दृष्टि, अधिकार व सोच को उभारा। नारीवादी आंदोलन ने कहीं न कहीं भारतीय समाज की महिलाओं को भी प्रभावित किया। यदि समाज की जटिलता के संदर्भ में कहें तो महिला सशक्तीकरण की धारणा को अत्यधिक व्यापक तथा व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है।

नारी एवं पुरुष सृष्टि के निर्माता ईश्वर की अनोखी उपज हैं। वे एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के सहयोग से ही सृष्टि की निरन्तरता बनी हुई है। महात्मा गाँधी ने महिलाओं के संदर्भ में कहा था कि "जैसे मूल में स्त्री पुरुष एक हैं ठीक उसी प्रकार उनकी समस्या भी मूल में एक ही होनी चाहिये।" एक की सक्रिय सहायता के बिना दूसरा कुछ भी नहीं है, किन्तु अनन्त काल से किसी न किसी रुप में स्त्री पर पुरुष ने अपना आधिपत्य जमा रखा है। इस कारण से स्त्री अपने आप को हीन समझने लगी है। किसी भी समाज की संरचना की श्रेष्ठता या हीनता का निर्णय इस बात से होता है कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है। भारत में यदि राजनीतिक रुप से महिला सशक्तीकरण को इतिहास के माध्यम से देखें तो यह विदित होता है कि उनकी स्थिति में समय समय पर कई उतार-चढ़ाव आये हैं।

वैदिक काल में पत्नी और माता के रुप में स्त्री को पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे। वे पूज्यनीय तथा समाज में उनकी स्थिति उच्च थी। धर्म, शिक्षा, दीक्षा और दर्शन के क्षेत्रों में बराबर का स्थान था। गार्गी, सूर्या, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, घोषा जैसे वैदिक कालीन महिला चरित्र महिला सशक्तीकरण की मजबूत स्थिति को दर्शाते हैं। इतिहास में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान आदि सशक्त महिला शक्ति का प्रतीक थी। महिला अधिकारों के लिए सर्वप्रथम आवाज उठाने में रामायण में कैकई और महाभारत में द्रौपदी का उल्लेख मिलता है। राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, केशव चन्द्र सेन, गोपालकृष्ण गोखले एवं श्रीमती एनीबेसेन्ट की भूमिका इतिहास में दर्ज है जिनके संयुक्त प्रयासों से 1902 में स्त्री मुक्ति की दिशा में सराहनीय कार्य हुए। ऐनीबेसेन्ट जो कि एक विदेशी महिला थी, उन्होंने सर्वप्रथम 1904 में एक गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की। 1887 में स्थापित नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का योगदन राष्ट्रीय स्तर पर महिला स्थिति में परिवर्तन की प्रक्रिया में उल्लेखनीय रहा। 1927 में पहली बार भारतीय महिला कान्फ्रेंस हुई।[5]

महिलाओं के लिए समान अधिकारों विशेषत: राजनैतिक अधिकारों के संघर्ष में सरोजनी नायडु, मार्गेट कजिन्स, ऐनीबेसेन्ट, राजकुमारी अमृत कौर, रामेश्वरी नेहरु, दुर्गाबाई देशमुख, विजयलक्ष्मी पंडित, मैडम भीकाजी कामा एवं अनेकानेक अन्य महिलाओं की भूमिका उल्लेखनीय रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लौह महिला इंदिरा गाँधी ने भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का उद्घाटन करते हुए तत्कालिन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने 16 फरवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला दिवस पर कहा था "ऐसा कोई काम नहीं है जिसे महिलाएँ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं कर सकती।"[6]

एक स्त्री के विकास में समूचे समाज का विकास होता है तथा संस्कारित-शिक्षित स्त्री से न सिर्फ घर संवरता है बल्कि पूरा समाज सुधरता है। स्वतंत्रता के पश्चात् नारी की स्थिति में उन्नति के लिए न केवल समाज सुधारक बल्कि शासन एवं स्वयं महिलाओं ने अनेक प्रयास किये। शिक्षा ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरुक बनाया। आज नारी राजनीति, धर्म, संस्कृति, समाज सभी क्षेत्रों में पुरुष के साथ सहभागी है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रंसविदा में सिविल और राजनैतिक अधिकार- स्त्रियों के अधिकारों की अभिवृद्धि का उद्भव द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के समय से विश्व के जनसमुदाय में हुआ। पुरूषों एवं स्त्रियों के समान अधिकारों का सिद्धान्त सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा में सम्मिलित किया जा चुका है। इस घोषणा का अनुच्छेद 1 यह उल्लेख करता है कि ''सम्पूर्ण मानव जाति, गरिमा तथा अधिकारों में स्वतंत्र एवम् समान है।'' घोषणा का अनुच्छेद 2 यह उल्लेख करता है कि प्रत्येक व्यक्ति ''लिंग को सम्मिलित करें।'' सभी मानव किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना घोषणा में उल्लिखित स्वतंत्रता तथा सभी अधिकारों के हकदार होते है। यह स्पष्ट रूप में उल्लेख करता है कि सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा में सम्मिलित किये गये सभी अधिकार एवं स्वतन्त्रता को किसी भेदभाव के बिना पुरूषों तथा स्त्रियों दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। यह एक आधारभूत सिद्धान्त है, इसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रंसविदा में सिविल और राजनैतिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त पुरूषों एवं स्त्रियों के समान अधिकारों का उल्लेख निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार में किया गया है जो इस प्रकार है स्त्रियों के विरूद्ध भेद-भाव के सभी प्रारूपों की समाप्ति स्त्रियों के राजनैतिक अधिकार विवाहित स्त्रियों की राष्ट्रीयता विवाह के लिए नयूनतम आयु की सहमति एवं विवाह का रजिस्ट्रीकरण दासता, दास व्यापार तथा दासता के समान प्रथा तथा उनका उन्मूलन शरीर के दुर्व्यव्यहार के दमन तथा दूसरों के वेश्यावृति के शोषण का कन्वेंशन। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा मानवाधिकार में सम्मिलित घोषणा जैसे भूमिगत विश्व स्त्री कन्वेंशन (1935), कार्य करने का अधिकार (1948), समान पारश्रमिक अधिकार (1948), भेदभाव, रोजगार तथा अधिभोग अधिकार(1954), परिवार दायित्व के साथ कर्मकार (1981), अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975, अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का विश्व सम्मेलन स्त्रियों के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास विधि (1985), स्त्रियों के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, स्त्रियों के लिए समानता, विकास और शान्ति का प्रावधान (1978), मतदान देने का अधिकार, निर्वाचन का अधिकार, सार्वजनिक कार्यालय को धारण करने का अधिकार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की दशा में सुधार समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए प्रावधान शिक्षा, विज्ञान एंव संस्कृति के क्षेत्र में स्त्रियों की दशा में सुधार स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्त्रियों के लिये प्रावधान आदि।[7]

भारतीय संविधान में मानव अधिकार- भारत को कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करने में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, अतः यह आवश्यक हो जाता है कि स्त्रियों को विशेष संरक्षण प्रदान किया जाये। इसी को दृष्टि मे रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन

किया गया तथा जिसमें महिलाओं को विशेष उपबन्धों के जरिए अधिकार प्रदान किए गए। भारत संविधान में मानव अधिकारों का वर्णन सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 25 की उपधारा 2 में अभिवर्णित किया गया है कि वे इस प्रकार हैं[8]–

अनुच्छेद 38 -भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 38 में वर्णित किया गया है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और इसी दृष्टि से स्त्रियों को संविधान के कई उपबन्धों में शामिल किया गया है।

अनुच्छेद 9 (ड) –पुरूष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति की अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े, जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 39(च) - बालकों और स्त्रियों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाँए तथा शोषण, नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

अनुच्छेद 42- राज, काज की न्यायसंगत और मनोवांचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबन्ध करेगा।[9]

उपर्युक्त सभी उपबन्धों में स्त्रियों को विशेष संरक्षणों के माध्यम से सशक्त करने का प्रयास किया गया। इन अधिकारों के अलावा अन्य अधिकार भी दिये गये जैसे लोक नियोजन में अवसर की समानता, समान कार्य के लिए समान वेतन, प्राण का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार, मतदान देने का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, दैहिक स्वतन्त्रता का अधिकार आदि। संक्षेप में कह सकते है कि मानवाधिकार अर्थात, मानव+अधिकार। ऐसे अधिकार जिनके बिना एक मानव अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के बारें में सोच भी नहीं सकता जो कि मानव में मानव होने के लिए अन्तर्निहित है। मानवधिकार वे अधिकार है जा एक मानव को मानव होने के नाते आवश्यक रूप में मिलने चाहिये तथा इन अधिकारों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण को कितना बल मिला है तथा उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक दशाओं में कितना सुधार हुआ है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा मानवधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बाद से ही महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया गया। मानवधिकारों का सीधा सम्बन्ध मानवीय सुखो से है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में वैदिक साहित्य में "सर्वे भवन्तु सुखिन" जैसी कई रचनाऔं का उल्लेख मानवाधिकारों की पृष्टि करता है। मूलतः 18 वी शताब्दी से ही मानव अधिकार अस्तित्व में था। इससे पूर्व परम्परागत रूप से मानवाधिकार को अहस्तान्तरणीय अधिकार, अन्य संक्राम्य अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या मानव अधिकार कहा जाता था।

महिलाओं को भारतीय समाज में और सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत के संविधान के द्वारा स्त्री- पुरुष समानता कानून (अनुच्छेद-14) बनाया गया तत्पश्चात् हिन्दू विवाह अधिनियम (1955), विशेष विवाह अधिनियम (1954), पुर्नविवाह अधिनियम (1956) तथा 1956 के उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा सम्पत्ति में अधिकार प्रदान किये गये। अनुच्छेद 14, 15, 16, 325, 326 एवं अनुच्छेद 44 के माध्यम से संवैधानिक अधिकार प्रदान किये गये। 1992 में "राष्ट्रीय महिला आयोग"

तथा "महिला बाल विकास" का गठन किया गया तथा 2001 को 'राष्ट्रीय महिला नीति' भी बनायी गई।[10] महिलाओं के वैधानिक सशक्तीकरण का निश्चय ही यह क्रान्तिकारी कदम था। नारी सशक्तीकरण के वैधानिक प्रयासों की श्रृंखला में भारत सरकार की महिला सशक्तीकरण नीति (2000) एक और उल्लेखनीय कदम है।

महिलाओं सशक्तीकरण और राजनीतिक सशक्तीकरण- विगत 76 वर्ष का इतिहास महिला सशक्तीकरण का साक्षी है तथा राजनीतिक क्षितिज पर उभरने वाली महिलाओं ने न केवल अपने देश की राजनीति में परिवर्तन किया अपितु किसी न किसी रुप में विश्व राजनीति को भी प्रभावित किया। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी, पूर्व रेलमंत्री ममता बनर्जी, उप्र. की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीराकुमार आदि सभी महिला सशक्तीकरण के राजनीति में उभरते सशक्त उदाहरण हैं। परन्तु जहाँ ये सकारात्मक पहलू हैं वहीं राजनीतिक रुप से महिला सशक्तिकरण के नकारात्मक पहलू भी हैं।व्यवस्थापिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 8.7 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ पाया है। प्रशासनिक पदों पर महिलाओं का प्रतिशत 2.3 प्रतिशत ही रहा है। यदि 1952 के पहले आम चुनाव से अब तक की महिला राजनैतिक भागीदारी की तुलना करें तो निश्चित रुप से बढ़ी है। जहाँ 1952 में लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व 4.4 था वहीं वर्तमानमें 8.7 है। राज्यसभा में 11.4 प्रतिशत है। इस बार के लोकसभा चुनाव में कुल 462 महिलाओं ने चुनाव लड़ा 6.5 प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले 8 फीसदी महिलाएँ जीतकर संसद पहुँची। यदि महिलाओं के राजनैतिक उत्थान से संबंधित महिला आरक्षण विधेयक जिसमें संसद में 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत महिला आरक्षण की माँग की जा रही है।[11] सर्व सहमति से पारित हो जाता है तो यह निश्चित रुप से महिलाओं को राजनीतिक रुप से सहभागी और नई सदी का आगाज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भी ग्राम स्तर पर और नगरीय स्तर पर महिलाओं को राजनीतिक रुप से उभारने का प्रयास 1992 से अब तक किया जा रहा है। जहाँ गाँव की महिलायें घूँघट में रहा करती थी वहीं आज पंचायतों में बैठकर निर्णय लेती हैं और म.प्र. पहला ऐसा प्रदेश है जिसने सर्वप्रथम त्रिस्तर पर 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत महिला आरक्षण का गौरव प्राप्त किया है।[12] स्त्रियों की राजनीतिक स्थिति इस बात से भी निर्धारित होती है कि सत्ता के स्वरुप निर्धारण और उसमें भाग लेने के मामले में उन्हें कितनी आजादी और समानता प्राप्त है क्योंकि राजनीति को सदा पुरुषों का क्षेत्र माना गया है। प्राचीनकाल से वर्तमान युग तक राजनीति में पुरुष सत्ता ही प्रभावित रही है। महिला प्रतिनिधित्व के उदाहरण मिलते तो हैं परन्तु उनकी संख्या सीमित है। परन्तु महिलाओं ने हर युग में राजनीति पर अपना प्रभाव छोड़ा है चाहें रामायण में मंथरा और कैकई जैसी महिलाओं ने भरत को राजगद्दी और राम को वनवास दिलवा दिया था वहीं महाभारत काल में पंचाली महाभारत युद्ध का कारण बनी थी। ये भी सच है कि बीसवीं शताब्दी में महिला संगठनों का प्रारम्भ एवं महिला अधिकारों के लिए संगठित प्रयास शुरु हो गये थे। 1917 में महिलाओं का भारत संघ, 1920 में भारतीय महिलाओं की

राष्ट्रीय परिषद, 1926 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन आदि ने महिला मुद्दो को व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वरुप प्रदान किया।[13]

1974 में सरोजनी नायडु के नेतृत्व में भारतीय महिलाओं के एक प्रतिनिधि मण्डल ने ब्रिटिश संसद में पुरुषों के साथ समता के आधार पर स्त्रियों के मताधिकार के लिए मांग पेश की। 1921 के सुधार अधिनियम ने केवल उन गृहणियों को मताधिकार दिया जो सम्पन्न और शिक्षित थी। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में महिलाओं के मताधिकार को स्वीकार कर लिया गया था।[14]

वर्तमान समय में स्त्रियों की दशा- मध्ययुगीन अबला नारी अब धीरे-धीरे अधिकारिणी बनने की आरे अग्रसर होने लगी है। महिलायें भी अब न केवल राजनीति अपितु सभी क्षेत्रों में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे रही हैं। आज इसे भारत देश का गौरव ही कहेंगे कि आज भारतीय महिलाएँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजदूत और अन्य पदों पर आसीन हैं अपितु सशक्त रुप से अपनी भूमिका निभा रही हैं। वर्तमान समय में स्त्रियों की दशा में पर्याप्त सुधार हुए हैं।

प्रश्न यह भी है कि संवैधानिक स्तर पर महिलाओं को इतने अधिकार दिये जाने के बावजूद क्या महिलाएँ वास्तव में उन अधिकारों का उचित ढंग से प्रयोग कर रही हैं क्योंकि जो राजनैतिक पार्टियाँ जिन गिनी चुनी महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारती हैं, उनमें से ज्यादातर महिलाएँ राजनीतिक परिवारों से होती हैं। इस बार के लोकसभा नतीजों स्पष्ट है कि संसद पहुंचने वाली कुल 58 महिलाओं में से 36 राजनीतिक बहु- बेटी या पत्नी हैं।[15] बाकि में से कई का राजनीतिक परिवारों से संबंध है या फिर वे ऐसी पृष्ठभूमि से हैं जो कि उनकी जीत की राह को आसान बनाती है। इसलिए यह भी कह सकते हैं कि महिला ही महिला की दुश्मन है क्योंकि राजनीति का क्षेत्र कुछ सम्पन्न, राजपूत एवं राजनीतिक परिवारों की महिलाओं तक ही सीमित है। क्या ये महिला आम महिलाओं को आगे बढ़ने देगी? इसके लिए आवश्यक है कि महिलाओं को उनके राजनैतिक अधिकारों के प्रति जागरुक बनाया जाये जब तक वे स्वयं अपने अस्तित्व के विषय के संबंध में नहीं सोचेंगी वे इस पुरुष प्रधान समाज में अपना स्थान नहीं बना पायेंगी क्योंकि यदि एक महिला आगे बढ़ती है तो उससे प्रेरणा लेकर चार महिलायें आगे बढ़ती हैं। पिछले 20 वर्षों में महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में आगे आयी है, उनमे आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होंने हर कार्य को चुनौती की तरह लिया है। क्षेत्र चाहे प्रंबधन के हो, इंजीनियरिंग, चिकित्सा या प्रशासनिक पदों के, पत्रकारिता, कम्प्युटर और टेक्नोलॉजी के हर जगह महिला काम करती दिखाई देती है। समाज के लिए वास्तव में यह एक क्रांति है। जो धीरे - धीरे घटित हुई है। जाहिर है इसमें पुरूषों का भी योगदान रहा है स्त्री आर्थिक रूप से सशक्त हुई जिसके पीछे नारी की सकारात्मक सोच रही है। अतः महिला सशक्तिकरण देश की उन्नति के द्वार खोलता है, जिसमें मानवाधिकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परन्तु इसके लिए जरूरी इस बात भी है महिला की समस्या महिला की नहीं अपितु परिवार की समस्या बने। वर्तमान समय में जितनी भी राजनीतिक व आर्थिक न्यायिक व्यवस्थायें प्रचलित है, वे परिवार संस्था को नहीं पहचानती है। ये सभी राजनीतिक संरचनायें व्यक्तित्वादी सोच पर आधारित है। अतः परिवार संस्था धीरे-धीरे कमजोर हुई है। परिवार वह जगह है जहां

मनुष्य मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सुरक्षा पाता है। चाहे वो स्त्री हो या पुरूष अतः हमें स्त्री सशक्तिकरण को परिवार के संदर्भ में विशेषकर देखने की आवश्यकता है।

वर्तमान स्थितियाँ मानवीय नहीं है। अतः हमें एक ऐसे सार्वभौमिक सोच व अखण्ड व्यवस्था की स्थापना करनी है जहां मानव के महत्व को सार्वभौम रूप में पहचाना जायें। वर्तमान में द्रोह-विद्रोह और शोषण की स्थिति मानव के मानव होने पर ही प्रश्न लगाती है। जिस कारण से समूर्ण मानव जाति भयग्रस्त और आंतकित दिखाई पड़ती है। जब मानव ही स्वंय को असुरक्षित महसूस करता है तो स्त्री या पुरूष सशक्तिकरण जैसे शब्द बेमानी हो जाते है। अतः मानव की मानव के रूप में पहचान अत्यंत आवश्यक है। मानवीय व्यवस्था में ही स्त्री सशक्तिकरण सार्थक होगा। परंपरागत सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन करके महिलाओं को एक स्वाभाविक सम्मान दिलाने के लिए राजनीति में भागीदार बनाना होगा। जिससे महिलायें अधिकारों और सम्मान की खुली हवा में उन्मुक्त साँस ले सके। परन्तु इसके लिए आवश्यक है महिलायें अन्याय का विरोध करे, यथार्थवादी बने, शिक्षित हो, जागरूक हो, अपने जीवन में लक्ष्य बनायें तथा अपने अस्तित्व की रक्षा स्वयं करे। भारतीय नारी की क्षमता किसी भी अन्य उन्नतिशील देश की नारी से कम नहीं है। इतना ही है कि जहाँ विकसित देशों में नारियों को पुरूषों के समान लगभग प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त हैं, वहीं भारतीय नारियों के सामने व्यावहारिक रूप में अवसरों की कमी है। संविधान में यद्यपि सैद्धान्तिक रूप से स्त्री और पुरूष को समाज अधिकार दिये गये है, परन्तु व्यवहार में अनेक सामाजिक बाधाएँ उनके विकास में बाधक है। अतः स्त्रियों को स्वयं इन बाधाओं को दूर अपने प्रयासों के माध्यम से करना होगा। देश में अधिक से अधिक बालिका विद्यालय खोले जायें, पाठ्यक्रमों के निर्धारण में नारी जाति की स्वाभाविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जायें। सरकारी प्रयासों के साथ-साथ इस दिशा में व्यक्तिगत प्रयत्न भी किये जाये। स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात् इस दिशा में परिवर्तन तीव्रगति से हो रहे हैं तथा भारतीय नारी अपने परम्पराबद्ध स्वाभाविक विशेषता से मुक्त होने लगी है। स्वतन्त्र भारत में महिलाएँ आज अधिकाधिक संख्या में वैज्ञानिक एवं लाभपूर्ण व्यवसायों में आगे आने लगी है। आज के क्षेत्र जो पुरूषों के माने जाते थे जैसे-रसायन, इंजीनियरिंग, ऐयरोनाटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, पत्रकारिता, चिकित्सा, व्यापार प्रबंध और कम्प्यूटर विज्ञान में भारतीय नारी अधिक अधिक संख्या में प्रवेश कर रही है।

हमारे आज के समाज की सबसे बड़ी माँग यही है कि हम दूसरे पर निर्भर न होकर स्वयं अपने देश के ऊपर निर्भर रहे। आज प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा के अनुसार रोजगार प्राप्त करने की जरूरत है, जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके तथा अन्य देशों की तरह हम भी विकसित देशों में अपना नाम कर सकें। आज ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों को शिक्षा के नाम पर केवल साक्षर बनाया जा रहा है। लोगों का नजरिया आज भी बहुत पिछड़ा है। इस नजरिये के प्रति जागरूकता लाई जाये। जिससे भारतीय स्त्री आत्मनिर्भर बन सके। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयी शिक्षा के प्रति माता-पिता की अरूचि, आर्थिक तंगी, विद्यालयों का अभाव स्त्री-शिक्षा में बाधक हैं। भारतीय नारी परिवार, समुदाय और समाज में तभी उत्साहपूर्वक अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकती है,

जबकि सामाजिक जीवन में उसके काम और जीवन दशाओं में सुधार हो। तभी वह स्वयं को सामाजिक, आर्थिक व मानसिक रूप से बन्धनमुक्त कर पायेगी। स्त्रियों को न केवल शिक्षा अपितु सभी क्षेत्रों में ऊँचा उठाने का दायित्व सम्पूर्ण समाज का है। इसलिये सम्पूर्ण समाज को जागृत करने की आवश्यकता है।

नारी सशक्तीकरण के इतने प्रयास होने के बावजूद महिलाओं की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति शोचनीय है। राजनीति में महिलाओं की रुचि बढ़े इसके लिए प्रयास स्वयं महिलाओं द्वारा किया जाना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि 73 वें तथा 74 वें संविधान संशोधन के पश्चात् इसे विडम्बना नहीं तो और क्या कहेंगें, जिस भारतीय समाज में महिलाओं को दुर्गा, सरस्वती और शक्ति का रुप माना जाता है तथा जिसे जन्मदात्री और अर्धांगिनी कहकर मान सम्मान दिया जाता है। हम भूल जाते हैं कि 18 वीं शताब्दी की मानसिकता के साथ हम 21 वीं शताब्दी की चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए महिलाओं को एक स्वाभाविक सम्मान दिलाने के लिए राजनीति में अधिकाधिक भागीदारी का प्रयास किया जाये जिससे महिलाएँ अधिकारों और सम्मान की खुली हवा में उन्मुक्त साँस ले सकें। बुद्धि जीवी वर्ग, दार्शनिक व समाज सुधारक महिलाओं को और अधिक जागरूक और शिक्षित करें। प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश के समान अवसर उपलब्ध कराये जायें जिससे कि वे राजनीति के क्षेत्र में आगे आयें। आज हमें एक ऐसे समाज की रचना करनी होगी जहाँ नारी अपने आपको सशक्त बना सके क्योंकि ऐसी सशक्त और सक्षम नारी ही अपने घर की, समाज की और देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। आज महिलायें अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचान रही हैं। इतिहास के पृष्ठों पर अंकित महिलायें जिस प्रकार प्रेरणा की स्त्रोत रही हैं उसी प्रकार वर्तमान में अनेकानेक क्षेत्रों में महिलायें सशक्त भूमिका निभाकर इतिहास के पृष्ठों पर अपना नाम सुरक्षित कर रही हैं। फिर भी महिलाओं को आवश्यकता है सही मार्गदर्शन की जिससे उनकी दशा में बदलाव लाया जा सकता है। महिलाओं में सुरक्षा की भावना को जागृत करना भी बेहद जरूरी है। समाज में यदि एक भी महिला राजनीतिक रूप से उन्नति करती है, तो वह अन्य महिलाओं के लिये भी प्रेरणा बन सकती है। कानून तथा समाज द्वारा मिली सुविधाएँ भी उन्हें आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी।

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और सत्ता में उनकी हिस्सेदारी के लिये विधायिका में 33 फीसदी आरक्षण वक्त की मांग है। लेकिन लम्बे समय से महिला आरक्षण विधेयक राजनीतिक दलों के अन्तर्विरोध के कारण पारित नहीं हो पा रहा है। आज भी इसका भविष्य अनिश्चित है। राज्य सभा में पारित हो जाना इसके पक्ष में एक सकारात्मक कदम है परंतु लोकसभा में पारित होने के लिये अभी भी इसे कई चुनौतियों का सामना करना है। राजनैतिक दलों को भी लैंगिक विषयों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। जब महिलाओं को मताधिकार मिला था तब भी राजनीतिक दलों के भीतर उनकी स्थिति में मात्र आंशिक सुधार ही आया था। विश्व के लगभग सभी हिस्सों में महिलाओं का बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व सिर्फ उन्हें समान नागरिक के तौर पर स्वीकार करने के लिये नहीं बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्त्रीपरक दृष्टिकोण को सम्मिलित करने हेतु किया गया। राजनीतिक नेतृत्व महिलाओं के विकास से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।

इसलिये आवश्यकता है कि राजनीतिक दल और उससे संबद्ध संगठन अपनी पुनर्रचना करें जहाँ महिलाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता और जवाबदेही हो। आज इस तथ्य को स्वीकार करना ही होगा कि विधायिका में महिलाओं की संख्या न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान करेगी, बल्कि लैंगिक समानता और न्याय के प्रति प्रतिबद्ध समाज का निर्माण भी करेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. गोयल सुनील एवं गोयल संगीता, भारतीय समाज में नारी, आर.बी.एस.ए.पब्लिशर्स जयपुर 2003
2. कौशिक आशा, नारी सशक्तीकरण : विमर्श एवं यथार्थ, पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर, 2004, पृ. सं. 229
3. मित्तल मुक्ता, वुमन पॉवर इन इण्डिया, अनमोल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2006 पृ.सं 95-98
4. श्रीवास्तव सुधा रानी, भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति, कामनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2000, पृ.सं. 201
5. देसाई नीरा, ठक्कर उषा, वीमेन एण्ड इण्डियन सोसायटी, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, 2001, पृ.सं. 10
6. गुप्ता ए, वीमेन एण्ड सोसायटी, क्रिश्चियन पब्लिक पाब्लिशर्स, नई दिल्ली 2002, पृ.सं. 15
7. मेहता चेतन, महिला एवं कानून, आशीष पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1996, पृ.सं. 50
8. कुमार निर्मल, भारतीय स्वाधीनता का इतिहास, सामान्तर प्रकाशन, नई दिल्ली, 1990, पृ. सं. 50
9. कुमार निर्मल, भारतीय स्वाधीनता का इतिहास, सामान्तर प्रकाशन, नई दिल्ली, 1990, पृ. सं. 50
10. सारस्वत स्वप्निल, भारतीय राजनीति और महिलाएँ, अक्षरांकन प्रकाशन, नोयडा, 2003, पृ. सं. 40
11. सेठ प्रवीण, वुमेन एम्पॉवरमेन्ट, एण्ड पोलिटिक्स इन इण्डिया, कर्नावती पब्लिकेशन्स, अहमदाबाद, 1998, पृ.सं. 125
12. अंसारी एम.ए., महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2003 पृ.सं. 125
13. अवस्थी शैलेन्द्र कुमार, मानवाधिकार विधि, ओरिएन्ट पब्लिशिंग कम्पनी, आगरा, 2004, पृ. सं. 405
14. कुमावत ललित, पंचायती राज एवं वंचित महिला समूह का उभरता नेतृत्व, क्लासिकल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2004, पृ.सं. 50
15. सक्सेना.के.सी., वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पंचायत्स, सबलाइन पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, 1999 पृ.सं. 20

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 39, Hindi Edition, Year-20, July- Dec. 2023

मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक: भारत के संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

• हरदीप बागोतिया

सारांश- मतदाता का व्यवहार अक्सर मतदाता की निष्ठा से प्रभावित होता है। किसी राजनीतिक दल ने जो हासिल किया है और किसी स्थिति से निपटा है, उससे मतदाताओं की संतुष्टि और उसी पार्टी को दोबारा वोट देने के मतदाताओं के इरादे के बीच एक संबंध है। इस प्रकार, यदि राजनीतिक दल के प्रदर्शन से मतदाता संतुष्ट हैं, तो अगले चुनाव में दोबारा मतदान होने की संभावना अधिक है। इसके अतिरिक्त, मतदाता को दी गई जानकारी मतदान व्यवहार को समझने में महत्वपूर्ण है। मतदाता को प्रदान की गई जानकारी न केवल यह प्रभावित करती है कि किसे वोट देना है, बल्कि यह भी प्रभावित करती है कि वे वोट देने का इरादा रखते हैं या नहीं। मतदान व्यवहार से तात्पर्य यह है कि मतदाता किस आधार पर मतदान करने का निर्णय लेते हैं। यह निर्णय व्यक्तिगत मतदाता के दृष्टिकोण के साथ-साथ सामाजिक कारकों के बीच एक जटिल परस्पर क्रिया द्वारा आकार लिया गया है या मतदाता के रुझान में वैचारिक प्रवृत्ति, किसी पार्टी की पहचान और मौजूदा सरकार के साथ संतुष्टि की डिग्री, सार्वजनिक नीति झुकाव और उम्मीदवार के व्यक्तित्व गुणों के बारे में भावनाएं जैसी आदि विशेषताएं शामिल होती हैं। सामाजिक कारकों में जाति, धर्म और धार्मिकता की डिग्री, सामाजिक और आर्थिक वर्ग, शैक्षिक स्तर, क्षेत्रीय विशेषताएं और लिंग शामिल हैं। जिस हद तक कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के साथ अपनी पहचान रखता है, वह मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है, जैसा कि सामाजिक पहचान भी प्रभावित करती है। मतदाता निर्णय लेना पूरी तरह से तर्कसंगत प्रयास नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत और सामाजिक पूर्वाग्रहों और गहरी मान्यताओं से प्रभावित होता है साथ ही व्यक्तित्व, स्मृति, भावनाओं और अन्य मनोवैज्ञानिक कारकों जैसी विशेषताओं से भी प्रभावित होता है। मतदान सलाह अनुप्रयोग और रणनीतिक मतदान के माध्यम से बर्बाद वोटों से बचाव मतदान व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में मतदाताओं के मतदान व्य्वहार का अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द - मतदान व्यवहार, राजनीतिक दल, सामाजिक और आर्थिक वर्ग

भूमिका- भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान का

• शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय अस्थल बोहर, रोहतक (हरियाणा)

बड़ा महत्व है क्योंकि लोकतंत्र का मूल आधार जनता की सहभागिता ही होता हैं। लोग मतदान के जरिये अपने प्रत्याशी को चुनते है जो शासन चलाते हैं। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा को अपनाया गया है। इसका अर्थ है कि भारत के नागरिकों को मतदान करने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि एक निश्चित आयु पूर्ण कर लेने के बाद उन्हें मतदान करने के लिए पात्र माना जाएगा। पहले भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन 61 वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यानी अब 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाला प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदान करने के लिए पात्र होता है। मतदाता व्यवहार प्रत्येक देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतदाताओं का व्यवहार किसी भी देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करता है।

मतदान व्यवहार का अर्थ- मतदान व्यवहार का सामान्य अर्थ मतदाताओं की उन मानसिक स्थिति से होता है, जिस से प्रभावित होकर कोई मतदाता मतदान करता है। मतदाता व्यवहारिक राजनीति के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक अवधारणा भी है, जो राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया समझने में सहायक होती है। वर्तमान उदारवादी युग में लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के रूप में वैधता प्रदान की गई है। लोकतंत्र शासन प्रणाली के सफलतापूर्वक संचालन के लिए नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक होना अति आवश्यक है ताकि राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि हो सके एवं लोकतंत्र के मूल्यों को सफलतापूर्वक स्थापित किया जा सके। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में मतदान एक महत्वपूर्ण कारक है। ऐसी अवस्था में मतदान करते समय जिन कारणों से मतदाता प्रभावित होता है। वह अति महत्वपूर्ण होते हैं। मतदाता विभिन्न कारकों से प्रभावित होकर अपना मतदान व्यवहार निर्धारित करता है। मतदाता के इस व्यवहार को 'मतदान व्यवहार' कहा जाता है। अतएव चुनाव एवं निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित विशेष पहलू है- मतदान व्यवहार।

मतदान व्यवहार की विशेषताएं

राजनीतिक समाजीकरण- मतदान व्यवहार के माध्यम से 'राजनीतिक समाजीकरण' (Political Socialization) की प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। राजनीतिक समाजीकरण से आशय उस प्रक्रिया से है, जिसके माध्यम से लोगों में राजनीतिक समझ विकसित की जाती है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया का मूल उद्देश्य राजनीतिक सिद्धांतों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना होता है।

लोकतंत्र के प्रति धारणा- मतदान व्यवहार के माध्यम से इस बात की जांच की जा सकती है कि लोगों के मन में लोकतंत्र के प्रति धारणा कैसी है। इसके माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग की लोकतंत्र के प्रति सोच को समझने में सहायता मिलती है। यानी यदि कोई व्यक्ति अधिकार या दायित्व बोध महसूस करते हुए मतदान करता है, तो उसे लोकतंत्र के प्रति आस्थावान व्यक्ति समझा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नोटा के रूप में मतदान करता है, तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग तो करना चाहता है, लेकिन वर्तमान में वह किसी भी राजनीतिक दल या

उम्मीदवार या उनके द्वारा उठाए जाने वाले चुनावी मुद्दों को पसंद नहीं करता है।

पूर्ववर्ती राजनीतिक मुद्दे- मतदान व्यवहार इस बात को भी प्रदर्शित करता है कि चुनावी राजनीति किस सीमा तक पूर्ववर्ती राजनीतिक मुद्दों से संबंध रखती है। यदि गहराई से अवलोकन करें तो स्पष्ट होगा कि प्रत्येक चुनाव में कुछ चुनावी मुद्दे हर बार लगभग समान होते हैं। उदाहरण के लिए, गरीबी, बेरोजगारी, विकास, महंगाई इत्यादि मुद्दों के इर्द–गिर्द प्रत्येक चुनाव घूमता है। इसका अर्थ है कि मतदाता इन मुद्दों से काफी हद तक प्रभावित होकर मतदान करता है, इसीलिए प्रत्येक चुनाव में ये मुद्दे चुनावी राजनीति का हिस्सा होते हैं।

मतदान व्यवहार का इतिहास- मतदान व्यवहार का अध्ययन बीसवी शताब्दी के पूर्वाद्ध में प्रारम्भ हुआ था। फ्रांस प्रथम देश है जहाँ मतदान–व्यवहार की पहले शुरूआत हुई थी। फ्रांस के बाद अमरीका और ब्रिटेन में भी मतदान–व्यवहार के अध्ययन प्रारम्भ हुए। सन 1935 में डॉ. गेलप ने अमेरिका के प्रिसंटन न्यूजर्सी में अमेरिकन इंस्टीटयूट ऑफ पब्लिक ओपनियन की स्थापना की थी। गेलप के अनुमान अपनी सटीकता के बहुत प्रसिद्ध हुए थे।

भारत में मतदान व्यवहार का इतिहास- भारत में मतदान–व्यवहार के अध्ययन की शुरूआत 1950 के दशक से मानी जाती है। डॉ. एरिक दा कोस्टा ने 1950 के प्रारम्भ में इंडियन इस्टीटयूट ऑफ पब्लिक ओपनियन की स्थापना की जिसने भारत में मतदान–व्यवहार के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में 1957 के द्वितीय आम चुनाव के बाद लोकसभा चुनावों में मतदान व्यवहार का अध्ययन प्रारम्भ हुआ। भारत में मतदान–व्यवहार के अध्ययन में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि इसने नेशनल इलेक्शन स्टडी के नाम से अखिल भारतीय नमूना सर्वेक्षण पर चुनाव के अध्ययन की शुरूआत की। 1996 से निरन्तर यह संस्था मतदान व्यवहार का अध्ययन कर रही है।

शोध का उद्देश्य- मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन।

अध्ययन की प्रवृत्ति- प्रस्तुत अध्ययन की प्रवृत्ति विश्लेषणात्मक है। इसके मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारको का भी अध्ययन किया गया है।

मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक- भारत में 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव से सत्रहवीं लोकसभा चुनावों के विश्लेषण से यह बात स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है कि भारत में मतदान–व्यवहार अनेक कारणों से प्रभावित रहा है जो निम्नलिखित है–

जाति- भारत की सामाजिक संरचना जाति व्यवस्था से अत्यधिक प्रभावित है, इसीलिए भारतीय निर्वाचन प्रणाली में इसका अच्छा खासा प्रभाव होता है। राजनेता के राजनीतिक दल जाति के आधार पर वोट हासिल करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए बहुजन समाज पार्टी का मुख्य मतदाता दलित वर्ग रहा है। लेकिन जाति का तत्व हमेशा निर्णायक रहा हो ये भी सत्य नही है क्योंकि कई लोकसभा चुनावों में जाति का प्रभाव कम देखा गया है। उदाहरण के लिए 1971,1977, 1984, 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव मे जाति की सीमित भूमिका रही है।

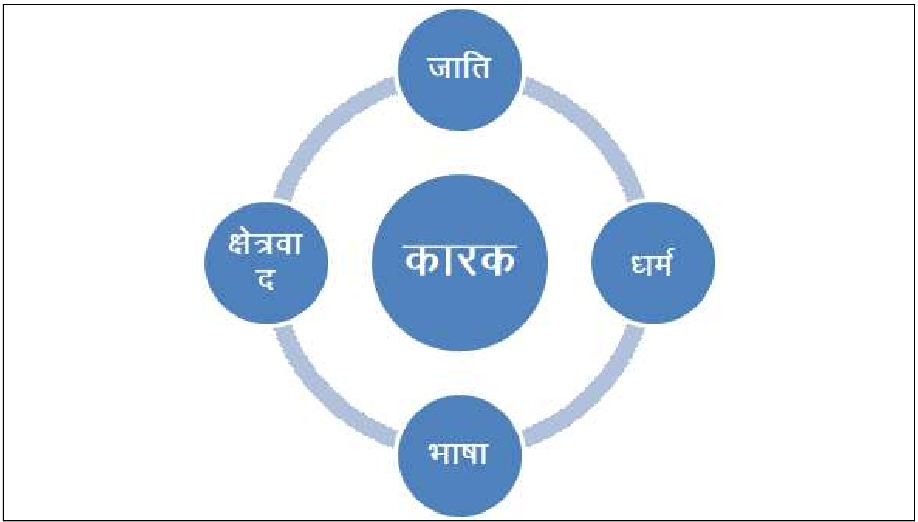

धर्म- विभिन्न राजनीतिक दल और राजनेता चुनावी लाभ अर्जित करने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं और इनके वशीभूत होकर लोगों का मतदान व्यवहार प्रभावित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप चुनावी नतीजे भी प्रभावित होते हैं। पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना, केरल में मुस्लिम लीग ने धार्मिक आधार पर ही सफलता प्राप्त की है।

भाषा- उत्तर भारत और दक्षिण भारत की राजनीति में 'भाषा' मुख्य चुनावी मुद्दा रहा है। विशेष रूप से, तमिलनाडु की राजनीति में हिंदी भाषी व गैर हिंदी भाषा का मुद्दा अत्यंत प्रभावी रहता है। भाषा भी लोगों के मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है।

क्षेत्रवाद- उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर की राजनीति में क्षेत्रवाद का मुद्दा बहुत अधिक प्रभावी होता है। विभिन्न चुनावों के दौरान अनेक राजनेताओं के संबंध में दूसरे राज्यों के लोग बाहरी होने का आरोप लगाते हैं और इस बात का प्रयास करते हैं कि उस राज्य के लोग किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को वोट न दें। यह कारक भी लोगों के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है।

मतदाताओं की आर्थिक स्थिति- ऐसे मतदाता चुनाव में अधिक रूचि लेते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। इसके विपरीत, निर्धन मतदाता, दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले लोग अपनी दैनिक मजदूरी की कीमत पर मतदान को प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं। यदि निर्धन लोग मतदान को प्राथमिकता देंगे, तो इससे उनकी दैनिक मजदूरी पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। अतः मतदाता की आर्थिक स्थिति भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है।

राजनीतिक स्थिरता की इच्छा- यदि मतदाताओं को इस बात का आभास हो जाए कि अमुक राजनीतिक दल देश में राजनीतिक स्थिरता कायम कर सकता है और इसके अलावा अन्य राजनीतिक दल देश में राजनीतिक स्थिरता कायम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में मतदाता सामान्यतः राजनीतिक स्थिरता कायम करने में सक्षम राजनीतिक दल को ही अपना मत देते हैं। यानी यह कारक भी मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है।

धन की भूमिका- चुनावों में किया जाने वाला धन का प्रयोग भी लोगों के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। विशेष रूप से, गरीब देशों में राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को धन का लालच दिया जाता है, जिससे प्रभावित होकर मतदाता अपनी मतदान की प्राथमिकता में परिवर्तन कर देते हैं और इससे चुनावी परिणामों में भी परिवर्तन हो जाता है।

शिक्षा- शिक्षा का स्तर भी मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। सामान्यतः अशिक्षित लोग अपने हितों की परवाह किए बिना राजनेताओं या राजनीतिक दलों के भड़काऊ बयानों के शिकार होकर मतदान करते हैं। इसके विपरीत, शिक्षित लोग अपने हितों के मद्देनजर मतदान करते हैं। इसके अलावा, आजकल मतदाता ऐसे उम्मीदवारों का निर्वाचन करना पसंद करते हैं, जो अपेक्षाकृत बेहतर शैक्षिक पृष्ठभूमि रखते हैं।

नेतृत्व- भारत में मतदान-व्यवहार को प्रभावित करने में चमत्कारिक या करिश्मायी नेतृत्व को महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। व्यक्ति-पूजा भारतीय राजनीति की प्रमुख विशेषता रही है। व्यक्ति-पूजा के कारण ही नेताओं को अलौकिक, अमानवीय या असाधारण गुणों से युक्त समझकर जनता ने भारी समर्थन दिया है। शुरूआती दौर में नेहरू के व्यक्तित्व के कारण ही कांग्रेस को अपार सफलता मिली। 1971 और 1980 में कांग्रेस की विजय वास्तव में इन्दिरा गांधी की व्यक्तिगत विजय थी। 2014 और 2019 में तो भाजपा नरेन्द्र मोदी के व्यक्तित्व के कारण ही विजयी रथ पर सवार हुई हैं।

आर्थिक मुद्दे- आर्थिक मामलों में रोजगार, महंगाई में कमी, कर्जमाफी, मुफ्त की योजनाओं आदि में परिलक्षित होता है। ये मुद्दे कई चुनावों में अभियान का केन्द्र रहे है। 1971 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का नारा था- गरीबी हटाओं जिसने उसे सफलता दिलाई। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में वामपंथी दलों ने लम्बे समय तक शासन किया इसके पीछे उनकी आर्थिक नीतियाँ थी जो आम आदमी के जीवन को प्रभावित करती थी। पिछले कुछ वर्षो से अनेक राजनीति दलों ने जनता को अधिक से अधिक रियायते देने की नीति को अपनाकर सफलता प्राप्त की है। दक्षिण भारत में मुफ्त साडी एवं टेलीविजन सैट बाँटे गए तो दिल्ली में बिजली पानी के बिलों में रियायत देकर आम आदमी पार्टी ने प्रचण्ड बहुमत प्राप्त किया।

लिंग (जेण्डर)- भारत में महिलाओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं के उत्थान में नीतियों पर भी विशेष जोर दिया जाने लगा है। हर चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा अपने घोषणा पत्र में महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दों को शामिल किया जाने लगा है। अब हर राज्य में महिलाओं, छात्राओं के लिए साइकिल, स्कूटी, मोबाइल बांटे जाने लगे है। 2019 में भाजपा की लोकसभा चुनाव में सफलता में उज्जवला योजना, स्वच्छ भारत, सौभाग्य, जन-धन आदि योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सत्ताधारी दल का प्रदर्शन- भारत में जब जनता को लगता है कि सरकार अपने वादों को पूरा करने में असफल रही है तो जनता उसे सरकार को चुनाव में हरा देती है। इसे एंटी इंकम्बेसी फैक्टर कहते है। 1980 में जनता पार्टी, 1989 में कांग्रेस पार्टी की लोकसभा

चुनाव में हार का प्रमुख कारण मतदाताओं में सत्ताधारी दल के कार्य प्रदर्शन से असंतोष था। दूसरी तरफ यदि जनता सरकार से सन्तुष्ट होती है तो उसे पुनः भरपूर समर्थन देती है जिसे प्रो इनकंबेसी कहा जा सकता है।

प्रचार के साधन एवं मीडिया- प्रचार के साधन चुनावों में मतदान व्यवहार को सीधे प्रभावित करते है। आजादी के पश्चात् प्रत्येक चुनाव में हार्डिंग, बैनर, पोस्टर के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित किया जाता है। 1990 के दशक तक रेडियो प्रचार का प्रमुख माध्यम रहा तो दूसरी और प्रिंट मीडिया विशेषकर समाचार-पत्रों ने चुनाव का विश्लेषण करके, मतदाताओं को प्रभावित किया। 1990 के दशक बाद इलेक्ट्रानिक मीडिया का युग आया और टेलीविजन पर राजनीतिक दलो ने प्रचार प्रारंभ किया। मीडिया का सबसे अधिक प्रभावशाली प्रयोग सर्वप्रथम 1984 के लोकसभा चुनावों में देखने को मिला। इस चुनाव में पहली बार कांग्रेस ने अराजनीतिक एजेन्सी रेडिफ्यूजन की सहायता ली। दूरदर्शन और वीडियो कैसेट का इस चुनाव में प्रभावशाली प्रयोग किया। कांग्रेस के पाश्चात्य शैली में चुनाव संचालन और इलेक्ट्रानिक संचार माध्यमों के प्रयोग ने चुनाव की तस्वीर ही बदल दी। सोलहवीं लोकसभा के निर्वाचन (2014) में भी मतदाताओं के मतदान व्यवहार को मीडिया ने गहराई से प्रभावित किया। मीडिया विशेषकर समाचार चौनलों ने भाजपा और नरेन्द्र मोदी के निर्वाचन अभियान को न सिर्फ मतदाताओं के बड़े हिस्से तक पहुंचाने तथा उसे इस तरह पेश किया कि उसे एक विश्वसनीयता मिल गई। मीडिया के एक बडे हिस्से में मोदी ही छाए रहे जिसका फायदा भाजपा को मिला।

निष्कर्ष- अतः निष्कर्ष के आधार पर कह सकते है कि चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक देश की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। भारत के सन्दर्भ में भी यह बात सत्य है कि 1951-52 से भारत में राष्ट्रीय स्तर एवं क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव हुए है, यहाँ के व्यक्ति विभिन्न जातियों, धर्मो, भाषा व लिंग से सम्बन्ध रखते है अर्थात् वे इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते चुनावों के समय में भी ये कारक मतदान व्यवहार के प्रमुख कारक बनते है, लेकिन ये कारक तब और भी ज्यादा प्रभावशाली बन जाते है, जब ये लोगों की आर्थिक जरूरतों से जुड़ जाते है। इस शोध पत्र के माध्यम से हमने मतदान व्यवहार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझा और उन कारकों का भी अवलोकन किया है, जो मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। भारत की राजनीति में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा कौन-से कदम उठाए जाते हैं उनका भी वर्णन किया गया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. https://byjus.com/ias-hindi/voting-behaviour, Retrived on 20/03/2023 10 AM
2. https://byjus.com/ias-hindi/voting-behaviour Retrived on 20/03/2023 10 AM
3. http://www.socialresearchfoundation.com/new/publish-journal.php? Retrived on 23/03/2023 11 AM
4. http://www.socialresearchfoundation.com/new/publish-journal.php? Retrived on 23/03/2023 11 AM

5. http://www.socialresearchfoundation.com/new/publish-journal.php? Retrived on 23/03/2023 11 AM
6. तिवारी आर.पी., शुक्ला डी.पी. (2008) "भारतीय नारी की वर्तमान समस्याएं और भावी समाधान", ए.पी.एच. पब्लिकेशन कॉरपोरेशन, 2008, नई दिल्ली
7. कुमार संजय, राय प्रवीण (2009) , "भारत में मध्य प्रवृत्ति का मानदंड" सागर प्रकाशन नई दिल्ली
8. हरनी लता कानन (2012), 'भारत में चुनाव संबंधी गड़बड़ी आर्थिक नीतियां व मध्य प्रवृत्ति में चुनाव" अप्रकाशित शोध ग्रंथ, जॉर्जिया स्टेट विश्वविद्यालय , अटलांटा ,यूएसए
9. उल्लेख (2015), "नरेंद्र मोदी जी की 2014 की चुनाव विजय की तरकीब एवं तकनीक की भूमिका" रिसर्च गेट, नई दिल्ली।

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 39, Hindi Edition, Year-20, July- Dec. 2023

आधुनिक भारतीय समाज में संविधान की महत्ता

• सरिता
•• प्रियदर्शिनी पुरोहित

सारांश- भारतीय समाज में संविधान की भूमिका को जानने के लिए संविधान की महत्ता को जानना बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 नवम्बर 1949 को बनाया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया था 1950 को संविधान के लागू होने के समय संविधान में जितने भी कानून, अधिनियम, मौलिक कर्तव्य तथा मौलिक अधिकार थे वह सब समाज के अनुरूप थे परन्तु जैसे समाज में परिवर्तन होता गया संविधान में भी संशोधन के द्वारा इन सब चीज़ो में भी परिवर्तन करना पड़ा। कहा भी गया है कि परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम होता हैं। भारतीय समाज संपूर्ण रूप से विविधताओं से घिरा हुआ है। यहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक रूप से कई विविधताएँ देखने को मिलती है। धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता तथा लिंग आदि के आधार पर इन भेदभावों को देखा जा सकता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, कर्त्तव्यों, संशोधन न्यायपालिका तथा संसद के द्वारा समाज में पाए जाने वाली विभिन्नताओं को कम करने की कोशिश की जाती है। भारतीय संसद तीन अंगों से मिलकर बनी हैं विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका आदि। इनके द्वारा कानून को बनाने, उनको लागू करने तथा न्याय देने का काम किया जाता हैं। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा तथा विस्तृत संविधान हैं।

मुख्य शब्द - कानून, अधिनियम, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार

परिचय- किसी देश का संविधान उसकी सरकार के लिए सर्वोच्च कानूनी-राजनीतिक दस्तावेज होता है। यह कानूनी रूप से स्थापित लोगों के अधिकारों के बयान का भी प्रतीक है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विविधता पाई जाती है। समाज में पाए जाने कारको के कारण भारतीय समाज में विविधता देखने को मिलती हैं। हमारा समाज हमेशा से ही बहुत पेचीदा रहा हैं। संस्कृति, धर्म, दर्शन और राजनीतिक चिंतन की विविधता भारत का सार रही है।

26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लाग किया गया था और भारत को एक संघीय तथा गणतन्त्रीय राज्य बना दिया गया। भारत के लोग संविधान में विश्वास

• शोधार्थी, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, भारत
•• सहायक प्राध्यापक, राजनीतिक विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, भारत

रखते है। नेहरू जी ने कहा भारत की इस संविधान सभा का पहला कार्य एक नए संविधान के माध्यम से भारत को मुक्त करना हैं। भूखे लोगों को खाना खिलाना है, विकास के अवसर प्रदान करना तथा जनता को कपड़े पहनाना हैं।

भारतीय समाज- भारतीय समाज एक स्थायी संस्था है और एक प्रकार का प्राकृतिक संगठन भी जो मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति से उत्पन्न हुआ। इस संसार में तीन प्रकार के समाज आदिवासी कृषि और औद्योगिक चिहिन्त किए गए हैं। अफ्रीकी समाज आदिवासी है भारतीय समाज कृषि (किसान) हैं। जबकि अमेरिकी समाज औद्योगिक है। जिस प्रकार जीवन कोई वस्तु नहीं बल्कि जीने की प्रक्रिया है उसी प्रकार समाज भी वस्तु नहीं अपितु जोड़ने की प्रक्रिया है।

गिन्सवर्ग के अनुसार, ''एक समाज कुछ सम्बन्धों या व्यवहार के तरीकों से एकजुट व्यक्तियों का एक संग्रह हैं जो उन्हें अन्य से अलग करता है। जो इस संबंधों में प्रवेश नहीं करते हैं या जो व्यवहार में उनसे भिन्न होते है। प्रो. राइट के अनुसार, ''समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है। यह सम्बन्धों की व्यवस्था हैं। जो समूह के व्यक्तियों के बीच मौजूद है।'' मैकाइवर के अनुसार, ''समाज हैं - सामाजिक सम्बन्धों का जाल है।'' भारतीय समाज हमेशा अलग- अलग मूल्यों पर आधारित हैं। परिवार और समाज की प्रधानता पर और कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों की श्रृंखला पर।

उद्देश्य

1. इस पेपर का उद्देश्य भारतीय समाज में संविधान की महत्ता को जानना।
2. संविधान में शामिल तत्वों की सार्थकता को आधुनिक समाज में परखना है।
3. इस शोध पत्र का उद्देश्य नागरिको को उनके कर्तव्यो के प्रति जागरूक करना है।

शोध पद्धति- यह लेख एकत्रित प्रासंगिक आँकड़ों, सरकारी रिपोर्ट पर आधारित है। इसके अलावा द्वितीयक आँकड़े पुस्तकों तथा शोध लेखों के माध्यम से प्राप्त किए है। आइए अब उन परिवर्तनों पर चर्चा करें जिन्हें भारत के संविधान ने समाज के लिए अनिवार्य किया। जो सार्वजनिक नीतियों के द्वारा सरकारों द्वारा लाए गए हैं।

1. संविधान की प्रस्तावना का समाज में बहुत महत्व है। सम्प्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे शब्द राज्य की प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते है। जबकि शब्द न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक), स्वतन्त्रता (विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, पूजा); समानता (स्थिति और अवसर की और भातृत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता या उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करते है।

भारत एक सम्प्रभु राज्य है तथा राज्य के साथ-2 एक समाजवादी राज्य भी है। गरीबी, अज्ञानता, बूढ़े तथा पुरुष एवं महिला के बीच मजदूरी मे ंअसमानता, बूढ़े, विकलांगों, अनाथ तथा विधवा की असुरक्षा को समाप्त करने के लिए कई समाजवादी उपाय किए गए है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है जो देश में सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाएगा। भारत एक लोकतान्त्रिक गणराज्य भी है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतदान करने तथा चुनाव लड़ने का अधिकार मिला।

स्वतन्त्रता, समानता, न्याय जैसे उद्देश्यों और मूल्यों के व्यापक सामाजिक निहितार्थ हैं संविधान ने सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं अधिकार न

केवल दिए जाते है बल्कि अदालतों द्वारा संरक्षित भी किए जाते है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, निजता का अधिकार, अवसरों की समानता आदि।

2. संसद के द्वारा समय-समय पर संशोधन किए गए। संशोधनों के द्वारा भी समाज में परिवर्तन हुआ। सामाजिक-आर्थिक परि–श्य में 15व,, 16वॉ, 17वॉ, 23वॉ, 24वॉ, 25व,, 26वॉ, 29वॉ, 34वॉ, 42वॉ, 61वॉ, 64वॉ, 73वॉ, 74वॉ संवैधानिक संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। इन संशोधनों के माध्यम से समाज के शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के हितों की रक्षा करना है।

3. संसद द्वारा पारित किए गए बहुत सारे कानूनों के द्वारा समाज में बदलाव आया है इनमें सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है जो एक व्यक्ति के साथ-साथ पूरे राष्ट्र की नियति को आकार दे सकती हैं। यह मनुष्यों की उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण तन्त्र है। शिक्षा समाज में परिवर्तन लाने का साधन है। शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21(।) 45, संशोधन 86 (2002) तथा अधिनियम (2009) आदि में शामिल किया गया है।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के माध्यम से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से काम करने का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, लोकपाल, लोकायुक्त अधिनियम आदि भी संसद के कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948), अनुबंध श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम (1970), बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम (1986), बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम (1976), ट्रेड यूनियन अधिनियम, खान अधिनियम, कारखाना अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम (1961), समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976), खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड आदि इस दिशा में कुछ अनुकरणीय अधिनियम हैं । अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया, अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, संस्कृति और शिक्षा आदि के लिए राज्य द्वारा संरक्षण दिया गया, तस्करी तथा मानव तथा जबरन श्रम को गैरकानूनी घोषित किया गया।

4. न्यायपालिका सरकार की वह शाखा है जो कानून की व्याख्या करती हैं तथा न्याय प्रदान करती हैं। न्यायपालिका मानवाधिकारों की रक्षक के रूप में काम करती हैं न्यायपालिका में नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होने पर नागरिक अपील कर सकते हैं। न्यायपालिका समाज में क्या चल रहा है उस
पर भी नजर रखती है। सरकार क्या कानून बना रही है उसका निरीक्षण करती है।

मई 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक प्रणाली में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित पोर्टल SSUPACE लांच किया जिसका उद्देश्य न्यायाधीशों को कानूनी रिसर्च में सहायता करना भी है। न्यायपालिका विजिलेंस का काम भी करती है। विशाखा बनामं राजस्थान राज्य 1997, मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ 1978, रेणुका शिंदे और सीमा गावित : चाइल्ड किलर (1990-1996), मथुरा का बलात्कार केस 1972, नानावती हत्याकांड (1959), निर्भया सामूहिक बलात्कार (2012), नीरव मोदी मेहुल चौकसी (2018) आदि। न्यायपालिका समाज में होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखते है। सामाजिक हित मे न्याम्पालिका द्वारा क्रांति लाई गई है न्यायिक-सक्रियता,

न्यायिक-पुर्ननिरीक्षण, जनहित याचिका के द्वारा।

5 मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में संविधान के लागू करने के समय ही शामिल किया गया था उस समय मौलिक अधिकारो को समाज की परिस्थितियों के अनुसार ही बनाया गया था परन्तु आज मौलिक अधिकारो को आधुनिक समाज के अनुसार बनाने के लिए संविधान में कई संशोधन किए गए है। प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के प्रति आज के समय में जागरूक हैं और अपने अधिकारो का उल्लंघन होने पर न्यायालय में अपील करने का भी अधिकार है।

6 मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में 1976 में स्वर्णसिंह समिति की सिफारिशों पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था कर्तव्यों के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 4 (A) तथा अनुच्छेद 51 (A) में शामिल किया गया हैं उस समय इनकी संख्या 10 थी परन्तु अब 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वें कर्तव्य के जोड़ा गया है। पर फिर भी नागरिकों के द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता नहीं दिखाई जाती हैं

निष्कर्ष- इसमाज में संविधान की भूमिका अपने आप को साबित करती है। परिवर्तन के साथ-2 कानून, अधिनियम भी बदलते है। संविधान में शामिल प्रस्तावना, न्यायपालिका, मीडिया, मौलिक अधिकार, कर्त्तव्य, संशोधन तथा विधानपालिका सभी अपनी-अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। इन सभी का श्रेय संविधान को जाता है। सत्ता के विभाजन में स्पष्ट उल्लेख के बावजूद सरकार की तीन शाखाएँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका देश के लोगों की सेवा के लिए एक साथ अच्छी तरह से काम कर रहे है परन्तु नागरिकों की जागरूकता केवल अपने अधिकारों के प्रति हैं ना कि अपने कर्तव्यों के प्रति। अगर मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ करे तो उन्हें मौलिक अधिकार स्वयं प्राप्त हो जाएगें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. जैन, पुखराज. (1986), विश्व में प्रमुख संविधान, आगरा, साहित्य भवन
2. पाण्डेय, जयनारायण, (2006), भारत का संविधान. इलाहाबाद, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी
3. मित्तल, के.के. (2017), संवैधानिक इतिहास और भारतीय कानून, इलाहाबाद लॉ एजेन्सी
4. जैन, एम.पी. (1992), भारतीय कानूनी इतिहास की रूपरेखा, एन.एम. तिरुपति
5. सीकरी,एम.पी. (1994), इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. नई दिल्ली, कल्याणी पब्लिशर्स, पी। 292.
6. राव, सी एन शंकर. (1994), समाजशास्त्र, नई दिल्ली : एस. चंद एंड कंपनी लिमिटेड

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 39, Hindi Edition, Year-20, July- Dec. 2023

विकसित देश लक्ष्य 2047 की दिशा में महिला सशक्तिकरण की स्थिति

• कुमुद श्रीवास्तव

सारांश- **एक जागृत महिला लोगों को जागरूक करते हुये परिवार, गांव और देश के विकास को तीव्र करने में सहायक है। एक कहावत भी इसी वक्तव्य से मिलता जुलता है, ''यदि आप एक पुरूष को शिक्षित करते हैं, तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं, तो आप एक राष्ट्र को शिक्षित करते हैं।'' लोगों को जागरूक करने के लिये एक जागृत महिला की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार जो लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त करती हैं, उनकी कम उम्र में शादी होने की संभावना कम होती है और वे स्वस्थ, उत्पादक जीवन जीने की अधिक संभावना रखती है, वे अधिक आय अर्जित करती है, उन निर्णयों में भाग लेती है, जो उन्हें सबसे अधिक प्रभावित करते हैं और अपने और अपने परिवार के लिये बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। सामाजिक एकजुटता और एकीकरण तथा परिवार के पोषण और स्वास्थ्य के लिये महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। केरल के कुटुम्बश्री (एस.एच.जी. कार्यक्रम) क माध्यम से केरल के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिये महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, आज भारत के कई गांवों आर्थिक विकास के लिये सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित घरेलू उद्योगों पर आश्रित है। भारत की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, आई.एम.एफ. की पूर्व एम.डी. क्रिस्टीना लैगार्ड के अनुसार, भारतीय महिलाओं को कौशल प्रदान करने और सशक्त बनाने के लक्ष्यों से भारत की जी.डी.पी. में 27 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है।**

मुख्य शब्द- महिला श्रम बल भागीदारी, राजनैतिक भागीदारी सशक्तिकरण, विश्व स्तर पर विधायिका में महिलाओं का प्रतिशत

भारत में कई महिलाएं पारिवारिक आय में योगदान दे रही है और देश की जी.डी.पी. में भी योगदान दे रही है, पूर्व-अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाएं अपनी आय का 90 प्रतिशत तक अपने परिवार में पुनः निवेश करती है, जबकि पुरूष केवल 30-40 प्रतिशत ही निवेश करते हैं। महिलाओं ने भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने महिला क्षमता से जुड़ी सांस्कृतिक वर्जनाओं को दूर करने में प्रमुख भूमिका निभाई। आप किसी देश की महिलाओं की स्थिति देखकर उस देश की प्रगति का अंदाजा

• प्राध्यापक, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म. प्र.)

लगा सकते हैं, क्योंकि महिलाओं की स्थिति किसी देश की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति को दर्शाती है।

शोध पत्र के उद्देश्य -

1. भारत देश में महिला सशक्तिकरा की दिशा में किये जा रहे कार्यों का अध्ययन।
2. महिला श्रम बल भागीदारी दर में परिवर्तन का अध्ययन।
3. राजनैतिक सशक्तिकरण की दिशा में किये गये कार्यों का अध्ययन।

महिला जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं यथा लड़कियों की शिक्षा, कौशल, विकास, उद्यमिता सुविधा व कार्यस्थल पर सुरक्षा (Safety in the workplace) आदि के मामलों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के चलते भारत में श्रम भागीदारी के मामले में नारी शक्ति ने नया मुकाम हासिल कर लिया है तथा श्रम बल में नारी की भागीदारी में पर्याप्त वृद्धि विगत एक वर्ष में दर्ज की गई है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 8 अक्टूबर, 2023 को जारी एक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट (Labour Force Survey Report) 2022-23 में प्रस्तुत आंकड़ों में बताया गया है कि 2022-23 में देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर (Female Labour Force Participation Rate - FLFPR) जो 2021-22 में 32.8 प्रतिशत थी, बढ़कर 2022-23 में 37.0 प्रतिशत हो गई थी, इस प्रकार 4.2 प्रतिशत बिन्दु की वृद्धि एक वर्ष में इसमें हुई, मंत्रालय की रिपोद्र में बताया गया है कि देश में श्रम में महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 में 23.3 प्रतिशत ही थी, जो बढ़ते-बढ़ते 2019-20 में 30.0 प्रतिशत तथा 2021-22 में 32.8 प्रतिशत हो गई थी और अधिक सुधर कर यह 2022-23 में 37.0 प्रतिशत हो गई।

देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLEPR)

वर्ष	महिला श्रम बल भागीदारी दर (प्रतिशत)
2017-18	23.3
2018-19	24.5
2019-20	30.0
2020-21	32.5
2021-22	32.8
2022-23	37.0

महिला श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि टिप्पणी करते हुये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि नारी शक्ति को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में सरकार की नीतिगत पहलों का बड़ा योगदान है।

06 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये पालना गृह सुविधा बनाने के उद्देश्य से 30 से 50 महिला श्रमिकों तक बढ़ जाएगी।

- महिला कर्मचारियों के रोजगार के लिये शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक उनकी सहमति और सुरक्षा, छुट्टी, काम के घण्टे से संबंधित शर्तोंके साथ प्रावधान किये गये है।

- पहले प्रावधानों के विपरीत महिला श्रमिक को सभी प्रकार के काम के लिये सभी प्रतिष्ठानों में काम करने का अधिकार है जिसमें खतरनाक प्रक्रिया भी शामिल है। जिसमें पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करने की व्यवस्था है।

भारत सरकार ने महिलाओं के लिये और उनके द्वारा सभी सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को प्राप्त करने के लिये लक्षित और लिंग मूलक-मुख्य धरा वाले हस्तक्षेप और निवेश किये हैं, इनमें लैंगिक समानता, महिलाओं की बहुआयामी गरीबी को समाप्त करने वाले सशक्तीकरण संबंधी लक्ष्य (एस.डी.जी. 1), शून्य भूख, खाद्य सुरक्षा और पोषण (एस.डी.जी. 2), स्वास्थ्य (एस.डी.जी. 3), सर्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा (एस.डी.जी. 4), जल और स्वच्छता और हायजिन (WASH) (एस.डी.जी. 6) किफायती और स्वच्छ ऊर्जा (एस.डी.जी. 7), सभ्य कार्य और आर्थिक विकास (एस. डी.जी. 8), आदि पर प्राथमिकता वाली कार्यवाहियां शामिल है।

महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करने और 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के माध्यम से जन्म के दौरान लड़कों को प्राथमिकता देने की सामाजिक मानसिकता को बदलने के प्रयासों ने अच्छी जमीन तैयार की, नारी शक्ति वन्दन अधिनियम (एन.एस.वी.ए.) का विचार भारतीय जनता पार्टी नीति एन.डी.ए. सरकार 2014 की प्राथमिकताओं में से एक था और प्रधानमंत्री मोदी के व्यापक नारी शक्ति मिशन और महिला नेतृत्व वाले विकास पर वस्तविक जन आन्दोलन का हिस्सा था।

विश्व स्तर पर, यह राजनीतिक आवाज में भागीदारी और निर्णय लेने में महिलाओं के नेतृत्व में लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है, यह महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद 4(1) को प्रभावी बनाता है, जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है। 15 वर्षों के लिये एक अस्थायी विशेष उपाय (टी.एस.एम.) को अपनाना, भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत कानूनी समानता के विपरीत, 'वास्तविक समानता में तेजी लाने' में सीधे योगदान देता है।

विधायिकाओं में सभी सीटों में से एक तिहाई- जिसे लैंगिक समानता हासिल करने के लिये महत्वपूर्ण माना जाता है- संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिये आरक्षित की जानी है उसे भीतर, प्रतिच्छेदन की अवधारणा को शामिल करते हुये, कुल सीटों में से एक-तिहाई सीटें एस.सी./एस.टी. महिलाओं के लिये आरक्षित है, जो महिलाएं गरीबी, जाति या जनजातीय स्थिति के कारण जटिल और परस्पर विरोधी भेदभाव का सामना करती है, उन्हें समान स्थिति में आने के लिये अतिरिक्त समर्थन दिया जा रहा है- सभी के लिये बराबरी के आधार पर राजनीतिक खेल का मैदान प्रदान करता है।

भारत द्वारा टी.एस.एम. को अपनाने का प्रभाव लगभग 40 अन्य विकसित और विकासशील देशों के क्लब में शामिल होने से कहीं अधिक है, लोकतंत्र के तथाकथित पुरोधा-अमरीका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और जापान अभी वहां नहीं है, भारत की यह पहल वैश्विक लैंगिक समानता मिशन के लिये पथ-प्रदर्शक होगी, क्योंकि यह प्रदर्शित करेगा कि ऐसे टी.एस.एम. दुनिया के सबसे बड़े, सबसे विविध और जटिल लोकतंत्र में बड़े पैमाने पर काम करते हैं, कोई सच्चा लोकतंत्र नहीं हो

सकता, अगर इसकी आधी आबादी को सर्वोच्च कानून बनाने और निर्णय लेने वाले निकायों में आनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है इसका न केवल राजनीतिक सशक्तिकरण और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी पर, बल्कि उनके आर्थिक नेतृत्व और भागीदारी और उनकी सामाजिक स्थिति पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

विभिन्न विश्वसनीय अनुमानों से संकेत मिलता है कि राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में लैंगिक समानता 2030 तक भारत की जी.डी.पी. 30.50 प्रतिशत तक की वृद्धि ला सकती है, जिसे भारत के लिये अपने सतत् विकास को बढ़ावा देने, 2047 तक अपने 'विकसित देश' लक्ष्य तक पहुंचने के लिये आवश्यक माना जाता है, 21वीं सदी भारतीय सदी है, सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में, भारत की महिलाएं दुनिया की 18 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है और दुनिया में युवाओं का सबसे बड़ा समूह है, महिला सशक्तिकरण भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने के लिये प्रेरित करेगा। प्रजनन दर में गिरावट, कौशल में वृद्धि, आर्थिक नेतृत्व और भारत की युवा महिलाओं की कार्यबल भागीदारी निश्चित रूप से उनके राजनीतिक नेतृत्व में वृद्धि के साथ होगी।

इससे भी अधिक, 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' 19 सितम्बर 2023 को नए संसद भवन में स्थानान्तरित होने के बाद संसद द्वारा पारित पहला विधेयक है।

विश्व स्तर पर, संसद में महिलाओं का औसत लगभग 24 प्रतिशत है और अपनी संसद में महिला विधायकों के उच्चतम प्रतिशत वालादेश रवांडा है, जहां निचले सदन की 80 सीटों में से 49 पर महिलाओं का कब्जा है। (लगभग 61 प्रतिशत)

- वर्ष 1991 में विधायिका में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला अर्जेंटीना दुनिया का पहला देश था, उस समय विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 5.4 प्रतिशत था।
- वर्ष 1997 में केवल 5 देशों के शीर्ष स्तरीय कानून निर्माण निकायों में 30 प्रतिशत से अधिक महिला विधायक थी, अब 63 देशों में 30 प्रतिशत से अधिक महिला विधायक हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, केवल 6 देशों में किसी भी सदन में 50 प्रतिशत से अधिक महिला विधायक है- निचले या ऊपरी सदन में।
- 23 देशों में महिला विधायकों का प्रतिशत 40 प्रतिशत से अधिक है।
- 22 देशों में महिला विधायकों का प्रतिशत 10 से कम है।

वर्तमान में, भारत के निचले सदन, लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 78 निर्वाचित महिला सांसद है – कुल सांसदों की संख्या का महिलाये 14.36 प्रतिशत हैं।

देशों की विधायिका में महिलाओं की भागीदारी

देश	कुल स्थान	महिला सांसदों की संख्या	कुल स्थानों से महिला सांसदों का प्रतिशत
सं0 रा0 अमरीका	435	125	28.7
यूनाइटेड किंगडम	649	224	34.5
दक्षिण अफ्रीका	398	184	46.2
दक्षिण कोरिया	299	57	19.1
जापान	462	46	10
जर्मनी	736	258	35.1
फ्रांस	577	218	37.8
कनाडा	336	102	30.7
ब्राजील	513	90	17.5
आस्ट्रेलिया	151	58	38.4
रवांडा	80	49	61.25
क्यूबा	586	313	53.41
निकारागुआ	91	47	51.56
न्यूजीलैण्ड	119	60	50.42
मैक्सिको	500	250	50
संयुक्त अरब अमीरात	40	20	50

उपरोक्त विवेचनाओं से स्पष्ट है कि भारत में महिला सशक्तिकरण हेतु किये जा प्रयोग से स्पष्ट है कि –

- भारत में महिला श्रम बाल भागीदारी दर वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022-23 में बढ़कर 37 प्रतिशत हो गयी है। एक वर्ष के अंदर 4.2 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी है। जिससे स्पष्ट है कि महिलाओं के उत्थान के लिये किये कई वर्षों के कार्यों का प्रतिफल है।
- 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' 19 सितम्बर 2023 को संसद द्वारा पारित हर संसद में महिलाओं को आरक्षण प्रतिशत बढ़ाकर, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में किया गया एक ठोस कार्य है। इस अधिनियम से सदन में महिलाओं की संख्या में वृद्धि होगी। राजनैतिक भागीदारी बढ़ने से महिलाएं देश में लिये जा रहे निर्णय में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होगी।
- विश्व स्तर पर संसद में महिलाओं का प्रतिशत 23 देशों में 40 प्रतिशत से अधिक

है, 22 देशों में 40 प्रतिशत से अधिक है, 22 देशों में महिला विधायकों का प्रतिशत 10 से कम है। केवल 6 देशों में किसी भी सदन में 50 प्रतिशत से अधिक विधायक है। 63 देशों में 30 प्रतिशत से अधिक महिला विधायक है। रवांडा एक ऐसा देश जहां निचले सदन की 80 सीटों में से 49 सीटों पर महिलाओं का कब्जा है। भारत में महिलाओं के कल्याण के लिये विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिससे महिलाओं की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महिलायें अपने अधिकारों को जानकर कार्यकुशलता के साथ देश के विकास में योगदान कर रही है।

सुझाव -

1. भारत में श्रम बल भागीदारी दर बढ़ रही है, इस दिशा में भागीदारी के प्रतिशत को बढ़ाने के लिये कार्यक्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से संचालित करने की अनिवार्य व्यवस्था की जानी चाहिये।
2. नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के पूर्व महिलाओं को इस अधिनियम से पूरी तरह से अवगत कराने हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये जिससे महिलायें प्रत्यक्ष रूप से इसकी भागीदार बन सके।
3. आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से भारत देश की महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में किये जा रहे कार्यों की पर्याप्त निगरानी की आवश्यकता है। जिससे निर्धारित समय पर अनुकूलतम स्तर तक कार्यों को सम्पादित किया जा सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. सिन्हा, वी.सी., भारतीय अर्थव्यवस्था, एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशन्स, आगरा
2. Labour Force Survey Report 2022-23
3. प्रतियोगिता दर्पण, नई दिल्ली, दिसम्बर 2023
4. World Economic outlook 2021, 2022, 2023

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 39, Hindi Edition, Year-20, July- Dec. 2023

प्रो. भगवती प्रकाश काम्बोज की कला यात्रा

• कुलदीप कुमार
•• निशा गुप्ता

सारांश- प्रो. भगवती प्रकाश काम्बोज भारतीय संस्कृति, शास्त्रीय कला और मानवीय मूल्यों के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कला के उत्थान के साथ-साथ समाज में बढ़ रहे विदेशी कला के प्रभाव को अपनी कला पर हावी नहीं होने दिया। आप अच्छे शिक्षक, चित्रकार तथा प्रशासक भी रहें हैं। उन्होंने उत्तरांचल में कला की गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किये। उन्होंने कला धरोहर के संरक्षण तथा प्रतिभाओं को संगठित करने के उद्देश्य से उत्तरांचल कला परिषद् का गठन किया। जिससे कलाकारों और कला प्रेमियों को अपने सपने साकार करने के लिए नई राह मिली। वे मानते हैं कि यदि कोई कला भारतीय सांस्कृतिक धरोहर और शास्त्रीय कला से प्रेरणा लेकर नहीं चलती तब तक वह कला सार्थक नहीं होगी। भारतीय कला में आरम्भ से ही यह विशेषता विद्यमान रही है। प्रो. काम्बोज ने सौन्दर्यमय प्रकृति तथा लघु चित्रों से प्रेरणा लेकार अपने कला सफर को सार्थक किया। प्रो. काम्बोज अपनी कलाकृतियों के माध्यम से जनमानस के हृदय में सौन्दर्य रूपी दीपक को प्रकाशित करना चाहते थे। वे समाज के आध्यात्मिकता, आपसी प्रेम सौहार्द की भावना, समाज सेवा तथा देश भक्ति का संदेश देना चाहते थे। उनके चित्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम और लगाव स्पष्ट झलकता है। उन्होंने अपने चित्रों में लकड़ी के प्राकृतिक पोत का प्रभाव सौन्दर्यपूर्ण ढंग से दर्शाया है। प्रो. काम्बोज की कला के प्रति रूचि, लगन व निष्ठा ने उन्हें एक ख्याति प्राप्त चित्रकार के रूप में पहचान दी। प्रो. काम्बोज की कला तथा तकनीक जानकर विद्यार्थी निश्चित ही लाभ उठायेगें।

मुख्य शब्द- संस्कृति, कला, मानवीय मूल्यों, प्रभाव, प्रकृति

प्रस्तावना- जिस समय कलाकार के जीवन को समस्याओं ने घेरा तब कलाकार ने प्रकृति के सानिध्य से ही जीवन में सन्तुलन स्थापित किया। आदिम युग से ही कलाकार का सम्बन्ध प्रकृति से रहा है। हम यह कह सकते हैं कि प्रकृति ने ही वास्तव में मनुष्य को तराशा है। प्रकृति के इस भाव को प्रो. काम्बोज ने बचपन से ही जिया। प्रो. काम्बोज की कला के प्रति रूचि, लगन व निष्ठा ने ही उन्हें एक ख्याति प्राप्त चित्रकार बनाया। प्रो. काम्बोज प्रकृति से बहुत निकटता से जुड़े थे, क्योकि देहरादून एक प्राकृतिक सुन्दरता से

• शोधार्थी
•• पूर्व विभागाध्यक्षा चित्रकला विभाग जे. के. पी. पीजी कॉलेज मुजफ्फरनगर

सम्पन्न क्षेत्र और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। प्रकृति सौन्दर्य ने इन्हें मन्त्रमुग्ध कर दिया। यह सत्य है कि प्राकृतिक सुन्दरता और अद्भुत भौगोलिक दृश्यों के कारण यह क्षेत्र पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अनेक कलाकार यहाँ प्रकृति चित्रण के लिए आते हैं। इन सभी स्रोतों ने प्रो. काम्बोज को प्रकृति प्रेम की ओर आकर्षित किया, जिसके फलस्वरूप अपने चित्रों के माध्यम से अपने मनोभावों की कलात्मक अभिव्यक्ति की। प्रो. काम्बोज का स्वभाव बहुत सहज रहा है। इनका व्यक्तित्व इतना प्रेरणादयाक रहा है कि ये विद्यार्थियों की सहज स्वभाव में मदद करते थे। भारतीय कला और संस्कृति के उत्थान के लिए समर्पित रहें हैं। उन्होंने अपनी कला को साकार रूप देने के लिए कई वर्षों तक साधना की। भारतीय चित्रकला में आरम्भ से ही शास्त्रीय कला की विशेषता विद्यमान रही है। प्रो. काम्बोज ने सौन्दर्यमय प्रकृति तथा लघु चित्रों से प्रेरणा लेकार अपने चित्रकला सफर को सार्थक किया।

उद्देश्य- इस शोध पत्र का उद्देश्य एक कलाकारों के मन में कला और राष्ट्र प्रेम और शास्त्रीय कला के सम्मान की भावना उत्पन्न करना है साथ ही कलाकारों और कला प्रेमियों को महान कलाकार प्रो. भगवती प्रकाश काम्बोज के कला सृजन और राष्ट्र प्रेम से प्रेरणा मिलेगी। इनकी कला यात्रा को जानकर हम अनुभव करेंगे कि अपनी जीवनचर्या एवं दृष्टिकोण में थोड़ा सा परिवर्तन करके हम अपने जीवन में हर क्षण सौन्दर्यानुभूति कर आनन्द को प्राप्त कर सकते हैं। एक कलाकार को इस ओर जागरूक करना कि कला में अपने देश की शास्त्रीय कला की महक अवश्य होनी चाहिए ताकि हमारी लुप्त होती गौरवशाली परम्पराओं पर आने वाली पीढ़ियॉ गर्व कर सकें।

जिन कला प्रेमियों ने अपनी कला तूलिका से चित्रकला के क्षेत्र को उँचाई प्रदान की है उन्हीं में प्रो. भगवती प्रकाश काम्बोज का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। नवीन सृजन शक्ति उनके व्यक्तित्व में स्पष्ट दिखाई देती है। प्रो. बी. पी. काम्बोज का जन्म 15 अगस्त 1928 ई. में देहरादून में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गौरी शंकर था, जो वन विभाग में लेखाकार के पद पर थे। इनकी माता का नाम श्रीमती चमन देवी था। बचपन से ही इनमें चित्रकला और प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति विशेष प्रेम रहा। इन्होंने चित्रकला में परास्नातक की डिग्री डी.ए.वी. पी.जी. कॉलिज देहरादून से प्राप्त की। ये जीवनभर कला सृजन में कार्यरत रहे और विभिन्न एकल तथा सामूहिक कला प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता करते रहे। इन्होंने देहरादून में कला क्षेत्र के विस्तार देने के लिए अथक प्रयास किये। प्रो. काम्बोज अपनी कला कृतियों के माध्यम से जनमानस के मन में सौन्दर्य रूपी दीपक को प्रकाशित करना चाहते थे। वे समाज को आध्यात्मिकता, आपसी प्रेम सौहार्द की भावना, समाज सेवा तथा देश भक्ति का संदेश देना चाहते थे। उनके चित्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम और लगाव स्पष्ट झलकता है। उन्होंने अपने चित्रों में लकड़ी के प्राकृतिक पोत का प्रभाव सौन्दर्यपूर्ण ढंग से दर्शाया है। प्रो. काम्बोज की चित्रकला के प्रति रूचि, लगन व निष्ठा ने उन्हें एक ख्याति प्राप्त चित्रकार बनाया। प्रो. काम्बोज प्रकृति से बहुत निकटता से जुड़े थे, क्योंकि देहरादून एक प्राकृतिक सुन्दरता से परिपूर्ण क्षेत्र और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। प्राकृतिक सुन्दरता और अद्भुत भौगोलिक दृश्यों के कारण यह क्षेत्र पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। चाय और लीची के बाग इसके सौन्दर्य

को कई गुना बढ़ा देते हैं। यहाँ उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियों से घिरे कुछ पहाड़ी नगर बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनमें मसूरी, सहस्त्रधारा, चकराता, डाकपत्थर प्रमुख हैं। इन सभी स्रोतों ने प्रो. काम्बोज को प्रकृति प्रेम की ओर आकर्षित किया जिसके फलस्वरूप अपने चित्रों के माध्यम से अपने मनोभावों की कलात्मक अभिव्यक्ति की। प्रो. काम्बोज सहज स्वभाव के धनी रहे है। इनका व्यक्तित्व प्रेरणादयाक रहा है ये विद्यार्थियों की सहज स्वभाव में मदद करते थे। भारतीय कला और संस्कृति के उत्थान के लिए समर्पित रहें हैं। उन्होंने अपनी कला को साकार रूप देने के लिए कई वर्षों तक साधना की। वे मानते हैं कि यदि कोई कला भारतीय सांस्कृतिक धरोहर और शास्त्रीय कला से प्रेरणा लेकर नहीं चलती तो वह कला सार्थक नहीं होगी। भारतीय चित्रकला में आरम्भ से ही यह विशेषता विद्यमान रही है। प्रो. काम्बोज ने सौन्दर्यमय प्रकृति तथा लघु चित्रों से प्रेरणा लेकर अपनी चित्रकला के सफर को उँचाईयों तक पहुँचाया है। वे कहते हैं कि कलाकार में सृजन की प्रबल भावना होती है, जो सृजन कार्य में लगे हैं, वे कलाकार हैं। कला एक सृजनात्मक प्रक्रिया है, जो उसकी अनुभूति से प्रारम्भ होती है। हम कहते हैं कला अभिव्यक्ति है, कोई इसे सौन्दर्य की उपासना मानता है। अनुभव किया जाये तो कला सौन्दर्य की उपासना भी है, सौन्दर्य की खोज भी है, सौन्दर्य की अभिव्यक्ति भी है। कला में अभिव्यक्ति भाव की होती है और भाव का सृजन मन के अनुभव व संवेदनाओं, अनुभूतियों से प्रकट होते हैं। कलाकार अपने रंगों से ऐसी रचना करेगा जो उसे अन्तर्मन के भावों का प्रकट रूप होगा। प्रो. भगवती प्रकाश काम्बोज जी ने सन् 1990 से 1994 ई. तक राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के सचिव के रूप में कला के उत्थान के लिए ठोस कदम उठाए। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर की कई कला प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता की। राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका, नई दिल्ली तथा ललित कला अकादमी में इनका कार्य प्रदर्शित होता रह। वर्ष 1990 में आइसलैंड में उनकी कला प्रदर्शनी लगी। उन्होंने कला के क्षेत्र में कई सम्मान प्राप्त किये। आईफैक्स कला सेवा सम्मान, दून कला रत्न रूपकिशोर कपूर अवार्ड से उन्हें सम्मनित किया गया। प्रो. काम्बोज जी ने पुस्तक लेखन का कार्य भी किया, ''अर्ली वॉल पेन्टिंग ऑफ गढवाल'' तथा ''प्राचीन यूरोपीय कला'' इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं।

प्रसिद्ध लेखक चिन्मय मेहता की दृष्टि में, ''काम्बोज एवं उनके चित्र समानान्तर होकर विकसित होते गये। जो कुछ वे कहना चाहते हैं उसका आधार उनकी सुस्पष्ट कला चेतना एवं भावनात्मक ईमानदारी है। उनके व्यवहार का धैर्य, सहिष्णुता एवं तटस्थ भाव उनके चित्रों में परिलक्षित होता है। मंच के वे ऐसे पात्र है जो विविध भूमिकाएँ निभाते रहें हैं किन्तु अपने मूल पात्र चित्रकार को आत्मीयता के साथ बाँधे रहें है।''[1]

उन्होंने उत्तरांचल में कला की गतिविधियों को प्रवाह देने के लिए अथक प्रयास किये। उन्होंने कला धरोहर के संरक्षण तथा प्रतिभाओं को संगठित करने के लिए उत्तरांचल कला परिषद् का गठन किया। उन्होंने सरकार को चित्रकला में चेतना जगाने के लिए अनेक सुझाव दिये, जिसके लिए इन्हें सरकार की ओर से भी सहयोग मिला। देहरादून में पहली प्रदेश स्तरीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिससे युवा

कलाकारों को आगे बढ़ने का अवसर मिल पाया। प्रो. काम्बोज आगरा कॉलेज आगरा में कला विभाग में फैकल्टी ऑफ डीन रहे। प्रो. काम्बोज चित्रकला शिक्षा में आदर्श शिक्षक की भूमिका को हमेशा प्रभावपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि हमारी शिक्षण पद्धति में मोटिवेशन नहीं है, इसी कमजोरी ने कला से जुड़े लोगों को ऐसी छूट प्रदान की, जिससे कि युवा कलाकार सीखने की उम्र में अवार्ड प्राप्त करने के सपने देखने लगते हैं। वे मानते थे कि मूल लक्ष्य से अलग होकर श्रेष्ठता को प्राप्त करना असम्भव ही है। युवाओं का समय से पहले अधिक महत्वकांक्षी होना कला के क्षेत्र के लिए लाभप्रद नहीं है। वे कहते थे कि आधुनिक कला शैली से कलाकार प्रभावित है और कुछ नया करने की ललक में निरंतर परिवर्तन आम हो गया है। युवा कलाकार टैक्सचर, रंग की तानों से नित नये प्रयोग कर सृजन कर रहे हैं। इनके शिष्यों में डॉ. मधु जैन, प्रो. मंजुला चतुर्वेदी प्रमुख रही हैं। उन्होंने कला के मूल्यों को बारीकी से समझा हैं। प्रो. काम्बोज ने विभिन्न अखिल भारतीय प्रकृति और वातावरण पर आधारित कला प्रदर्शनियों में भाग लिया। उन्होंने बहुत सी कार्यशालाओं, कला कैम्प तथा सेमिनार में प्रतिभाग कर अपनी सक्रियता दर्ज कराई। उनके चित्र संग्रह भारत तथा विदेशों में प्रदर्शित हुए। साथ ही साथ ललित कला अकादमी तथा आधुनिक कला वीथिका नई दिल्ली में भी प्रदर्शित होते रहे हैं। उनके कार्य की समय-समय पर समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रसंशा होती रही है। इनके लेख कई कला पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। प्रो. काम्बोज लक्ष्मण विद्यालय के अंशकालीन शिक्षक नियुक्त हुए। इनके चित्रण में पहाड़ वृक्ष आदि प्रकृति प्रेम हमेशा ही देखने को मिला है। इनके चित्रों में पूर्णतः यथार्थ न होकर अन्तर्मन की अभिव्यक्ति के रूप स्पष्ट दिखाई देते हैं। दीवार पर टंगे फ्रेम, कैनवास पर लकड़ी का टैक्सचर, मुड़े हुए कागज का भ्रम उत्पन्न करना इनके चित्रण में मुख्य प्रभाव रहे हैं। भारतीय लघु चित्रों से प्रभावित होकर कैनवस पर शुद्ध, सपाट रंगों का प्रयोग उनकी कला को अद्‌भुत बनाता है। उनके प्रमुख चित्रों में गंगा विसर्जन, राग भैरव, कृष्णा लुकिंग बाई यमुना, पेपर बोट फाम उत्तराखण्ड, सेल्फ पोट्रेट, मैन एण्ड नेचर, आफ्टर द रिआज आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे हैं। इनके चित्रों को देख दर्शक मन्त्रमुग्ध रह जाते हैं। कला जगत और समाज की निरन्तर साधना करते हुए 11 अक्टूबर सन् 2018 को यह महान कलाकार परम तत्व में विलीन हो गये।

निष्कर्ष- वास्तव में प्रो. भगवती प्रकाश काम्बोज महान व्यक्तित्व व सहज स्वभाव के धनी थे। उन्होंने पूरी उम्र कला के उत्थान के लिए अथक प्रयास किये। उन्होंने अपनी निजी सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया बल्कि कला जगत और समाज सेवा को अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने कला संस्था की स्थापना कर कला को नई पहचान दी। आपके मनोभाव आपके श्रेष्ठ चित्रों के माध्यम से कला जगत को राह दिखाते रहेंगे। आपकी जीवन यात्रा हमें सदैव नित नये सृजन के लिए प्रेरित करती रहेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

- चिन्मय मेहता, 'प्रकृति पर्यावरण एवं समाज से प्रतिबद्ध चित्रकार- काम्बोज' पत्रिका 'क' कला सम्पदा एवं वैचारिकी अंक-10 मई-जून 2004
- प्रो. बी. पी. काम्बोज, अर्ली वॉल पेन्टिंग ऑफ गढवाल
- समाचार पत्रे

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 39, Hindi Edition, Year-20, July- Dec. 2023

भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रति सेवारत शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन

•धीरज कुमार नामदेव

सारांश- भोज मुक्त विश्वविद्यालय एक राज्य स्तरीय मुक्त विश्वविद्यालय है तथा शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन कर रहा है। ऐसे में प्रशिक्षणोंपरांत शिक्षक जो सेवारत है, से अपेक्षा कर ली जाती है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात सीखने-सीखाने का स्थानांतरण विद्यार्थियों में उचित प्रक्रिया से हो रहा होगा। यही जानने हेतु सेवारत शिक्षकों की भोज मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रति, प्रतिक्रियाओं को जानने की आवश्यकता महसूस हुई। भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रति सेवारत शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं के अध्ययन हेतु शोधार्थी द्वारा विभिन्न न्यादर्शो एवं शोध उपकरण (प्रश्नावली, साक्षात्कार, उपलब्धि परीक्षण) के माध्यम से प्रदत्तों का संकलन किया गया। प्रदत्तों के विश्लेषण एवं व्याख्या उपरांत यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि भोज मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षक-प्रशिक्षण के सापेक्ष पाठ्यक्रम का स्तर उच्च रहता है तथा शिक्षण प्रशिक्षण प्रभावी है। प्रशिक्षणोपरांत मूलभूत शिक्षण-कौशल का विकास होता है।

मुख्य शब्द - मुक्त विश्वविद्यालय, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेवारत शिक्षक, प्रतिक्रिया

प्रस्तावना- शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विधा की प्राप्ति आदि समाविष्ट है, इस प्रकार यह कौशलो व्यापारों या व्यवसायों एवं मानसिक, नैतिक और सौंदर्य विषयक उत्कर्ष पर केन्द्रित है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वभाविक और सामंजस्य पूर्ण विकास में सहयोग देती है। शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, संवेगात्मक तथा अध्यात्मिक शक्तियों का विकास करती है। शिक्षा समाज की एक पीढ़ी द्वारा अपने से आगे की पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। शिक्षा के द्वारा ही समाज अपनी संस्कृति की रक्षा करता है, और सभ्यता के रथ को आगे बढ़ाता है। " शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए।"- डॉ. राधाकृष्णन[1]

• **शोधार्थी, शिक्षा शास्त्र, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा म.प्र.**

छात्रों में उचित ज्ञान एवं कौशल संप्रेषित करने हेतु शिक्षक का दक्ष होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने अर्जित ज्ञान, कौशल एवं अनुभवों को बालकों के अधिगम हेतु उन पर प्रक्षेपित कर सकें। और यह केवल शिक्षक-प्रशिक्षण के द्वारा ही संभव है। क्रो एण्ड क्रो ने प्रशिक्षण स्थानांतरण की परिभाषा को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है, "सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का तथा सोचने, अनुभव करने और कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणता प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहा जाता है।"[2]

शासन द्वारा नियमित रूप से सेवापूर्व एवं सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है परंतु ऐसे शिक्षक जो नियमित रूप से शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने में असमर्थ है उनके लिये मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। भारतीय संसद अधिनियम 1985 के द्वारा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है। जिसके अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे है। उसी तारतम्य में विभिन्न राज्यों में मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने लगे। म.प्र. में भी भोज मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1991 में की गयी जिसके अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रम के साथ शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम डी.एड., बी.एड., एम.एड. कार्यक्रम संचालित किये गये जो वर्तमान में चल रहे है।

शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की श्रृंखला में ही भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा सेवारत शिक्षकों हेतु डी.एड. एवं बी.एड. जैसे महत्वपूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है। चूँकि यह नियमित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है बल्कि निर्धारित दिवसों में संपर्क कार्यक्रम होता है जो केवल सेवारत शिक्षकों के लिए होता है। इसलिए शोधार्थी को भोजमुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रति सेवारत शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने हेतु आवश्यकता महसूस हुई तथा प्रस्तावित विषय को चयनित किया गया है। शोध शीर्षक में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण -

1.मुक्त विश्वविद्यालय- ऐसे विश्वविद्यालय जो दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किये जाते है।

2. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम- शिक्षकों के ज्ञान, कौशल, दक्षता, व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने तथा कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु दिया जाने वाला प्रशिक्षण।

3.सेवारत शिक्षक- ऐसे शिक्षक जो किसी निजी या शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रहे हैं।

4.प्रतिक्रिया- एक बयान या कथन जो एक प्रश्न या अनुरोध या आलोचना या आरोप का उत्तर देने के लिये किया जाता है।

शोध की आवश्यकता- सामान्यत: सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से शैक्षणिक व्यवस्था में सेवारत शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता को मजबूत करने के लिए भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते है। जिसके द्वारा शिक्षण कार्य को सहज एवं बोधगम्य बनाने हेतु शिक्षकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना आवश्यक है।

चूंकि भोज मुक्त विश्वविद्यालय एक राज्य स्तरीय मुक्त विश्वविद्यालय है तथा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित कर रहा है ऐसे में जो सेवारत शिक्षक इस विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है या प्राप्त कर चुके है। उनसे प्रशिक्षणोंपरांत, शिक्षण कौशल, ज्ञान एवं अनुभव में दक्षता की अपेक्षा कर ली जाती है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात सीखने का स्थानांतरण विद्यार्थियों में हो रहा है या नही। यदि हो रहा है तो वह सकारात्मक है या नकारात्मक। ऐसे में सेवारत शिक्षकों की भोज मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रति प्रतिक्रियाओं को जानने की आवश्यकता महसूस हुई और इस शोध समस्या का चयन किया गया।

शोध का महत्व- प्रत्येक शोध कार्य का अपना महत्व है। भोज मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकांश शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करते है जिस कारण प्रशिक्षण की गुणवत्ता जानने सेवारत शिक्षकों की प्रतिक्रियाएं जानना महत्वपूर्ण है। इस शोध कार्य के निम्नलिखित महत्व है-

1. पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
2. शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम की जानकारी के उपरांत पाठ्यक्रम में सुधार व नवाचार हेतु सुझाव दिया जा सकेगा।
3. शिक्षकों के शिक्षण कौशल एवं तकनीक की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

शोध उद्देश्य- शैक्षिक अनुसंधान समस्या के साथ ही उद्देश्य परक हो जाते है। इस प्रकार शैक्षिक अनुसंधान समस्याओं के निदान हेतु भावी कार्य योजनाओं के निर्माण हेतु तथा संचालित योजनाओं के मूल्यांकन हेतु निष्पादित किये जाते है। शोध कार्यों की विषय-वस्तु एवं क्षेत्र के अनुसार उनके उद्देश्यों में अंतर हो सकता है। प्रस्तुत शोध कार्य भोज मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रति प्रतिक्रियाओं के बारे में अध्ययन सेवारत शिक्षकों के माध्यम से अवलोकित करना है। अनुसंधान में पूर्व से ही उद्देश्य निहित होते है, परंतु उद्देश्यों की व्यापकता को अध्ययन की दृष्टि से बिन्दुवार पूर्व निर्धारित करना आवश्यक होता है। किये गये शोध कार्य में भोजमुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रति सेवारत शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं के अध्ययन में निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य निर्धारित है-

1. भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के पाठ्यक्रम का अध्ययन करना।
2. भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के शिक्षकों में शिक्षण कौशल का अध्ययन करना।
3. भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रति सेवारत शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना- अनुसंधानकर्ता द्वारा शोध समस्या के चयन के पश्चात शोध उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। उद्देश्यों के निर्धारण पश्चात शोधार्थी द्वारा समस्या का एक अस्थायी समाधान या परीक्षणीय प्रस्ताव के रूप में किया जाता है। इसी परीक्षणीय प्रस्ताव को अनुसंधान की भाषा में परिकल्पना कहा जाता है। संक्षेप में कहा जाता है कि शोध समस्या का एक प्रस्तावित जांचनीय उत्तर ही परिकल्पना है। अनुसंधान

कार्य परिकल्पना के निर्माण और परीक्षण के बीच की प्रक्रिया है। परिकल्पनाएं अनुसंधान के क्षेत्र में प्रकाश स्तंभ का कार्य करती है। "परिकल्पना किसी सिद्धांत का वह रूप है जिसे एक परीक्षण योग्य तर्क साध्य के रूप में लिखते है और जिसकी स्पष्ट रूप में प्रदत्तों के आधार पर या प्रयोगात्मक निरीक्षणों के आधार पर पुष्टि की जा सकती है।" एम.वर्मा[3]

प्रस्तुत शोध कार्य मे शोधकर्ता ने अपने अनुभव, अध्ययन एवं पूर्ववर्ती शोध कार्य के अध्ययन कर चयनित विषय को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित परिकल्पनाओं को निरूपित किया है-

1. भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का पाठ्यक्रम उच्च स्तरीय है।
2. भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से शिक्षकों में अपेक्षित शिक्षण कौशल का विकास होता है।

शोध का परिसीमन- शोध क्षेत्र की सीमाएं उपलब्ध साधन समय तथा सुविधाएं निश्चित करती है। शोध क्षेत्र के परिसीमन से शोधार्थी को उस भू-भाग के विस्तार निर्धारिण में सहायता प्राप्त होती है। जिसकी निश्चित परिसीमा में समस्या का अध्ययन करना होता है।

1.भौगोलिक परिसीमन- प्रस्तुत शोध कार्य को भोज मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रीवा जिला रीवा की राजस्व परिसीमा तक शोध क्षेत्र को भौगोलिक रूप से परिसीमित किया गया है।

2.विषय वस्तु का परिसीमन- इसके अंतर्गत रीवा जिले के रीवा विकासखण्ड क्षेत्रांतर्गत आने वाले अध्ययन केन्द्र शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रीवा जो भोज मुक्त विश्वविद्यालय के बी.एड. पाठ्यक्रम का एक मात्र अध्ययन केन्द्र को तथा इस केन्द्र के संस्था प्रमुख, प्रशिक्षकों, सेवारत शिक्षकों तक परिसीमित किया गया है।

शोध विधि- अनुसंधान चाहे वह शैक्षिक हो, सामाजिक क्षेत्र से संबंधित हो, प्रयोगात्मक हो, या चिकित्सा आदि क्षेत्रों में होने वाले निदानात्मक अनुसंधान हो। अनुसंधान की सफलता शोध प्रविधि एवं उपकरण पर निर्भर करती है।

प्रस्तुत शोध समस्या "भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रति सेवारत शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन" में चरों की प्रकृति के अनुसार सर्वेक्षण विधि उपयुक्त है।

शोध उपकरण- शोध उपकरण द्वारा शोध अध्ययन के लिए आँकड़ों तथ्यों एवं अन्य जानकारी प्राप्त की जाती है। अनुसंधान उपकरणों का चुनाव अनुसंधान की प्रकृति, समस्या का स्वरूप, अनुसंधान के क्षेत्र, अनुसंधान के उद्देश्य, शुद्धता का स्तर, उपलब्ध धन, समय एवं अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन में तथ्यों को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित शोध उपकरणों का प्रयोग किया गया है-

- सेवारत शिक्षकों से संबंधित प्रश्नावली
- प्रशिक्षक प्रश्नावली
- संस्था प्रमुख प्रश्नावली

न्यादर्श- न्यादर्श का शैक्षिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण स्थान है। न्यादर्श के अभाव में कोई अनुसंधान कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। न्यादर्श एक बहुत बड़े समूह से छोटे समूह के चुने जाने की प्रक्रिया है जबकि छोटा समूह "न्यादर्श" तथा बड़ा समूह "समग्र" होता है। शोधार्थी द्वारा रीवा जिले के अंतर्गत रीवा विकासखण्ड में भोज मुक्त विश्वविद्यालय के बी.एड. कार्यक्रम हेतु निर्धारित किये गये अध्ययन केन्द्र का चयन किया गया जा रीवा जिले के मुख्यालय में स्थित है। शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रीवा अंतर्गत चयनित न्यादर्श विवरण निम्नानुसार है-

अध्ययन केन्द्र	संस्था प्रमुख	शिक्षक प्रशिक्षक	सेवारत शिक्षक	छात्रों की संख्या
1	2	3	4	5
1	1	10	25	100

पूर्ववर्ती शोध साहित्य का अध्ययन- पूर्ववर्ती शोध कार्यो का अध्ययन से तात्पर्य शोध की समस्या से संबंधित पूर्ववर्ती शोधों के अध्ययन से है, जिनके अध्ययन में शोधकर्ता को शोध कार्य का क्षेत्र तथा उससे संबंधित समस्या का चयन, परिकल्पना का निर्माण, शोधकर्ता की रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिलती है। शोधार्थी द्वारा किये जा रहे विषय पर मूलत: कोई शोध कार्य पूर्व में नही किया परंतु शिक्षकों के संबंध में विभिन्न प्रकार के सेवापूर्व एवं सेवापश्चात शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषय पर शोध कार्य पूर्व में किये जा चुके है। ऐसे पूर्ववर्ती शोध कार्यो के अध्ययन उपरांत प्रस्तुत मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है-
शोध शीर्षक- "विभिन्न सेवाकालीन प्रशिक्षणों के पूर्व एवं पश्च प्रशिक्षणों का अधिगम प्रक्रिया में पड़ने वाले प्रभावों का विशलेषणात्मक अध्ययन " (रीवा विकासखण्ड के विज्ञान विषय के शिक्षकों के संदर्भ में) शोधार्थी - खरे, दीप्ति एम.एड. प्रशिक्षणार्थी (2012-13), शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
शोध उद्देश्य- प्रशिक्षणोपरांत विभिन्न शिक्षण पर प्रभाव डालने वाले विधाओं को प्रभाव ज्ञात करना।
शोध निष्कर्ष- सेवाकालीन प्रशिक्षण में प्रशिक्षणोपरांत शिक्षकों के अधिगम स्तर में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
परिणामों का विशलेषण एवं व्याख्या- प्रदत्तों के संकलन के लिये अनुसंधान उपकरणों का प्रशासन न्यादर्श की इकाईयों पर किया जाता है कोई भी शोध कार्य शोधकर्ता द्वारा सही रूपों में तभी प्रतिविंबित होता है, जब प्राप्त आंकड़ों का क्रमबद्ध सारणीयन तथा वर्गीकरण कर तथ्यात्मक तार्किक एवं सांख्यकीय विवेचना के आधार पर पुष्टि हो सके।

तालिका क्र. 01

स.क्र.	जानकारी संकलन के स्त्रोत	न्यादर्श संख्या	संगत प्रश्न	भोजमुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यक्रम (बी.एड.) के स्तर का अध्ययन					
				उच्च		सामान्य		निम्न	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	प्राचार्य	1	15	-	-	1	100	-	-
2	प्रशिक्षक	10	18, 19	6	60	4	40	-	-
3	सेवारत शिक्षक	25	1, 2, 3, 4, 5	21	84	4	16	-	-
	योग	30		27	75	09	25	-	-

विशलेषण- उपरोक्त तालिका क्र. 1 में भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षणों के कार्यक्रमों की शैक्षिक गुणवत्ता के लिये समुचित जानकारी तथा अध्ययन केन्द्रों के संचालन में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने हेतु निर्मित किया गया है। जिसमें तथ्यों की जानकारी स्वयं शोधार्थी द्वारा संदर्भित न्यादर्श के संस्था प्रमुख, प्रशिक्षक शिक्षक एवं सेवारत शिक्षक से प्राप्त कर उससे विश्लेषण किया गया है।

विषलेषित तथ्यों के संदर्भ में 60 प्रतिशत शिक्षक तथा 84 प्रतिशत सेवारत शिक्षक का यह मानना है कि अध्ययन केन्द्रों में जानकारी एवं पाठ्यक्रम का स्तर उच्च रहता है जबकि 100 प्रतिशत संस्था प्रमुख, 40 प्रतिशत प्रशिक्षकों एवं 20 प्रतिशत सेवारत शिक्षकों का यह मत है कि अध्ययन केन्द्रों में उक्त तथ्यों का स्तर आंशिक पर्याप्त या सामान्य स्तर का रहता है।

जानकारी संकलन के समस्त स्त्रोतो के कुल न्यादर्श संख्या में से 75 प्रतिशत के मतानुसार भोज मुक्त विश्वविद्यालय का शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का पाठ्यक्रम का स्तर उच्च रहता है। जबकि 25 प्रतिशत के मतानुसार पाठ्यक्रम का स्तर सामान्य है।

व्याख्या- उपरोक्त विश्लेषित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्र के न्यादर्श में चयनित संस्था प्रमुख तथा अधिकांश सेवारत शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं में भोज मु.वि.वि. के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के पाठ्यक्रम का स्तर उच्च है।

आरेख क्रमांक-01

भोजमुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यक्रम (बी.एड.) के स्तर का अध्ययन

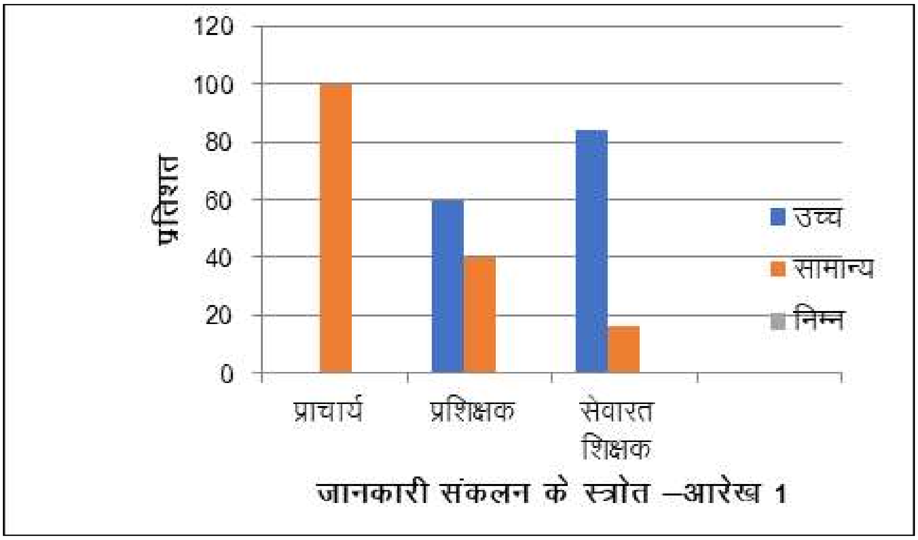

तालिका क्र. 02

स.क्र.	जनकारी संकलन के स्त्रोत	न्यादर्श संख्या	संगत प्रश्न	भोजमुक्त वि श्वविद्यालय द्वारा संचालित ि शक्षक प्रि शक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण कौशलों के विकास एवं इंटर्नशिप के संबंध में अध्ययन					
				उच्च		सामान्य		निम्न	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	प्राचार्य	1	7, 16	–	–	1	100	–	–
2	प्रशिक्षक	10	7, 16	4	40	6	60	–	–
3	सेवारत शिक्षक	25	6,7,8,9	19	76	6	24	–	–
	योग	36		23	63.9	13	36.1	–	–

विश्लेषण- उपरोक्त तालिका क्र. 2 में भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षणों के कार्यक्रमों के अंतर्गत शिक्षण कौशलों के विकास एवं इंटर्नशिप के प्रभाव का स्तर जानने प्रतिक्रयाओं का अध्ययन किया गया है। जिसमें तथ्यों की जानकारी स्वयं शोधार्थी द्वारा संदर्भित न्यादर्श के संस्था प्रमुख, प्रशिक्षक शिक्षक एवं सेवारत शिक्षक से प्राप्त कर उससे विश्लेषण किया गया है।

विश्लेषित तथ्यों के आधार पर 40 प्रतिशत प्रशिक्षकों तथा 76 प्रतिशत सेवारत शिक्षकों के मतानुसार अध्ययन केन्द्रों में शिक्षण कौशल एवं इंटर्नशिप का प्रभाव सामान्य रहता है। जबकि 100 प्रतिशत संस्था प्रमुख 60 प्रतिशत शिक्षक तथा 24 प्रतिशत सेवारत शिक्षकों का यह मानना है कि शिक्षण कौशल एवं इंटर्नशिप का स्तर सामान्य रहता है। जानकारी संकलन के समस्त स्त्रोतो के कुल न्यादर्श संख्या में से 63.9 प्रतिशत के मतानुसार भोज मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण कौशल एवं इंटर्नशिप का स्तर उच्च रहता है। जबकि 36.1 प्रतिशत के मतानुसार शिक्षण कौशल एवं इंटर्नशिप का स्तर सामान्य रहता है।

व्याख्या– उपरोक्त विश्लेषित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्र के न्यादर्श में चयनित संस्था प्रमुख प्रशिक्षकों तथा अधिकांश सेवारत शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं में भोज मु.वि. वि. के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत शिक्षण कौशल एवं इंटर्नशिप का स्तर उच्च है।

आरेख क्रमांक-02

भोजमुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण कौशलों के विकास एवं इंटर्नशिप के संबंध में अध्ययन

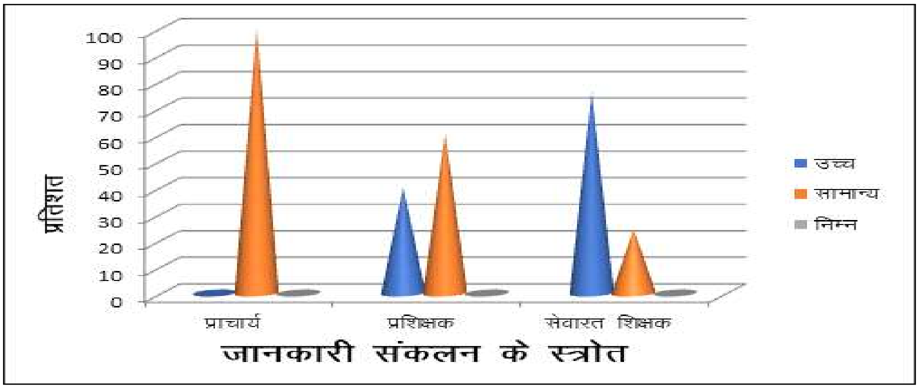

परिकल्पनाओं का सत्यापन एवं निरसन-

परिकल्पना क्रमांक 01- "भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का पाठ्यक्रम उच्च स्तरीय है।"

उक्त परिकल्पना के संदर्भ में तालिका क्रमांक 1 के संगत तथ्यों के विशलेषण उपरांत की गई व्याख्या से स्पष्ट है कि शोध क्षेत्र में चयनित न्यादर्श के अभिमत के आधार पर उनके द्वारा अध्ययनरत पाठ्यक्रम का स्तर उच्च रहता है। अतः शोधार्थी की उक्त परिकल्पना सत्यापित होती है।

परिकल्पना क्रमांक 02- "भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से शिक्षकों में अपेक्षित शिक्षण कौशल का विकास होता है।"

उक्त परिकल्पना के संदर्भ में तालिका क्रमांक 2 के संगत तथ्यों के विश्लेषण उपरांत की गई व्याख्या से स्पष्ट है कि शोध क्षेत्र में चयनित न्यादर्श के अभिमत के आधार पर उनके द्वारा अध्ययनरत पाठ्यक्रम का स्तर उच्च रहता है। अतः शोधार्थी की उक्त परिकल्पना सत्यापित होती है।

निष्कर्ष- शासकीय शिक्षा महाविद्यालय अध्ययन केन्द्र अंतर्गत भोजमुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रति सेवारत शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं के अध्ययन हेतु निर्मित उपकरणों प्रश्नावली (सेवारत शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं संस्था प्रमुखों हेतु) को विभिन्न स्त्रोतो के उपरांत प्रदत्तों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीय, विश्लेषण एवं व्याख्या की गई है। प्रदत्तों के विश्लेषण उपरांत की गई व्याख्या के आधार पर परिकल्पनाओं को सत्यापित अथवा निरसित करते हुए अंतिम निष्कर्षो को निम्नानुसार तथ्यांकित किया जा रहा है-

1. शोध क्षेत्र में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शैक्षिक गुणवत्ता के लिये समुचित जानकारी एवं अध्ययन केन्द्र का सहयोगात्मक व्यवहार पाया गया है।
2. भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिक्षण कार्यक्रम के सापेक्ष निधारित पाठ्यक्रम का स्तर उच्च पाया गया।
3. संस्था प्रमुख प्रशिक्षकों एवं सेवारत शिक्षकों के मतानुसार शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की प्रतिपूर्ति निर्धारित अवधि में पाई जाती है।
4. शोध क्षेत्र में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत शिक्षकों में शिक्षण कौशल का उचित विकास पाया गया है।

सुझााव- "भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रति सेवारत शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं के अध्ययन " प्रस्तुत शोध समस्याअ के शोध कार्य के निष्पादन उपरांत प्राप्त अंतिम सम्प्रातियों तथा निष्कर्षों के आधार पर निम्नानुसार सुझाव प्रस्तुत किये है-

- सामान्यतः सेवारत शिक्षकों में शिक्षण कौशलों का विकास होता है परंतु शिक्षण कौशल को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षकों को उनके स्वयं का विद्यालय निर्धारित न कर अध्ययन केन्द्र द्वारा निर्धारित संस्था में भेजा जाना अपेक्षित है।
- जानकारी संकलन के अधिकांश स्त्रोतो के मतानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्धारित अवधि पर्याप्त है परंतु पाठ्यक्रम के संपूर्ण जानकारी एवं शिक्षण

कौशल में वृद्धि हेतु संपर्क कार्यक्रम की अवधि में वृद्धि किया जाना अपेक्षित है।

- सामान्यत: प्रशिक्षण के दौरान सेवारत शिक्षकों के पाठ्यवस्तु संबंधी अभिलेखों की जांच एवं मूल्यांकन पाया गया है परंतु मूल्यांकन को व्यापक बनाया जाना अपेक्षित है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. मदान पूनम 2015-16 अंतिम संस्करण 'शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार' पृष्ठ संख्या 910 अग्रवाल प्रकाशन -28/115 ज्योति ब्लॉक, संजय पैलेस, आगरा -2
2. मंगल एस.के. 2016 संस्करण 'शिक्षा मनोविज्ञान' पृष्ठ संख्या 281 प्रकाशक अशोके के. घोष पीएचआई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड रिमझिम हाउस 111 प्रतापगंज दिल्ली
3. शर्मा आर.ए. 2008 संस्करण शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया, पृष्ठ संख्या 174 प्रकाशक विनय रखेजा आर.लाल बुक डिपो बेगम बृजरोड मेरठ

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 39, Hindi Edition, Year-20, July- Dec. 2023

प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 'डी' एवं 'ई' ग्रेड छात्रो की शैक्षिक उपलब्धि पर उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के प्रभाव का अध्ययन

• राश्मि तिवारी

सारांश- समाजिक संरचनाये तथा उसकी आवश्यकताये निरंतर परिवर्तित हो रही है ऐसे बदलते परिवेश में छात्रो की शैक्षिक उपलब्धि पर समाज तथा उसका स्तर अपना प्रभाव डलता है। शोधार्थी को अध्यापन कार्य करते समय यह अनुभव हुआ की छात्रो की शैक्षिक उपलब्धि उनके अभिभावको की सामाजिक परिस्थिति से काफी प्रभावित होती है अतः इस पर शोध अध्ययन की आवश्यकता है जिससे विद्यालयों में D एवं E ग्रेड छात्रो की शैक्षिक उपलब्धि पर उनके समाजिक पृष्ठभूमि के प्रभाव का अध्ययन कर उनकी समस्या के समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाये जा सके।

मुख्य शब्द - छात्र, शैक्षिक उपलब्धि, सामाजिक पृष्ठभूमि

प्रस्तावना- मानव सभ्यता के विकास से लेकर अब तक मनुष्यों के लिए शिक्षा का अभिप्राय यही होता है कि यह प्रकाश का स्रोत है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रो में हमारा मार्गदर्शन करती है।

"शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किये बिना शिक्षा अनुर्वर और अपूर्ण है।" – रविन्द्रनाथ टैगोर

सामान्य विद्यालयों में छात्र विभिन्न समाजिक पृष्ठ भूमि से आते है। जिससे इनकी शैक्षिक उपलब्धि का स्तर भी भिन्न-भिन्न होता है। कम बुद्धिलब्धि तथा वातावरण जनित पिछड़ेपन के कारण एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम एसे छात्रो को बोझिल लगने लगता है, जिससे इनमें अरूचि का भाव पैदा होने लगता है ऐसे D एवं E ग्रेड छात्रों की पहचान कर उनकी समाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन कर उनकी शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने का प्रयास करना ही शोधार्थी का उद्देश्य है।

उद्देश्य- प्रस्तुत शोध समस्या के समाधान हेतु शोधार्थी द्वारा शोध के उद्देश्य निर्धारित किये गये है। जो निम्नलिखित है।

1. शोध क्षेत्र के विद्यालयों में D एवं E ग्रेड छात्रो की समाजिक स्थिति का अध्ययन करना।

• **शोधार्थी, शिक्षा, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)**

2. ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों के D एवं E ग्रेड छात्रो के समाजिक स्तर की तुलना करना।

परिकल्पना-

1. शोध क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत D एवं E ग्रेड के अधिकांश छात्रों का समाजिक स्तर निम्न है।
2. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो के विद्यालयो के D एवं E ग्रेड छात्रों के समाजिक स्तर में कोई सार्थक अंतर नही है।

शोध प्रविधि

1. सर्वेक्षण विधि
2. अवलोकन विधि
3. अभिलेख अध्ययन विधि
4. सांख्यिकी विधि
5. प्रस्तुत शोधकार्य रीवा जिले के रीवा विकासखण्ड के दो ग्रामीण एवं दो शहरी प्राथमिक शासकीय विद्यालय में किया गया।
6. 100 छात्र-छात्राओं की सामाजिक स्थिति का अध्ययन शोधकार्य हेतु किया गया।
7. शोध उपकरण प्रश्नावाली एवं साक्षात्कार।

ऑकड़ो का विश्लेषण एवं व्याख्या -

सारणी क्रमांक - 1.1
शोध क्षेत्र के विद्यालय में अध्ययनरत
D एवं E ग्रेड छात्रो के सामाजिक स्तर का अध्ययन

स क्र	जानकारी संकलन के स्त्रोत	न्यादर्श संख्या	विद्यालय अध्ययनरत D एवं E ग्रेड छात्रो का समाजिक स्तर			
			उच्च है		निम्न है	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	संस्था प्रमुख	4	01	25.00	03	75.00
2.	शिक्षक	10	02	20.00	08	80.00
3.	अभिभावक	40	18	45.00	22	55.00
4	छात्र	100	40	40.00	60	60.00
	योग	154	61	32.00	93	68.00

विश्लेशण एवं व्याख्या- उपरोक्त सारणी 1.1 में शोध क्षेत्र के विद्यालय में अध्ययनरत D एवं E ग्रेड छात्रो के सामाजिक स्तर के संबंध में तथ्य संकलित किये गये है। सारणी से स्पष्ट है कि 25 प्रतिशत संख्या प्रमुख 20 प्रतिशत शिक्षक 45 प्रतिशत अभिभवाक एवं 40 प्रतिशत छात्रो का अभिमत है कि शोध क्षेत्र के विद्यालय में D एवं E ग्रेड छात्रो का सामाजिक स्तर उच्च है। जबकि 75 प्रतिशत संस्था प्रमुख 80 प्रतिशत शिक्षक 55 प्रतिशत अभिभावक एवं 60 प्रतिशत छात्रो का अभिमत है कि सामाजिक स्तर निम्न है। इस प्रकार न्यादर्श में चयनित 68.00 प्रतिशत अभिमतदाताओं का अभियम है कि शोध क्षेत्र में अध्ययनरत D एवं E ग्रेड छात्रो का सामाजिक स्तर निम्न है।

सारणी क्रमांक 1.2

ग्रामीण विद्यालयों के D एवं E ग्रेड छात्रो के सामाजिक स्तर का अध्ययन

वर्गान्तर	आवृति
0–10	08
10–20	14
20–30	25
30–40	02
40–50	01

सारणी क्रमांक - 1.3

शहरी विद्यालयों के D एवं E छात्रों के सामाजिक स्तर का अध्ययन

वर्गान्तर	आवृत्रि
0–10	7
10–20	16
20–30	22
30–40	3
40–50	2

सारणी क्रमांक 1.4

ग्रामीण विद्यालयो के D एवं E ग्रेड छात्रो

के सामाजिक स्तर का सांख्यकीय विश्लेषण

प्राप्तांको का	आवृत्ति	मध्य	विचलन		
अन्तराल	(F)	बिन्दु	D = 2 – AM I	Fd	Fd^2
(C.1)		(X)			
0-10	8	5	-2	-16	32
10-20	14	15	-1	-14	14
20-30	25	25	0	0	0
30-40	2	35	1	2	2
40-50	1	45	2	2	4
योग	$\sum F$ =			$\sum Fd$=	$\sum Fd^2$ =
	Ni =			-26	52
	50				

सार्थकता

Am= 25, i= 10

Mean $M^1 = Am + \frac{\sum fd}{\sum f} * i$

Where

Am=Average mean, f= frequency

d= deviation N= Number of student

$= 25 + \frac{(-26)}{50} * 10$

=25-5.20

=19.80

मानक विचलन (S.D)

$\sigma_1 = \frac{i}{N_1} \sqrt{N_1 X \sum fd^2 - (\sum fd)^2}$

$= \frac{10}{50} \sqrt{50 \times 52 - (-26)^2}$

$= \frac{1}{5} \sqrt{2600 - 676}$

$= \frac{1}{5} \sqrt{1924}$

$= \frac{1}{5} \times 43.86$

$= \frac{43.86}{5}$

$\sigma_1 = 8.77$

मानक विचलन (S.D) =

$\sigma_2 = \frac{i}{N_1} \sqrt{N_1 X \sum fd^2 - (\sum fd)^2}$

$= \frac{10}{50} \sqrt{50 \times 55 - (-23)^2}$

$= \frac{1}{5} \sqrt{2750 - 529}$

$= \frac{1}{5} \sqrt{2,221}$

$= \frac{1}{5} \times 47.12$

$= \frac{47.12}{5}$

$\sigma_2 = 9.43$

S.'T' Test 1

$T = \frac{|M_1 - M_2|}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{N_1} + \frac{\sigma_2^2}{N_2}}}$

$T = \frac{|19.80 - 20.40|}{\sqrt{\frac{(8.77)^2}{50} + \frac{(9.43)^2}{50}}}$

$$T = \frac{-0.60}{\sqrt{\frac{76.96}{50} + \frac{88.84}{50}}}$$

$$T = \frac{-0.60}{\sqrt{1.53 + 1.77}}$$

$$T = \frac{-0.60}{\sqrt{3.3}} = \frac{-0.60}{1.81} = -\ 0.33$$

सार्थकता हेतु सारणी

समूह	संख्या	माध्य	मनक विचलन	क्रांतिक अनुपात (T)
ग्रामीण	50	19.80	8.77	
शहरी	50	20.40	9.43	– 0.33

D.F = (50 – 1) + (50 – 1) = 49+ 49 = 98

विश्लेषण- सारणी क्र. 1.2 में न्यादर्श में ग्रामीण विद्यालयो के D एवं E ग्रेड छात्रो के सामाजिक स्तर से संबधित प्रदत संकलित है। सारणी 1.4 में संकलित प्रदतो का सांख्यकी विश्लेषण में स्पष्ट है कि ग्रामीण विद्यालयों के D एवं E ग्रेड छात्रो के सामाजिक स्तर में सार्थकता का औसत उपलब्धि 19.50 है तथा मानव विचलन 8.77 है।

सारणी क्रमांक 1.3 में न्यादर्श में शहरी विद्यालयों के D एवं E ग्रेड छात्रो के सामाजिक स्तर में संबंधित प्रस्त संकलित है सारणें 1.5 में संकलित प्रस्तो का सांख्यिकी विश्लेषण से स्पष्ट है कि शहरी विद्यालयों के D एवं E ग्रेड छात्रो के सामाजिक स्तर में सार्थकता का औसत उपलब्धि 20.40 तथा मानक विचलन 9.43 है।

व्याख्या- 98 D.F. पर सार्थकता के लिये 'ज' का मानक मान 0.01 विश्वास स्तर पर 2.60 तथा 0.05 विश्वास स्तर पर 1.97 है जब कि अध्ययन से प्राप्त 'ज' का मान –0.33 है जो कि दोनो विश्वास स्तरो के मानो से कम है। अतः ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयो के D एवं E ग्रेड छात्रो के सामाजिक स्तर में कोई सार्थक अन्तर नही है।

शोध निष्कर्ष-

1. शोध क्षेत्र के 63.00 प्रतिशत अभिमत दाताओं का अभिमत है कि विद्यालय में अध्ययनरत D एवं E ग्रेड छात्रो का सामाजिक स्तर निम्न है।
2. ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों के D एवं E ग्रेड छात्रो के सामाजिक स्तर में कोई सार्थक अन्तर नही है।

सुझाव-

1. शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिये विद्यालय तथा समाज दोनो को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करने प्रयास करने चाहिये।
2. शिक्षको की कमी वाले विद्यालयो के अतिथि शिक्षकों से काम न चला करके नियमित प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. पाण्डेय, रामशकल, शिक्षा की दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि
2. भटनागर आर.पी., शैक्षिक अनुसंधान
3. अग्रवाल जे.सी., शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबन्ध

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 39, Hindi Edition, Year-20, July- Dec. 2023

ख्याल की फिकरा बंद शैली में रीवा घराने का महत्त्व

• दीपिका तिवारी

सारांश- आज वर्तमान में हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत ख्याल गायन प्रचलित और लोकप्रिय है। ख्याल गायन की प्रस्तुति में मुसलमानी संस्कृत का कौल, कलवाना, कव्वाली, नक्श, गुल, तराना इन शब्दावलियों का ज्ञान, स्वर लगाने की भिन्न - भिन्न शैलियां तथा सारे उत्तर भारत में ख्याल गायन शैली के घरानों का विकास ही संक्षिप्त रूप में फिकरा बंद गायन शैली का विशेष महत्व है। ख्याल गायन शैली के इतिहास पर दृष्टिपात किया जाए तो इस गायन की प्रस्तुति करने वालों का मूल इतिहास कव्वाल बच्चों के घराने से है और इसका मूल केंद्र दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन की कव्वाली परंपरा अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिस्ती का महफ़िल खाना यहीं दो प्रमुख स्थान है, जहां कव्वाल बच्चों के घरानों की महफ़िल लगा करती थी। अरबी, फारसी, ईरानी भाषा के साहित्यों का यहां प्रचलन था। उर्दू, फारसी, अरबी, जुबान बोल चाल में प्रयोग किया जाता था। संगीतकार का उद्देश्य रब की खुशामदी करना होता था। संगीत कारों का प्राकृतिक गुण हरफन मौला होता है जो यहां के संगीत कारों में भी दिखता है। सितार, सारंगी, तबला हसरत अमीर खुसरो के माध्यम से यहां प्रचारित किया गया ढोल, नक्कारा, शहनाई, का प्रचलन था। संगीत खुदा की इबादत का सशक्त माध्यम बन गया था।

मुख्य शब्द - कोल, कालवाना, कव्वाली, नक्श, गुल, तराना, शरीयत, तरीक़त, हकीक़त, मार्फत, मनकवत, रूबाई, सिलसिला ए मोहब्बत, कलाम ए इश्क, नात, सलाम, हम्द, पद, कीर्तन, प्रबंध, जेंटा, जावलि

शोध प्रविधि- संगीत विषय के शोध प्रविधि में किस विधि को अपनाया जाय और किस तरह उसका उपयोग शोध पत्र में शोध पत्र की प्रविधि लिखते वक्त अपनाई जाय इसमें विषय के गुण विशेष, उप विषय की प्रवित्त या प्रकृति के अध्ययन से यह पता चलता है कि इसमें साक्ष्य संग्रहण, पुस्तकीय अध्ययन, एतिहासिक अध्ययन तथा रीवा की पुरातात्विक सांगीतिक, सांस्कृतिक, श्रोत को ध्यान रखते हुए वर्णनात्मक विधि का अपनाया जाना आवश्यक है जिससे विषय विंदु को प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किया जा सके।

प्रस्तावना- ख्याल गायन में गायन शैली की अपनी विशेष परंपरागत विकास, रीवा में जो विकसित हुआ उसमें फिकरा बंद का परिचय जानना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। ख्याल की

• रिसर्च स्कॉलर, म्यूजिक, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र)

सोच में अल्लाह का ख्याल और इसकी रियाज़त में नसूत, ख बे हिजबाना दरा अज़दरे कशान ये मा, के कसे नेश्त वजुज़, दर्दे तो दर खान – ए दू मा , अर्थात् रूह से रब का पर्दा आज इसी दर में खुल जाए कल हमारा वजूद मिटने ही वाला है इस दर खाने से शेर का यही मूलतः भावार्थ है।

इसके लिए मनकवत, रूबाई, सिलसिला ए मोहब्बत, कलाम- ए- इश्क इत्यादि उर्दू साहित्य के रूप में विकसित कर हिन्दी, उर्दू, अरबी का नया रूप विकसित किया गया। मकाम-ए- सरियत, तरीक़त, हकीक़त, मारफत इत्यादि को ध्यान में रखकर रीवा की ख्याल गायन शैली में अल्लाह की फिकर करते हुए फिकरा बंद शैली में ख्याल गायन की परंपरा रीवा के उस्तादों में काफी प्रचलित रही है। यह 18 वीं शताब्दी का विकास 19 वीं शताब्दी तक प्रकाश में रहा जो मध्य समयावधि में रीवा खास में कुछ कमजोर सा हो गया। अब जनता नए सिरे से जागरूक होकर घराने को तथा यहाँ की शैली को समझना चाहती है। जो कि संस्कृति एवं संगीत के विकास में आवश्यक है।

विश्लेषण- ख्याल की फिकरा बंद शैली में रीवा खास का विश्लेषण भाषिक रूप में इस प्रकार है

फिकरा- इसकी मूलतः भाषा फारसी कहीं जाती है। फिक्र का मतलब चिंता (सोच) से है, वह चिंता ईश्वर के लिए है अर्थात संगीत के माध्यम से ईश्वर की चिंता करना मनन करना, इबादत करना फिकरा कहलाता है।

बंद - नियमानुसार छन्द बद्ध लाईनें (दो या चार) लाईन में होना बंद कहलाता है और इन्हीं लाईनों को भाषात्मक रूप में फिकरा कहा गया है।

बंदी- वह इंसान जो नियमानुसार बंधा है उसे बंदी कहते हैं अर्थात संगीत के परिपेक्ष्य में इन शब्दों का भावात्मक अर्थ समझना भी आवश्यक है। जो कि उपरोक्त वर्णन से संगीत पक्ष में इन शब्दावलियों का प्रायोगिक रूप इस गायन शैली को साधने के लिए रीवा में प्रयोग किया जाता रहा है। ख्याल की गायन शैली में सूफिज्म सोच की ट्रेनिंग मुस्लिम का दिल से दिल, मन से मन, स्वांस से स्वांस की अनुभूति, हृदय की गति, भावना की गति को प्रभावित करता है। यही ख्याल गायन शैली का विशेष वैज्ञानिक तत्थ्य है।

विषय का वृहद अध्ययन- घराना संस्कृत के गृह, प्राकृत के गरह तथा बांग्ला एवं हिन्दी के घर शब्द का पर्याय है। इसी को हम परिवार या वंश कह सकते हैं। वंश शब्द का अर्थ भी व्यापक है। वंश शब्द से अभिप्राय सिर्फ कन्या – पुत्र ही नहीं यहाँ परंपरा भी विशेष है।

घराने का मूलतत्व गायन पद्धति की विशेष शैली है। कहीं पर गायन की बानी मात्र से घराना पहचाना जाता है। और कहीं- कहीं सुर लगाने के विशेष तरीके से घराना पहचान जाता है। राग से एवं तालों के प्रकाश- भंगी- वैचित्र से ही घरानों की सृष्टि की है।

प्राचीन काल में संगीत का घरानों से गूढ़ बंधन था। कलाकारों को घराने का समृद्धिवान कलाकार बनने का महत्वपूर्ण साधन मिला। जिसकी लहर वर्तमान में प्रभावशाली रही वर्तमान में कलाकार का परिचय आमुक घराने से दिया जाता है। कलाकारों की गायन की शैली से उनके घराने का अंदाज लगाया जा सकता है। तदुपरांत श्रोता के मुख से स्वयं ही निकलता है कि यह आमुक घराने की गायकी कलाकार गा रहा है।

संगीत में सटीक रास्ता दिखाने का एक ही साधन है घराना। घरानेदार संगीतज्ञों ने अपने कठिन परिश्रम से गुरु द्वारा तालीम लेकर संगीत को जीवित रखा तथा शास्त्रीय संगीत के प्रचार-प्रसार में अपना योगदान दिया।

ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाये तो प्राचीन काल से आज तक संगीत में जितनी उन्नति हुई है उसमे घराना संगीत जगत में एक विशेष स्थान रखता है। संगीत के क्षेत्र में सम्प्रदाय का भी एक महत्त्व होता है। संगीत प्रचलन का प्रमुख साधन संप्रदाय माना जाता है, जैसे भरत संप्रदाय के अनुयानी मतंग, कोहल, दत्तिल हुए थे । वैसे ही प्राचीन काल में शिवमत, ब्रह्मत, भरतमत इत्यादि थे।

इतिहास के पन्ने पलटने से यह दृष्टिगोचर होता है कि प्राचीन काल के गुरु परंपरा से जो चला आ रहा है उसमे असल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए कोई वैचित्र्य भी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है तो वह इस प्रकार है जैसे कोई दो स्वर से गाते थे तो कोई तीन स्वर से तो कोई पांच स्वर से गाते थे। परन्तु परिवर्तन पर ध्यान नहीं देते थे, गाने के नियम में कोई परिवर्तन नहीं होता था केवल शैली में कुछ परिवर्तन होता था।

संगीतज्ञों की मानसिक अवस्था विभिन्न तरह की होती है। सबकी उपज एक जैसी नहीं हो सकती। जैसे नाटक में पाठ सबका अलग-अलग होता है साथ ही सबकी सोच, सोच की अवस्था, मानसिक दृष्टि कलाकार की अलग होती है। उसी प्रकार घराने पर भी लागू होता है, प्रत्येक घराने का गायन अलग होता है, सबकी चिंता, दृष्टि अलग-अलग होती है। इसीलिए अलग-अलग नाम से घराने विभक्त हुए। घराने का प्राथमिक नियम यह होगा कि सृजनात्मक कलाकार एक हों, जो नयी शैली को जन्म दे आगे चलकर वही घराना बनाएगा। शैली बदलने पर नए घराने का अविष्कार होगा।

घराना नाम का असली परिचय मुस्लिम युग से हुआ है। इसके पहले घराना नाम का कोई शब्द नहीं मिलता है। घराने के पहले जो कुछ भी मिला था वह गुरु-शिष्य परंपरा एवं संप्रदाय परिचय है। घराना और संगीत जैसे एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। घरानों के साथ संगीत का ऐसा योगसूत्र है कि एक के बिना दुसरे का अस्तित्व अधूरा है।

18 वीं शताब्दी के पूर्व तक यहां ध्रुपद की परंपरा चलती थी परंपरागत ध्रुपद ही यहां के दरबारों तथा मंदिरों में गाया बजाया जाता था। 18 वीं सदी में महाराजा विश्वनाथ सिंह के शासन काल में कव्वाल बच्चे खॉ के बड़े मूर्धन्य कलाकार जिनका नाम बड़े मुहम्मद खान है, ये ग्वालियर दरबार से नाराज होकर रीवा आ गए थे इनकी मूलतः संगीत शिक्षा की शैली ख्याल परंपरा की थी। इनके बच्चों में भी इन्हीं के ख्याल शिक्षा की परंपरा का प्रभाव था, ये लोग परंपरागत उर्दू, फारसी भाषा के फिकरा बंद ख्याल शैली का प्रयोग करते थे। इस तरह ख्याल शैली में ख्याल के साथ तराना गायन शैली, ख्याल की संगिनी सारंगी तथा सितार का विकास होने लगा। इस प्रकार रीवा की ध्रुपद संगीत पद्धति का इन पर शिक्षागत प्रभाव होने लगा और इनके बड़े लड़के कुतुबली खां ने मौसिकी उल बघेलखंड की शिक्षा पद्धति में ख्याल को एक नया रूप देने के वास्ते अपने पिता बड़े मुहम्मद खान साहब को हैदराबाद जाने का मशवरा दिया और दक्षिण की संगीत पद्धति को ध्रुपद की संगीत पद्धति से योग कर कव्वाल बच्चे खॉ की ख्याल शैली का मिश्रण करते

हुए एक नए शैली का प्रदुर्भाव किया यही रीवा के ख्याल घराने की मूल शिक्षा बनी जो रीवा के ख्याल घराने के रूप में विकसित हुई।

इस गायन शैली के प्रमुख कलाकार कुतुब अली, बाकर अली, मुबारक अली। मुग्लू खां के शिष्यों में करम अली, नज़ीर खां तथा पौत्र दिलावर अली तथा कुछ अफगानी रूबाबी भी इनके शागिर्द थे। रीवा के ख्याल शैली में मूलतः फारसी भाषा का प्रभाव पुराने तरीके से ही दिखता है। बाद के ख्यालों में कुछ हिन्दी अवधी तथा ब्रज का प्रयोग हुआ है। अब हम फारसी की इस रचना को प्रस्तुत करते हैं जिसमे रब की ख्याल कल्पना विस्तार की गई है जैसे –

या इलाही ई दिलम रा शौक दिह ।। लज़ते अज़शौकी खासो जौक दिह ।।461।।

(हे अकाल पुरुष, मेरे मन को साची प्रीत का उत्साह दे, उस प्रीत से पूर्ण आनंद प्रदान कर।)

ता ब – यादत बिगुज़रद रूजो शबम ।। दिह रिहाई बंदा रा अज बंदिगम ।।462।।

(ताकि मेरा दिन रात तेरी ही याद में गुज़रे, दास को दुरूख कलेश के बंधनों से मुक्ति बखश।)

दौलते आं दिह वि बाशद पाइदार । सुहबते आं दिह कि बाशद गमगुसार ।।463।।

(वह धन बक्श जो सदैव स्थिर रहे, वह संगत बक्श जो कलेशों का नाश करे।)

नीयते आं दिह कि बाशद हक्क गुज़ार । हिमते आं दिह की बाशद जां निस्तार।।464।।

(वह नीयत बख़्श जो हरी के ध्यान की ओर ले जावे, वह हिम्मत बक्श तांकी जान वार सकूं।)

हर चिह दारद दर रहित कुरवां कुनद । जाने दिल कुरवां रहि सुबहा कुनद ।।465।।

(जो कुछ भी पास है, वह तेरे राह पे वार दूं और दिल जान तेरे प्यारों में कुर्बान कर दूं।)

दीदा अमरा लजूजति दीदार बखश । सीना – अमरा मखज़नि असरार बख़्श ।।466।।

(मेरे नेत्रों को दर्शनों का आनंद बक्श और मेरे ह्रदय में भेदों का ख़ज़ाना भाव अनुभवी ज्ञान का भण्डार बक्श।)

ई दिली बिरयानि मा रा शौक दिह । दर गुलएम बंदगी रा तौक दिह।।467।।

(मेरे इस जले भुने दिल को चड़ी (खेड़ा) बक्श और मेरे गले में भक्ति रूपी पटा डाल दे।)

हिजरि मा रा आरजूई वसल बखश । ई खिज़नि जिसमि मा रा फजल बखश ।।468।।

(मैं बिछुड़े हुए को मिलाप कि सरद बक्श और मेरे शरीर के जखीरे में अपनी मिहरम्मत बक्शो,भाव मेरी आंखो मे आ कर बसो।)

हर सरि भूएम जुवां कुन अज़ करम । ता बगोएम वसफि हक्क रा दम बदम।।469।।

(अपनी मिहर से मेरे सभी रोमों को चिन्ह बना दे, जिससे मैं दम बदम तेरे गुन गाता रहूं।)

ख्याल में फिक्र को एक या दो फिकरा ही इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यहां भाषा माध्यम होता हैं भाव श्रृंगार होता है, जिसका माध्यम संगीत स्वर पक्ष को बनाया जाता है। बंद की स्थाई केवल दो फिकरा दो लाईन होती है। इस तरह अंतरे की भी व्यवस्था

रखी जाती है, परंतु यह भ्रम यहां दूर करना आवश्यक है कि आधुनिक पुस्तकों में क्रियात्मक पक्ष पर कई-कई लाइनों के ख्याल लिखे गए हैं, उनके पीछे लय, मात्रा और ताल का विस्तार प्रभावित है तथा प्राचीन शैली ध्रुपद का भी प्रभाव है। इस तरह अध्ययन का क्षेत्र फिकरा बंद शैली का बोल, विस्तार, बोल पलट, बुगारां, चमक, धमक तथा बकरा शैली का प्रयोग तथा इत्यादि तकनीकि प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है इनकी कुल संख्या लगभग 31 है।

दक्षिण के जेंटा, वरिसई, जावलि, गमकम, रागम, लय जाती, स्वरा जाती, ताल जाती इत्यादि का मिश्रण अपने गीतों में प्रयोग करते थे।

संक्षिप्त सार- घराना ही वह परंपरागत शिक्षा का केंद्र होता है, जिसमें घराने के गुणी, उस्ताद, कलाबंध तथा पंडित, शास्त्रज्ञ, ज्ञानकर आदि व्यक्तियों द्वारा घराने की परिस्थिति सांस्कृतिक भाषा, विषय में विधा शास्त्र को विस्तार दिया जाता है।

उपरोक्त सभी गुण शास्त्र के रूप में रीवा की ख्याल शैली का मूल ग्रंथ मौशिकी उल बघेलखण्ड है जो उर्दू में लिखा गया था, इसके लेखक उस्ताद कुतुब अली थे एवं प्रचारक उस्ताद मुबारक अली इस घराने के अच्छे अनुभवी संगीत सीखने वाले कलाकार थे जिन्होंने जयपुर घराने के रजब अली खां को एवं पटियाला के बड़े फते अली तथा अमानत अली एवं इनके वालिद को भी रीवा घराने की संगीत शिक्षा दी थी । उस्ताद नज़ीर खां जिनका उप नाम घग्घे कहा गया है, आपने मेवाती घराने के कलाकारों को संगीत की शिक्षा दी थी। रीवा घराने के मूल संगीतज्ञ गंगाराम भट्ट थे जिनसे साधना (ध्रुपद) संगीत विधा तथा ख्याल के विशेषज्ञ बड़े मुहम्मद खां की जुबानी शिक्षा का शास्त्र बनाया गया था।

इस तरह रीवा में फिकराबंद शैली का विस्तार नया रूप निर्मित कर देश के कई घरानों में रीवा की शैली को शिखाया गया। इस तरह रीवा सेनिया घराने की ख्याल शाखा का विस्तार देश के कई घरानों में मिलाकर उन घरानों को गायन शैली का नया मिलाजुला रूप तैयार करने में मदद किया। जिस तरह ध्रुपद संगीत में बाबा हरिदास के शिष्य तानसेन ने रीवा को साधना स्थली बनाया तथा रीवा दरबार में 60 वर्ष की उम्र तक ध्रुपद साधना संगीत को सिद्ध किया उसी तरह ख्याल की शैली में मूलतः, मुहिब्बे अली, मुबारक अली, दिलावर अली तथा मुगलू खां ने रीवा के ख्याल शैली गायन को विस्तारित रूप देने में सहयोग किया। जयपुर के रजब अली खां, मुबारक अली से सीखने के बाद देवास(उ.च) में दरबारी गायक हो गए थे। पटियाला घराने का वह भाग जो पाकिस्तान में विभक्त हो गया उन में मूल रूप से उस्ताद अमानत अली, उस्ताद बड़े फते अली तथा उस्ताद अब्दुल वहीद के कुछ वंशज थे। परिणामतः पाकिस्तान में पंजाबी भाषा में पटियाला घराने की शैली को विस्तार करने के लिए उस्ताद मुबारक अली स्वयं ही अमानत अली तथा बड़े फते अली को सिखाया था।

इस तरह रीवा घराने की ख्याल शैली का फिकरा बंद शिक्षा का विशेष निर्मित स्वरूप पूरे देश में विस्तारित हो गया। बड़े खेद से लिखना पड़ रहा है कि यहां के सामान्य जनमानस तथा यहां के आधुनिक विद्वान इस शैली की कोई समझ नहीं रखते और ना ही अध्ययन की ओर कभी ध्यान दिया। परिणामतः हमारा हमसे ही छूट रहा है। अतः

आवश्यक है कि हम शोधार्थीगण इसे समझ कर पुनजीवित करें, इसी उद्देश्य से यह शोध पत्र प्रस्तावित है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. अमृत कीर्तन, खालसा ब्रदर्स अमृतसर की अरदास
2. सिलसिला ए मोहब्बत, आनंद शर्मा
3. संगीत बाल पर्डम पार्ट 1, डी. पी भानुमथी
4. ख्याल गायकी का घराना , डॉ. सन्नो खुराना
5. संगीत बोध, डॉ.श्रीधर परांजवे
6. सारंगी, डॉ, सुरेशब्रत राय चौधरी
7. संगीत विशाराद, बसंत
8. मौसिकी उल बघेलखण्ड, उ. कुतुब अली
9. ई साक्ष्य, interview of bade fate Ali Khan Program & ahang , PTV lahor
10. उर्दू हिन्दी शब्द कोश, मोहम्मद मुस्तफा खां

RNI No MP BIL 01034 / 12 / 1 / 2005 - TC
REGISTRAR OF NEWS PAPERS IN INDIA, GOVT. OF INDIA

Centre for Research Studies
Rewa-486001 (M.P.) India

Registered Under M.P. Society Registration Act,
1973, Reg. No. 1802, Year-1997
www.researchjournal.in

ISSN 0973-3914

Editor: Prof. Akhilesh Shukla, Published by Dr. Gayatri Shukla on behalf of Gayatri Publications, Rewa - 486001 (M.P.) and Printed at Glory Offset Nagpur